लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]
Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On 30-12-83
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17—गुरुवार, 10 मार्च, 1966/19 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 17—*Thursday, March* 10, 1966/*Phalguna* 19, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
445	एडवांस ईंशोरेंस कम्पनी, लि., बम्बई	Advance Insurance Co. Ltd., Bombay	4469–71
446	एशिया विकास बैंक	Asian Development Bank . .	4471–74
447	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	National Health Insurance Scheme	4474–75
448	विदेशों को जाने वाले उद्योगपतियों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Industrialists Visiting Abroad	4475–78
449	मकानों के निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	L.I.C. Loans for Construction of Houses	4478–81
450	कोसी नदी पर बांध	Barrage on Kosi	4481–82
451	विश्व बैंक द्वारा सहायता	Assistance by World Bank .	4482–84

अ० सू० प्र० सं०

S. N. Q. No.

6	राजस्थान में बिजली की कमी	Power Shortage in Rajasthan .	4484–87

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S .Q. Nos.

453	मेडिकल कालेज तथा अस्पताल	Medical Colleges and Hospitals	4487–88
454	रूस से ऋण	Loan from U.S.S.R. . . .	4488–89
455	बीमा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन	Study of Insurance Problems .	4489
456	आसाम में बाढ़ नियंत्रण उपाय	Flood Control Measures in Assam	4489–90
457	वित्तीय नियम	Financial Rules	4490
458	व्यास परियोजना	Beas Project	4490
459	सूखा से प्रभावित क्षेत्रों को राहत	Relief to Drought-affected Areas .	4490–91
460	तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाज सेवाओं के लिये नियतन	Allocation for Social Services in Third Plan	4491

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—33 L.S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
461	औषधों के आयात पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Import of Drugs	4491–92
462	मद्रास में केन्द्रीय सरकार का होस्टल	Central Government Hostel in Madras	4492
463	दामोदर घाटी निगम की लेखा-परीक्षा	D.V.C. Audit	4492–93
464	राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना	National Defence Remittance Scheme	4493
465	हंगरी से ऋण	Credit from Hungary . .	4493
466	उद्योगों के लिये दुर्लभ कच्चा माल	Scarce Raw Materials for Industries	4493–94
467	खाद्यान्न के आयात के लिए आंशिक रूप में डालरों में भुगतान	Payment for Import of Food partly in Dollars	4494
468	छिपाई हुई आमदनी का स्वेच्छा-पूर्वक बताया जाना	Voluntary Disclosure of concealed Income	4494
469	पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात में कटौती	Cut in Imports under PL 480 .	4494–95
470	दिल्ली में चल रहे जाली नोट	Forged Currency Notes in Circulation in Delhi . . .	4495
471	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से सहायता की प्रार्थना	Request to International Monetary Fund and World Bank for Assistance	4495
472	परिवार नियोजन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र दल का प्रतिवेदन	U.N. Team Report on Family Planning	4496
473	इन्द्रप्रस्थ बिजली घर	Indraprashtha Power Station .	4496–97
474	दिल्ली में एक ज्योतिषी के घर पर छापा	Raid on Astrologer's House in Delhi	4497

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1851	काजू निर्यात उद्योग को आय-कर में छूट	Income-Tax Rebate to Cashewnut	4497–98
1852	बल्लेमीला परियोजना	Ballemiela Project . . .	4498
1853	राजकोट के निकट निषिद्ध घड़ियों का जब्त किया जाना	Contraband Watches seized near Rajkot	4498
1854	बिच्छुओं के दंश का इलाज	Treatment of Bites by Scorpion	4498
1855	तम (स्तूल) तथा जलपाश द्वारों (लौकगेट) का निर्माण	Manufacture of Sluice and Lock Gates	4499
1856	कृषि सम्बन्धी आय	Agricultural Incomes .	4499
1857	राष्ट्रीय आय	National Income .	4500
1858	इंडो-कमर्शियल बैंक	Indo-Commercial Bank .	4500
1859	आगरा में सरकारी कार्यालय	Government Offices in Agra .	4500–01
1860	आगरा में सरकारी कार्यालय	Government Offices in Agra .	4501
1861	द्वितीय श्रेणी के आय-कर अधिकारी	Income-Tax Officers Class II .	4501

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1862	सूरज कुण्ड का विकास	Development of Suraj Kund	4502
1863	मुद्रास्फीति को रोकना	Checking of Inflation	4502
1864	पेंशन पाने वाले लोगों को सहायता	Relief to Pensioners	4502-03
1865	पेय जल बोर्ड	Drinking Water Board	4503
1866	अमरीकी सहायता	U.S. Aid	4503-04
1867	देहाती क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई	Electricity supply to rural areas	4504-05
1868	नई दिल्ली में कई मंजिला गैरेज	Multi-storeyed Garage in New Delhi	4505
1869	गर्भ निरोध में अनुसन्धान	Research in Birth Control	4505
1870	भवन निर्माण समितियों का सम्मेलन	Conference of Building Societies	4506
1871	बौनों की चिकित्सा	Treatment of Dwarfs	4506
1872	एक पैसे के सिक्के	One Paisa Coins	4506
1873	पिछडे क्षेत्र	Backward Areas	4506-07
1874	स्वर्ण बाण्ड योजना	Gold Bonds Scheme	4507
1875	घड़ियों का तस्कर व्यापार	Smuggling of Watches	4507-08
1876	उद्योगों के लिये लाइसेंस देने की नीति	Industrial Licensing Policy	4508
1877	उत्तर प्रदेश में ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें	Rural Industrial Projects in U.P.	4509
1878	परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres	4509
1879	पंजाब में सिचाई तथा बिजली योजनायें	Irrigation and Power Schemes in Punjab	4509
1880	पंजाब की आवास योजनाएं	Housing Schemes of Punjab	4509
1881	चेचक उन्मूलन	Eradication of Small Pox	4510
1882	सेवाग्राम में मेडिकल कालेज	Medical College at Sevagram	4510
1883	पोंग बांध	Pong Dam	4510-11
1884	पंजाब के पहाडी क्षेत्रों में पेय जल सम्भरण	Drinking Water Supply in Punjab Hilly Areas	4511
1885	उडीसा में बाढ नियंत्रण	Flood Control in Orissa	4511
1886	उड़ीसा में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के उपाय	Anti-Sea Erosion Measures in Orissa	4512
1887	महानदी डेलटा सिचाई योजना	Mahanadi Delta Irrigation Scheme	4512
1888	राजस्थान में ग्रामीण जल संभरण योजनायें	Rural Water Supply Schemes in Rajasthan	4512
1889	राजस्थान में बिजली पैदा करना	Power Generation in Rajasthan	4513
1890	राजस्थान में मलेरिया और फिलेरिया	Malaria and Filaria in Rajasthan	4513-14

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1891	सोने का मूल्य तथा उसका उत्पादन	Price and Production of Gold .	4514
1892	नई दिल्ली की एक फर्म द्वारा कोचीन से काली मिर्च को अन्यत्र भेजकर विदेशी मुद्रा का गबन	Misappropriation of Foreign Exchange by a New Delhi Firm by diversion of Black Pepper Consignment from Cochin .	4514-15
1893	त्रिपुरा में कपड़ा मिल	Textile Factory in Tripura .	4515
1894	दिल्ली में विकास योजनाएं	Development Schemes in Delhi .	4515
1895	कैंसर की चिकित्सा के लिये जड़ी बूटी	Medical Herb for Cancer . .	4516
1896	ब्रिटिश लैपरोसी रिलीफ एसोसिएशन	British Leprosy Relief Association	4516
1897	गुजरात द्वारा राजस्थान को बिजली की सप्लाई	Power Supply to Rajasthan by Gujarat	4516
1898	राजनैतिक दलों द्वारा सोना एकित्रित किया जाना	Collection of Gold by Political Parties	4517
1899	उड़ीसा में तपेदिक की रोकथाम के उपाय	Anti-T.B. Measures in Orissa .	4517
1900	सरकारी संस्थाओं द्वारा उद्योगपतियों को ऋण	Loan to Industrialists by Government Institutions . . .	4518
1901	मद्रास नगर के लिए पेय जल	Drinking Water for Madras City .	4518
1902	पांडिचेरी का प्रोद्योगिक—आर्थिक सर्वेक्षण	Techno-Economic Survey of Pondicherry	4518
1903	विश्व चिकित्सा सम्मेलन	World Medical Conference .	4519
1904	गर्भ निरोधन छल्ले (लूप) की गुणकारिता और लोकप्रियता	Efficacy and Popularity of Loop .	4519
1905	केन्द्रीय लेखन सामग्री (स्टेशनरी) कार्यालय, कलकत्ता	Central Stationery Office, Calcutta	4519-20
1906	मैसूर में हरिजनों के लिए आवास ऋण	Housing Loan for Harijans in Mysore	4520
1907	नोट	Currency Notes . . .	4520
1908	गांवों में बिजली लगाने के लिए ऋण	Loan for Rural Electrification .	4520-21
1909	परिवार नियोजन में अभिस्थापन (ओरिएन्टेशन) पाठ्यक्रम	Orientation Course in Family Planning	4521
1910	चावल के समाहार के लिये पश्चिमी बंगाल को सहायता	Aid to West Bengal for Procurement of Rice. . . .	4521
1911	आयुर्वेदिक कालेज	Ayurvedic Colleges . . .	4521-22
1912	सार्वजनिक पुस्तकालय (पब्लिक लाइब्रेरियां)	Public Libraries . .	4522-23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1913	गर्भपात को वैध बनाना	Legislation of Abortion . .	4523
1914	केरल के मलाबार क्षेत्र के लिये जल की व्यवस्था	Drinking Water Supply for Malabar Area of Kerala .	4524
1915	राष्ट्रीय बिजली ग्रिड	National Electricity Grid .	4524
1916	देहातों को पेय जल की सप्लाई	Drinking Water Supply to Villages	4524
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	Papers Laid on the Table . .	4525
	अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे 1965-66)	Demands for Supplementary Grants (Railways) 1965-66—	
	विवरण उपस्थापित	Statement Presented . .	4525
	सिंचाई के लिए नदियों के पानी के प्रयोग के बारे में याचिका	Petition re: Use of River Waters for Irrigation	4525
	कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
	छियालीसवां प्रतिवेदन	Forty-sixth Report . .	4525–26
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न	Re. Calling Attention Notices (Query)	4526
	आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—	Imports and Exports (Control) Amendment Bill—	
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
	श्री वारियर	Shri Warior . .	4526
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	4526
	श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	4526–27
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma .	4527
	श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	4527–28
	श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah . .	4528–30
	खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 .	4530
	पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
	श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah . .	4530
	सामान्य आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा—	General Budget, 1966-67—General Discussion—	
	श्री मी० रू० मसानी	Shri M. R. Masani . .	4530–33
	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	4533–35
	श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	4535–39
	श्री के० दे० मालवीय	Shri K. D. Malaviya . .	4539–41
	श्री दे० द० पुरी	Shri D. D. Puri . . .	4541–42

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	4543–44
श्री हिंमतसिंहका	Shri Himatsinghka .	4544
श्री हिंमत सिंहजी	Shri Himat Singhji . .	4544–45
श्री राधेलाल व्यास	Shri Radhelal Vyas .	4545–46
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya .	4546–47
श्री नी० श्रीकांतन नायर	Shri N. Sreekantan Nair .	4547–49
श्री पु० र० पटेल	Shri P. R. Patel .	4549–50
श्री विश्वनाथ राय	Shri Biswanath Roy . .	4550–51
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwari .	4551–52
केरल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री अजितप्रसाद जैन के त्यागपत्र के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion re. Resignation of Shri A. P. Jain, Ex. Governor of Kerala—	
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair .	4552–54
श्री हाथी	Shri Hathi . .	4554

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 10 मार्च 1966/19 फाल्गुन, 1887 (शक)
Thursday March 10, 1966/Phalguna 19, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासिन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Advance Insurance Co. Ltd., Bombay

***445. Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 12 on the 10th December, 1965 and state :

(a) whether the investigation made into the case of a Director of Advance Insurance Company Ltd., Bombay in connection with his licence and evasion of taxes has since been completed ; and

(b) if so, the main findings thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) Registration under the Insurance Act to transact insurance business is granted to companies and not individuals. The question of investigation into the licence of a Director does not, therefore, arise. There has been no statutory investigation into the affairs of the Advance Insurance Company. Investigations in respect of tax evasion in the case of the Director are still in progress.

(b) Does not arise.

Shri Madhu Limaye : Shri Chiranjitlal Goenka, who has insurance business and who is related to high officials of Finance Ministry has been evading taxes. If it is so, I want to know, how much amount has been paid as tax by the companies with whom he was connected ?

Shri B. R. Bhagat : Had he some improper relations with officials, no inquiry would have taken place against him. Therefore, the allegation is not correct.

Mr. Speaker : Has he any relation ?

Shri B. R. Bhagat : I cannot say.

Shri Madhu Limaye : What is the amount of tax that has been paid by him during the last five or six years ?

Shri B. R. Bhagat : I would like to have a notice for this.

Shri Madhu Limaye : Shri Goenka was given a licence and the name of the Company was 'United General Insurance Company'. The licence was withdrawn on account of tax evasion. Now a son-in-law of this gentleman has been made incharge and the Company has been named "Advance Insurance Company" and he himself is actually doing the work. I want to know whether the licence of United General Insurance Company with which Shri Goenka was connected, had he forfeited; if so, whether somebody else is doing work on his behalf ?

Shri B. R. Bhagat : There is no question of Shri Goenka's licence. It is correct that the licence of United General Insurance Company has not been renewed. After that he became the Director of Advance Insurance Company. There is no such provision in the Company's Act or Insurance Act which may debar one from becoming the Director unless one is charged for moral turpitude or criminal misconduct or one is sentenced to 6 years' punishment. As there was no such charge against him, he could become the Director. There is no provision in the Companies Act that may debar his son from becoming a Director.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Chiranjit was the Director of a Company. A huge amount of black money was seized from him and gold worth Rs. 6 lakhs was also seized from him. The tax in arrears against him was to the tune of Rs. 15 lakhs. I want to know whether any such action would be taken that arrears are not put against the company. How would the company and the individual be distinguished from each other ?

Shri B. R. Bhagat : If tax is to be recovered from him it is according to the provisions of law. The question of transferring to the company does not arise.

श्री वारियर : एडवांस इंशोरेंस कम्पनी के चेयरमैन कौन हैं ? क्या इनका एक दूसरे गोयनका से कोई सम्बन्ध है जिनकी यूनाइटेड इंशोरेंस कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था ?

श्री ब० रा० भगत : मैं नहीं जानता कि चेयरमेन कौन है । चिरंजीत लाल एक डायरेक्टर हैं ।

Shri Madhu Limaye : May I give the information. His son-in-law is the Chairman.

Shri B. R. Bhagat : His son-in-law is Managing Director. I do not know whether he is its head.

Shri Sheo Narain : There are so many complaints against Advance Insurance Company. I want to know why Government do not take over this Company ?

Shri B. R. Bhagat : There is no complaint against Advance Insurance Company.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या एडवांस इंशोरेंस कम्पनी पर मुकदमा चलाया गया है और इस कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इस कम्पनी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इन श्री गोयनका का सम्बन्ध हाल में बम्बई में हो रही उस जांच से भी है कि जो डेनियल वाल्काट तथा उसके गिरोह के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापार के बारे में हो रही है ।

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : यह सच है ।

Shri Madhu Limaye : If you see his figures about Income tax for the last 5 years, you will come to know.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि श्री गोयनका का प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी निकाय के चेयरमैन से निकट का सम्बन्ध है और इसी लिये वह आयकर विभाग के जाल में नहीं फंसाये जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : मैं इस आक्षेप का खण्डन करता हूं । यह सच नहीं है ।

एशिया विकास बैंक

+

*446. **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री व० बा० गांधी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया विकास बैंक के लिये 1 अरब डालर की प्रस्तावित कुल अंशपूंजी जुटाई जा चुकी है;

(ख) क्या सोवियत संघ ने इस बैंक की अंशपूंजी में अपना योगदान देने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) एशिया विकास बैंक की स्थापना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) एक अरब डालर की शेयर पूंजी केवल तभी जुटायी जायगी जब वे सभी देश, जिन्होंने 4 दिसम्बर, 1965 को मनीला में करारनामे (आर्टिकल्स आफ एग्रिमेण्ट) के मसविदे पर हस्ताक्षर किये थे, 30 सितम्बर, 1966 को या उससे पहले इस करारनामे का अनुसमर्थन (रैटीफाई) कर देंगे । अनुमान है कि उस समय तक प्रस्तावित कुल पूंजी जुटा ली जायगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) दिसम्बर, 1965 में, मनीला में पूर्णाधिकार-प्राप्त दूतों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 27 देशों ने भाग लिया था । उस सम्मेलन में करारनामे का मसविदा एकमत से स्वीकार कर लिया गया था और उस पर उपस्थित दूतों में से 22 देशों के दूतों ने हस्ताक्षर कर दिये थे । इस करारनामे पर 31 जनवरी, 1966 तक हस्ताक्षर किये जा सकते थे । हम यह जानने के लिये एशिया और दूर-पूर्व आर्थिक आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तब से कितने और देशों ने इस करारनामे पर हस्ताक्षर किये हैं ।

इसके बाद हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा इस करारनामे का अनुसमर्थन किया जाना है जो 30 सितम्बर, 1966 तक हो जाना आवश्यक है । इस बीच, एशिया और दूर-पूर्व आर्थिक आयोग के तत्वावधान में एक प्रायोजना-निदेशक (प्राजेक्ट डायरेक्टर) नियुक्त किया गया है जो अनुसमर्थन का काम पूरा होते ही बैंक की स्थापना की प्रारम्भिक कार्रवाई को तेजी से करने में सहायता देगा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या पिछले सम्मेलन के दौरान इस बात पर विचार हुआ था कि सोवियत संघ एक एशियाई देश है और यदि यह चाहे तो इसे ऐशियाई विकास बैंक में शामिल किया जायेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक मेरी जानकारी है 'नहीं' ।

श्री भागवत झा आजाद : अबतक कितने ऐशियाई देशों ने इस बैंक की पूंजी के रूप में धन दिया और अबतक इस बैंक के लिये कितनी पूंजी एकत्र हो चुकी है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : 22 देशों ने हस्ताक्षर किये है परन्तु यह तबतक पूर्ण नहीं हैं जब तक कि इसका सत्यांकन न हो । हम अभी तक एशिया तथा दूरपूर्व के आर्थिक आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं । हस्ताक्षर करने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी, थी उसके बाद आर्थिक आयोग को जानकारी एकत्र करके भेजनी थी ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या अब तक कुछ पूंजी एकत्र हुई है, यदि हां, तो कितनी ?

Shri M. L. Dwivedi : What contribution will this Bank give in the development of India ? what are the proposals in this regard ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : भारत सरकार बैंक की पूंजी में योगदान देगी और बैंक जब आवश्यक हुआ इस देश के आर्थिक विकास का अनुमान लगायेगा । भारत सरकार 9 करोड़ 30 लाख डालर देगी ।

श्री सं० चं० सामन्त : क्या एशियाई बैंक के बन जाने से विश्व बैंक से प्राप्त हो रही सुविधाओं में तो किसी प्रकार का अन्तर नहीं आयेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी नहीं ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या इस पुंजी को निर्धारित करते समय किसी बात को आधार माना गया है ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी नहीं । कई देशों ने पूंजी के रुप में धन देने की सहमति व्यक्त की है । उनका सहमत होना ही आधार है ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस बारे में बहुत कम प्रगति हुई है और अब तक केवल दो देशों ने हस्ताक्षर किये है मैं जानता चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण योजना को कार्यान्वित करने के लिय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि अधिकाधिक देश हस्ताक्षर करें ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : सभी हस्ताक्षर करने वाले देश प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं । भारत सरकार उनपर अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा ही प्रभाव डाल सकती है । यह नहीं कि प्रगति बहुत मन्द है । 31 जनवरी हस्ताक्षर करने की अन्तिम तिथि थी । उसके बाद एशिया तथा दूर पूर्व आर्थिक कमीशन ने जानकारी एकत्र करके भेजनी थी और उसके बाद हम अन्य सरकार के साथ मिलकर उस पर विचार करेंगे ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या यह बैंक वर्तमान अन र्राष्ट्रीय संस्थाओं की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करेगा या कि यह एक स्वतन्त्र और स्वायत्त निकाय होगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह एक अलग, स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगा ।

Shri Madhu Limaye : Is there any clarification in the Bank's, statement's of objects that it would give assistance for electricity for industrial areas, for transport and for agriculture ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : बैंक सदस्य देशों के विकास के लिये होगा । उन देशों की योजनाओं पर विचार किया जायेगा और सहायता दी जायेगी ।

Shri Vishwa Nath Pandey : I want to know the names of countries that have contributed towards their share of capital which is proposed to be 10 crore dollars ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैंने पहले ही कहा है कि हमारे पास पूरी सूची नहीं है । जब यह प्राप्त होगी तो मैं सभा को बता दुंगा ।

श्री रा० बरुआ : क्या गैर-एशियाई देशों ने भी बैंक में पूंजी लगाने की मांग की है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी, हां ।

श्री रामनाथन चेटियार : भारत इस बैंक से कितनी राशी निकाल सकने का अधिकारी होगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : भारत अंशदान देने वाला पांचवा देश होगा । इसलिये एक अच्छा भाग उधार के रूप में मिल सकेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : विश्व में उधार देने के लिये और भी संस्थाएं है । यह बैंक भी एशियाई देशों को ऋण देगा । इस प्रकार काम के दुगतान होने से बचने तथा विश्व बैंक और दूसरी संस्थाओं के कामो को पृथक कैसे रखा जायेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जब यह बैंक कार्य आरंभ कर देगा तो इसके अधिकारी इन बातों का ध्यान रखेंगे ।

डा० रानेन सेन : सोवियत संघ जो एक एशियाई देश है और उसने इस बैंक के बनाने की आरंभिक बातचीत में भाग भी लिया था । क्या रूस ने शामिल होने से इन्कार कर दिया है क्योंकि अमरीकी पूंजी इस में एक बड़ी बात होगी ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : वह सदस्य नहीं बना और न ही उन्हों ने इन्कार किया है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य की जानकारी का स्रोत क्या है ? जब वह कहते हैं कि अमरीकी पूंजी का विशेष कार्य होगा ।

श्री पैं० वैंकटासुब्बया : अमरीका इस एशियाई विकास बैंक में राशी देने वालों में मुख्य देश होगा तो क्या इस बैंक की कार्यप्रणाली इस प्रकार बनायी गई है कि उसमें अमरीका का विशेष स्थान होगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस बैंक के कार्यसंचालन में अमरीका का कोई विशेष स्थान नहीं होगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को मालूम है कि अमरीका सरकार इस बैंक को क्षेत्रीय विकास के लिय अमरीकी सहायता की एक एजेन्सी बनाना चाहती है; यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यदि ऐसा है तो इससे बैंक को धन की शक्ल में अधिक सहायता मिलेगी । इससे भारत के हितों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी ।

श्री काशीनाथ गुप्त : इस बात को देखते हुए कि प्रगति धीमी है, क्या बैंक ठीक प्रकार से कार्य कर पायेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह एक राष्ट्र की संस्था नहीं होगी । इस के सदस्य देश स्वतन्त्र देश हैं । इस कारण काम कुछ धीमी गति से हो रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते है कि बैंक के बारें में कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या जापान और फिलिपीन इस के सदस्य है ? और उनका पूंजी में कितना कितना भाग होगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी हां, जापान और फिलीपीन सदस्य है । जापान 20 करोड़ डालर और फिलिपीन 30 करोड़ 50 लाख डालर देगा ।

National Health Insurance Scheme

\+

*447 **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 664 on the 16th September, 1965 regarding the National Health Insurance Scheme and state :

(a) whether the details of the Pilot Insurance Schemes have since been considered ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Health & Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) & (b). Due to drastic reduction in the financial allocations, it has not been possible to provide the required funds for the pilot project in National Health Insurance Scheme during the first year of the IV Plan. The scheme has been kept in abeyance for the time being.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know what are salient features of this Scheme and what efforts has the Government made to implement in by having it included in the Fourth Five Year Plan ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : महोदय, क्या आप अगला प्रश्न भी ले लेंगे क्योंकि उसका संबंध भी इसी से है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न तो उन उद्योगपतियों को विदेशी मुद्रा देने से है जो विदेश यात्रा के लिये बाहर जाते हैं ।

डा० सुशीला नायर : इससे तीसरा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इनका उत्तर एक साथ दिया जा सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती । अब वह इसका उत्तर अलग दें ।

डा० सुशीला नायर : उसका संबंध तो स्वास्थ्य योजना उन अग्रिम परियोजनाओं से है जो स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत हैं । खैर, मैं इसका उत्तर दूंगी । मैं यह कहना चाहती हूं ।

Due to lack of funds we did not work over the details of the proposed pilar projects of Health Insurance Scheme. But we have an example in the scheme for our Central Government Servants. The second example is in the Employees State Insurance Scheme. Then certain people are making their own arrangements. So due to lack of funds we have not worked our details.

Shri M. L. Dwivedi : Mr. Speaker, I had asked whether efforts were made to have it included in Fourth Five Year Plan. But no reply has been received to that.

Dr. Sushila Nayar : We have asked for more funds in the Fourth Five Year Plan. If we get the same, we will definitely run it.

Shri M. L. Dwivedi : If it is not included in the first Year of the Fourth Five Year Plan, is there any possibility of its being included in the remaining four years of the plan. If so, what steps are Government taking in that direction ?

Dr. Sushila Nayar : We do not have full draft of the Fourth Five Year Plan. We have definitely requested for its inclusion. Our efforts is that something should be done on this matter.

Shri Bhagwat Jha Azad : It appears from the replies given that it is still on paper. I want to know whether Government has accepted this in principle and it will be implemented as as soon as paucity of funds is over. Or else it has not been accepted even in principle.

Dr. Sushila Nayar : It has been accepted in principal for certain groups. The member knows that in Delhi we have included even ordinary people in our Central Government Servants scheme.

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने कहा है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना पहले से ही है। क्या कथित योजना कर्मचारियों के परिवार के लिये भी उपलब्ध होगी ?

डा० सुशीला नायर : जहां तक कर्मचारियों के परिवारों का संबंध है वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन आते हैं। जैसा कि सदस्य को पता है परिवार भी इसके अन्तर्गत आते हैं। चाहे वे सारे उस में न आते हों परन्तु आहिस्ता आहिस्ता यह प्रयास किया जा रहा है कि वे भी इस में आवें।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस योजना के वित्तीय पहलुओं का अनुमान लगाया है। यदि हां, तो चौथी योजना में कितना रूपया उपलब्ध होगा ?

डा० सुशीला नायर : वित्तीय पहलुओं का अनुमान तो तब लगावें जब रूपया मिलने की आशा हो। फिर यह भी देखना है कि हम 1000 परिवारों को इसके अन्तर्गत ला रहे हैं अथवा 1 लाख परिवारों को। इस लिय यह सब रूपया मिलने पर निर्भर है।

विदेशों को जाने वाले उद्योगपतियों को विदेशीमुद्रा

*448. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उद्योगपतियों के विदेशों में जाने के लिये वर्ष 1965 में बहुत बड़ी राशि की विदेशी मुद्रा दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है तथा किन किन उद्योगपतियों को और इतनी अधिक राशि देने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) कुछ उद्योगपतियों को विदेश यात्रा के लिए 1965 में विदेशी मुद्रा की मुनासिब रकम दी गयी थीं।

(ख) व्यापार के सबन्ध में विदेशों की यात्रा करने के लिए 1965 में 1,83,17,135 रुपये के बराबर की विदेशी मद्रा दी गयी। एसी यात्राओं के लिए, जिनका सम्बन्ध निर्यात-प्रोत्साहन या ऐसे व्यापारिक कार्यों से हो जिन के लिए व्यक्तिगत विदेश-यात्रा आवश्यक हो, विदेशी मुद्रा निर्धारित मात्रा में दी जाती है। हर व्यक्तिगत मामल में कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी यह बताने के लिए जितनी खोज और परिश्रम करना पड़गा वह प्राप्त होने वाले परिणाम के मुकाबले क ीं ज्यादा होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : 1965 में किस उद्योगपति को अधिक से अधिक कितनी मुद्रा दी और उसका नाम क्या है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे इसकी जांच करनी होगी और उसके पश्चात यह सूचना दुंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि सारे आंकड़े नहीं हैं तो वह बता दीजिये कि सबसे अ क मुद्रा किसी एक व्यक्ति को कितनी दी थी?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक अधिकतम का संबंध है वह छोटी के उद्योगपतियों को इस प्रकार दी जाती है कि 45 डालर प्रतिदिन अमरीका तथा कैनेडा जाने के लिये तथा 15 पौंड प्रति दिन यदि यूरोप तथा किसी और महाद्वीप में जाना हो।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि एक जालन्धर या लुधियाने के उद्योगपति को 1965 के अन्त में अथवा 1966 के आरम्भ में 10,000 पौंड इस लिये दिया गया कि वह अपना स्वास्थ्य सुधार सके?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं यह पता लगाने का प्रयत्न करूंगा कि जालन्धर के किसी व्यक्ति को 10,000 पौंड केवल स्वास्थ्य सुधारने के लिये दिया गया। यदि श्री बनर्जी स्वयं उसका नाम बतला देते तो मेरे लिये उसका पता लगाना आसान हो जाता।

श्री भागवत झा आज़ाद : महोदय, यह तो श्री बनर्जी से ही पूछ रहे है। उन्हें प्रश्न के भाग (ख) के अनुसार यह सूचना स्वयं देनी चाहिये थी।

अध्यक्ष महोदय : हां, भाग (ख) के अनुसार यह सूचना मिलनी चाहिये।

श्री शचीन्द्र चौधरी : अपने उत्तर के आखरी वाक्य के अन्त में मैं ने स्वयं कहा कि इसका पता लगाने में इतना श्रम लगाना पड़ेगा कि उसका परिणाम इतना अच्छा नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : कम से कम उनके नाम तो दिये जा सकते जिन्हें विदेशी मुद्रा दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो ऐसे ढंग से बना था कि सूचना मिलनी चाहिये थी। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि यह सूचना सभा पटल पर रखे।

श्री अ० प्र० शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा कि अन्य व्यापारिक कार्य के लिये विदेशी मुद्रा दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के अनुसार वह अन्य व्यापारिक कार्य क्या हैं।

श्री शचीन्द्र चौधरी : अन्य व्यापारिक कार्य पूंजी वस्तुये आदि के आयात का है क्योंकि इसकी आवश्यकता मशीन और उसके भाग बनाने में होती है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार का कहना यह है और यह तथ्य भी है कि इतनी रकम देने से उनका ही आर्थिक लाभ भी होता है। यदि हां, तो कैसे?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी हां। इस कार्य के लिये 1,83,00,000 रूपया व्यय हुआ। सरकार का विचार है कि इस व्यय से जो लाभ हुआ है उसका इस से मुकाबला किया जा सकता है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : देश में विकास के कार्य हो रहे हैं इसलिये हमारी निर्यात नीति ऐसी होनी चाहिये कि वह निर्यात प्रधान हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस धन में विदेशी मंडियों का सर्वेक्षण, व्यापार का स्थापित करना, तथा व्यापार के स्तर को ऊंचा करना भी शामिल है?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी हां, ऐसा ही है ।

Shri Onkar Lal Berwa : After granting of foreign exchange and after the persons return from their foreign tour, has a commission been set up to enquire how much foreign exchange was spent and how much of it was not spent ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जो विदेशी मुद्रा बचती है वह भारत के रक्षित बैंक को लौटानी पड़ती है। वैसे इस बात लिये कोई व्यवस्था नहीं है कि व्यय किये गय रुपय का हिसाब दे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में तो यह पूछा जा रहा है कि इस प्रकार रूपया व्यय करने का लाभ भी उसी अनुपात में है। कोई ऐसा खाता है कि जिस से पता चले कि इतनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

श्री शचीन्द्र चौधरी : प्रत्येक मामले के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य यह सूचना जानना चाहते हैं। इसे प्राप्त किया जावे।

श्री हेम बरुआ : 3 मार्च को उद्योग मंत्री ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का व्यय बहुत हद तक कम कर दिया है। फिर इन उद्योग पतियों को घूमने के लिये इतनी मुद्रा क्यों दे दी विशेषकर जब कि योजना मंत्री कहते हैं कि निजी क्षेत्र में जनता से बचत के लिये निजी क्षेत्र के लोग कुछ नहीं कर रहे है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस देश में निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र एक हैं। हम निजी क्षेत्र के लोगों को इसलिये विदेशी मुद्रा देते हैं ताकि वह विदेशी कारोबार को प्रोत्साहन दें। मैंने पहले ही कहा है कि सरकार को इस से लाभ हुआ है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : उद्योगपतियों को तो वित्त मंत्री के कथानुसार 45 डालर अमरीका के लिये तथा 15 पौंड इंग्लैंड तथा यूरोप के लिये दिया जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि संसद सदस्यों को केवल 20 डालर अमरीका जाने के लिये दिया जाता है तथा 6 पौंड यूरोप जाने को दिया जाता है। यह सब किन कारणों से दिया जाता है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : विदेशी मुद्रा देने के लिये तीन श्रेणियां बना रखी हैं। एक है 45 डालर तथा 15 पौंड, वह सब से अधिक है। दूसरी श्रणी है 35 डालर तथा 10 पौंड और तीसरी श्रेणी है 125 रूपया तथा 100 रूपया की। मुझे दुःख है कि हम संसद सदस्य क्योंकि कुछ विदेशी मुद्रा नहीं कमाते है। इस लिये हम तीसरी श्रेणी आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी अपने इलाज के लिये केवल 10 पौंड दिया गया। अब यह आरोप लगा है कि इसी कार्य के लिये एक उद्योगपति को 1000 पौंड दिये गये ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसकी जांच करूंगा कि एक आदमी को स्वास्थ्य सुधार के लिये 1000 पौंड दिये गये। मुझे श्री बनर्जी ने इस व्यक्ति का नाम नहीं बताया है।

श्री उ० मू० द्विवेदी : क्या वित्त मंत्री को यह भी पता चला है कि उस उद्योगपति को 10,000 पौंड उसके स्वास्थ्य सुधार के लिये देने के अतिरिक्त उसने इंग्लैंड तथा स्विजरलैंड से 10,000 पौंड का और इन्तजाम कर लिया था।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे स्वयं इसका ज्ञान पता नहीं है। मैं यह सूचना एकत्रित करूंगा और सदन के सामने रखूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : विदेशी मुद्रा की कमी के होते हुए जनता के धन का बर्बाद करना है कि एक साधारण नागरिक को तो 50 रूपया दिया जाता है तथा एक उद्योगपति को 2 करोड़ रूपया दिया जाता है ? क्या कारण है कि उस उद्योगपति को संसार में भ्रमण करने के लिये 2 करोड़ रूपया दे दिया। इसे आप कैसे न्यायसंगत करेंगे।

श्री शचीन्द्र चौधरी : प्रश्न के पहले भाग में तो केवल विचार व्यक्त किये गये हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूं। दूसरे भाग के लिये मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं यह सूचना एकत्रित करके सदन के सामने रखूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री इसकी कभी न्यायसंगत नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य इस पर आगे चर्चा करना चाहते हैं तो दूसरे प्रक्रिया के अन्तर्गत कर सकते हैं।

मकानों के निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

+

*449. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1965-66 में देश में मकानों के निर्माण के लिये बीमाधारियों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं ; और

(ख) क्या देश में, विशेषकर दिल्ली में, मकानों की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए ऋण देने का लक्ष्य बढ़ाया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भागत) : (क) 'अपना घर बनाओ' योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1965-66 में (31 दिसम्बर 1965 तक) स्वीकृत ऋणों की संख्या 897 और स्वीकृत ऋणों की कुल रकम 2,51,33,850 रुपये है जिसमें से 1,75,89,620 रुपये वितरित किये गये।

(ख) जिन केन्द्रों में यह योजना चल रही है उनमें से कहीं भी, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, ऋण देने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

Shri Yashpal Singh : Have any calculations been made regarding the funds allotted to villages and the funds allotted to cities ?

Shri B. R. Bhagat : This scheme covers cities only there are 118 cities under this scheme. There is a separate scheme for villages.

Shri Yashpal Singh : May I know the number of applications received and the number of those applications which have been approved ?

Shri B. R. Bhagat : I have already given information about Delhi. 479 applications have been sanctioned. I have no information about the number of applications received.

Shri P. L. Barupal : May I know whether it is a fact that this scheme of house building introduced by the life Insurance Corporation is not applicable to Bikaner Division and this facility has not been provided there in big cities like Ganganagar ?

Shri B. R. Bhagat : I will see to it, whether Bikaner is covered or not under this scheme.

Shri Hukamchand Kachhavaiya : May I know whether it is a fact that applications received for grant of house building advances are delayed for a long-time, say upto six months and they are sanctioned after that ? Have any complaints to the effect been received that these applications are not sanctioned unless bribe is offered to high officers ?

Shri B. R. Bhagat : These complaints had been received many a time and the Life Insurance Corporation had considered them. They have authorised their Zonal offices to sanction these applications to a certain extent so that their sanction is not delayed for a long time.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I have asked about the quick disposal of this applications.

Mr. Speaker : He says that local offices have been authorised to sanction the applications. This will eliminate delay. This is what he means to say.

Shri Sarjoo Pandey : The scheme introduced by Government to sanction house building loans is confined to a few cities only. May I know whether Government propose to extend this scheme to all persons, who are insured by the Life Insurance Corporation ?

Shri B. R. Bhagat : It all depends upon resources. We are trying to extend this facility in all cities after due investigation, whenever sources are available.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : काफी समय पहले सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने जीवन बीमा निगम की गृह निर्माण ऋण योजना की विशेष रूप से आलोचना की थी और यह सिफारिश की थी कि इस में समूचित परिवर्तन किया जाय तथा एक अधिक प्रभावी और उदार नीति अपनाई जाये। सरकार उस सिफारिश पर क्या विचार कर रही है, कहा तक उसे स्वीकार किया गया है तथा सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां, बहुत सी सिफारिशें हैं। उन पर आंशिक रूप से निर्णय नहीं किया जाता। जैसा अपेक्षित है हम सभा में एक प्रतिवेदन पेश करेंगे।

श्री मणियांगाडन : मंत्री महोदय ने कहा था कि इस योजना को और अधिक नगरों में लागू किया जायेगा। क्या ऐसा किया गया है, और यदि हां, तो कहां तक ?

श्री ब० रा० भगत : ज्यों ज्यों प्रशासनिक तथा अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध होता जाता है, इस योजना का विस्तार किया जाता है। फिलहाल यह 118 केन्द्रों में लागू है।

श्री दाजी : प्रतिवेदन में एक महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डाला गया है, जिस कि जांच सरकार अपने आंकड़ों द्वारा कर सकती है और वह यह है कि सारे ऋण केवल उच्च वर्ग के व्यक्तिकों को दिये जाते हैं, जबकि इस की अधिक आवश्यकता निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिये है। क्या इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : यह विशेष योजना निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिये भी है, क्यों कि इस के अन्तर्गत न्यूनतम 7,500 रुपये की धनराशि का उपबन्ध किया गया है।

श्री दाजी : योजना में उपबन्ध तो किया गया है, परन्तु इस की व्यवहारिक क्रियान्विति से पता चलता है कि केवल उन व्यक्तियों को ऋण दिये गये हैं, जिनकी पालिसी 50,000 रुपये से अधिक है।

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं, इस का पालिसियों से संबन्ध नहीं है। जो कोई भी सरकारी नौकरी में है अथवा जिसकी आय नियमित है वह ऋण प्राप्त करने का पात्र है।

श्री दाजी : परन्तु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं किया गया है।

Shri Rameshwaranand : In my opinion the Hon. Minister is not aware about the difficulties that have to be faced by those, who apply for house building loans. They have to visit and re-visit the concerned offices and the result is that hundreds of rupees are spent unnecessarily. May I know whether Government propose to simplify the procedure of granting loans for house building, so that the

applicants may be saved from paying frequent visits to the offices and spending money unnecessarily. This would save a lot of inconvenience being faced by the applicants if they are sanctioned advances at the place from which they are applying after due verification and investigation.

Shri B. R. Bhagat : I have stated that it is not necessary now to sent all the applications to Bombay. They may be disposed of at Delhi or in other zonal offices.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि बीमा कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग यह है कि उन्हें गृह निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम से कुछ ऋण दिया जाये ? क्या जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के लिये वर्ष 1966 अथवा वर्ष 1967 में कुछ धनराशि निर्धारित की गई है, और यदि हां, तो कितनी ?

श्री ब० रा० भगत : इस योजना के अन्तर्गत बीमा निगम कर्मचारी भी ऋण प्राप्त करने के हकदार हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु उन्हें यह प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री ब० रा० भगत : यह जानकारी देने के लिये कि वास्तव में कितनी धन राशि निर्धारित की गई है, मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : ऋण देने में अधिकतम कितना समय लगता है और क्या यह सच नहीं है कि यह ऋण राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले ऋण से अधिक कड़ी शर्तों पर दिया जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : शर्तें अधिक कड़ी नहीं है, बल्कि ये अधिक अनुकुल हैं । इस कारण से इस की बहुत मांग है। ऋण देने में जो समय लगता है, उसे कम करने के प्रयत्न किये जा रहे है, सामान्यतया यह आशा की जाती है कि ऋण देने में दो तीन महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा प्रश्न यह था कि वास्तविक शर्तें क्या हैं तथा ऋण देने में अधिकतम कितना समय लगता है । मैंने नियमों के बारे में नहीं पूछा है ।

श्री ब० रा० भगत : नियम यह है कि दो तीन महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिये ।

श्री सेझियान : माननीय मंत्री ने बताया कि यह योजना 118 नगरों में लागू है तथा कुल 497 प्रार्थना पत्रों में विचार किया गया है और उन्हें मंजूर किया गया है । यह तो 5–6 प्रतिशत से भी कम है । हमारी जनसंख्या को देखते हुये यह बहुत कम प्रतिशत है ।

श्री ब० रा० भगत : सारे देश में 12 करोड़ रुपये के ऋण के लिये कुल 4,390 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है । इन में से 1,836 मंजूर किये गये है, जिन की धन राशि 4.9 करोड़ रुपये है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिये ऋण देने की क्या विशेष सुविधायें दी गई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को गृह निर्माण ऋण देने के लिये राज्य सरकारों की एक विशेष योजना है, जिसे पहले ही जीवन बीमा निगम सहायता दे रहा है । यह योजना निम्नतर आय वर्ग विशेषतया निश्चित वेतन पाने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है ।

श्री रंगा : क्या माननीय मंत्री तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रियों ने, जीवन बीमा निगम द्वारा निम्न वेतन वाले कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये भी अपनी योजना में सुधार करने के बारे में और गृह निर्माण की सुविधायें न केवल बड़े नगरों में परन्तु मध्यम नगरों में भी देने के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सुझावों पर पूर्ण विचार कर लिया है तथा इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद क्या उन्होंने कोई निर्णय किया है ?

श्री ब० रा० भगत : जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं बहुत सी सिफारिशें की गई है तथा उन पर जीवन बीमा निगम के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इस संबंध में हम एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे।

श्री रंगा : "विचार किया जा रहा है" बहुत भ्रामक उत्तर है। इस में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई।

सभापति महोदय : वे अपने निर्णय सभा-पटल पर रखेंगे।

श्री ब० रा० भगत : सामान्यतया यही प्रथा है।

कोसी नदी पर बांध

+
*450. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री राम मनोहर लोहिया** :
श्री बागड़ी : **श्री उटिया** :
श्री विश्राम प्रसाद : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री कोसी नदी पर बांध के बारे में 9 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 747 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी नदी पर दूसरा बांध बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने की सम्भावना है और उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) : अभी नहीं, श्रीमन्। कोसी नदी की अवशिष्ट समस्याओं की जांच करने के लिये बिहार सरकार द्वारा स्थापित तकनीकी समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether it will be necessary to get the consent of the Government of Nepal in this Matter ?

डा० कु० ल० राव : नेपाल सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है, परन्तु हमें उन्हें सुचित करना होगा।

Shri Yashpal Singh : May I know Government's intentions behind the constructions of this barrage, whether it would be constucted for the purpose of irrigation or for the purpose of electricity ?

डा० कु० ल० राव : यदि बांध के निर्माण का निर्णय किया जाता है, तो इस के बहुतसे लाभ होंगे। इस से नदी पर नियंत्रण किया जा सकेगा, सड़क यातायात के लिये पुल बनाया जायेगा, रेलवे लाइन का सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा तथा सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त होगी।

Shri Viswanath Pandey : If Government decide upon to construct a barrage on Kosi river, may I know the place where it will be constructed ?

डा० कु० ल० राव : यदि बांध के निर्माण का निर्णय किया गया तो इसे वर्तमान बांध से 25 किलो मिटर की दूरी पर डागमारा नामक स्थान पर बनाया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the amount that will be be spent on the construction of this barrage and the benefits of this barrage ? By what time a final decision will be taken in this regard ?

डा० कु० ल० राव : इस बांध की लागत 25 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये की बीच होगी। इस के लाभों के बारे में मैं पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं। यह बताना संभव नहीं है कि इसे कब तक पूरा किया जायेगा, क्योंकि अभी यह निर्णय नहीं किया गया है कि इसे बनाया जाय अथवा नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री को विदित है कि नदी के इस पार रहने वाले व्यक्तियों के लिये रेलवे संपर्क नहीं है तथा वे सदा नियंत्रणहीन नदी के प्रकोप शिकार बने रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बांध की वांछनीयता के बारेमें तकनीकी समिति के लिये प्रतिवेदन पेश करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की है अथवा यह उन की इच्छा पर निर्भर है ?

डा० कु० ल० राव : अप्रैल मास में प्रतिवेदन प्राप्त होने की संभावना है।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि एक सड़क पुल तथा एक रेल पुल भी बनाया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन का मंत्रालय यह कार्य करेगा तथा क्या रेलवे मंत्रालय तथा परिवहन मंत्रालय से सलाह ले ली गई है और क्या उन्होंने अपनी सहमती दे दी है ?

डा० कु० ल० राव : यदि यह पुल बनाया जायेगा, तो इसे सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा बनाया जायेगा।

विश्व बैंक द्वारा सहायता

+

*451. **श्रीमती सावित्री निगम** :

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों में भारत को विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण में धीरे धीरे कमी होने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, इसमें कोई कमी नहीं हुई है। सहायता की मात्रा, जिसका उल्लेख नये स्वीकृत ऋणों के रूप में किया जाता है, ऋण-प्रस्तावों की छानबीन और इस सम्बन्ध में होने वाली बातचीत की प्रगति पर निर्भर रहती है और ऋण की प्रतिमास मिलने वाली रकम से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। भारत सहायता संघ (कंसार्शियम) की बैठकों में विश्व बैंक द्वारा समय समय पर जितनी सहायता का संकेत दिया जाता रहा है उसका स्तर एक सा रहा है और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इसमें कमी होगी।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या विश्व बैंक का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि उस की ब्याज तथा सेवा भार की दरें विशेषतया विकासोन्मुख देशों के लिये बहुत अधिक हैं और यदि उत्तर 'हां' में हो तो विश्व बैंक की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : वार्ता के दौरान हम उन बातों पर विचार करते हैं जो सेवा-भार तथा कर की दरों को कम करने के उद्देश्य से संगत हो। आखिर ऋणदाता तो होशियार होता ही है, फिर भी हम अच्छे से अच्छा सौदा करने का प्रयत्न करते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि विकासोन्मुख देशों के लिये अधिक संयुक्त तथा दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता है और यदि हां तो उन की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार कहां तक अपने प्रयोजन में सफल हुई है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक विश्व बैंक का संबंध है वहां हम कुछ उद्देश्यों से ऋण प्राप्त करने के लिये जाते हैं। संयुक्त ऋण का प्रश्न जब उठता है तब हमें किसी देश अथवा सरकार से ऋण प्राप्त करना होता है और तब यह प्रश्न उठता है कि ऋण की धनराशि को व्यय किया जा रहा है अथवा नहीं और वह विशेष देश ऋण देना स्वीकार करता है अथवा नहीं।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the total amonut of loans which Government of India want to get under various heads of the World Bank and whether it is a fact that the world Bank has redued the amount of its loans due to the fact that their payment is not being made properly ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated that no reduction has been made and you are saying that reduction has been made.

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether it is also a reason.....

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा कि मैं ने कहा है विश्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में कोई कमी नहीं हुई है और इस लिये शेष प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में होता यह है कि जब कोई ऋण मांगा जाता है तो विश्व बैंक उसे खर्च करने की प्रक्रिया की स्वयं जांच करना चाहता है तथा प्रक्रिया के अनुसार कभी इस जांच में समय लग जाता है और कभी नहीं लगता। जितना अधिक ऋण होता है उतना ही अधिक समय लगता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : कुल ऋण कितना है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति, उन का विचार है कि ऋण में कमी की गई है और मंत्री महोदय इस से इंकार करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the reluctence of the World Bank to grant further loans to India is due to the fact that India incurs heavy liabilities in the form of interest that she has to pay to the various creditor countries ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी नहीं, विश्व बैंक भारत की समूची स्थिति तथा आवश्यकताओं पर विचार करता है और उस विशेष प्रक्रिया पर विचार करता है जिस से ऋण की मांग की जाती है तथा इस आधार पर ऋण देना स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I have said that keeping in view the fact.....

Mr. Speaker : He has stated that there is no decline.

श्री ही० ना० मुकर्जी : हम एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व बैंक कोई ऋण देने से पहले, जिसे हम ब्याज सहित वापस करते हैं, हमारी परियोजना की वांछनीयता की जांच करता है। क्या यह हमारी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता के विरूद्ध नहीं है क्योंकि हो सकता है हम अपनी परियोजना को विश्व बैंक की सिफारिश से भिन्न रुप में क्रियान्वित करना चाहें ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : विश्व बैंक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्रों के अंशदान से प्रारम्भ किया गया है और हम उस के सदस्य हैं अतः इसी कारण से हम उस के नियमों के अधीन हैं। यह स्वाभाविक है कि ऋणदाता उस परियोजना की जांच करना चाहता है जिस के लिये ऋण दिया जाता है। यह ऋण वापस किया जाता है। मैं नहीं समझता कि विश्व बैंक से ऋण मांगने से हमारी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता में कोई कमी आती है अथवा इस का हनन होता है।

श्री त्यागी : चूँकि संसद् विदेशी समझौतों तथा समस्त राष्ट्र के उत्तरदायित्वों के लिये मुख्यतया जिम्मेदार, है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने लोक लेखा समिति की इस सिफारिश पर कि संसद् की पूर्ण मंजूरी के बिना कोई और ऋण न लिया जाये, क्या निर्णय किया है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक लोक लेखा समिति की सिफारिशों का संबंध है, सरकार उन पर पूर्ण गम्भीरता है विचार करती है।

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि सरकार ने और स्वयं वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि देश में धन की काफी मात्रा गैर-योजना मदों पर व्यय की जा रही है, क्या सरकार की यह नीति है कि उधार लिया हुआ धन केवल विकास परियोजनाओं के लिये प्रयोग में लाया जायेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : वास्तव में सरकार यह चाहती है की उधार लिये गये धन की केवल उन योजनाओं पर खर्च किया जाय, जिस से सब से अधिक लाभ हो। हम विकास और योजना के लिये ऋण ले रहे हैं तथा उसे उसी उद्देश्य से खर्च किया जा रहा है। मेरे लिय तुरन्त यह कहना संभव नहीं है कि गैर-योजना कार्यों में कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता, जिसका उद्देश्य विकास हो।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

Question hour over.

Power shortage in Rajasthan

S.N.Q.No. 6. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Yashpal Singh :** **Shri Prakash Vir Shastri :** **Dr. L. M. Singhvi :**

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of the shortage of power supply from Gandhi Sagar Dam, many industries and the Railway Workshop have been closed down in District Kotah in Rajasthan ;

(b) if so, the number of workers rendered unemployed as a result thereof ; and

(c) the steps being taken by Government to remove this shortage ?

The Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c). A statement is laid on the Table o the House. **[Placed in Library see No. L. T. 5733/66]**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The water of Gandhi Sagar Dam was pumped off for breeding fishes. Afterwards as the rains failed, sufficient water required for generation of electricity could not be collected. Is this the main reason for short supply of electricity?

डॉ० कु० ल० राव : माननीय सदस्य का अनुमान सही नहीं है। बांध में पानी की कमी के दो कारण थे—पहला यह कि वर्ष 1963 में जितनी बिजली के लिये यह बांध बनाया था उस से अधिक बिजली उत्पन्न की गई थी; दूसरे वर्ष 1964 और 1965 में लगातार वर्षा न होने के कारण यह कमी पैदा हो गई।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Electricity is supplied to Rajasthan and Madhya Pradesh by Gandhi Sagar Dam. So I want to know the original power generating capacity of this Dam; and whether Government have ascertained the number of small and big industries in Madhya Pradesh and Rajasthan which have been adversely effected and the number of workers who have been rendered unemployed as a result of this cut in electricity.

डा० कु० ल० राव : राजस्थान तथा मध्य प्रदेश गांधी सागर बांध में बराबर के हिस्सेदार हैं। इस लिये उन्हें बराबर बराबर बिजली दी जाती है। मूलत : वहां 9 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन पैदा कि जाती थी। आजकल 2 लाख यूनिट पैदा की जा रही है। यह उन में बराबर बराबर बांटी जाती है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I have asked about the number of industries which have been closed down.

डा० कु० ल० राव : मैंने विवरण में बताया है कि कोई उद्योग बन्द नहीं हुआ।

Shri Prakash Vir Shastri : The power generating capacity of Gandhi Sagar Dam has been reduced due to Shortage of water. I want to know whether Government has taken a decision that essential services should be given supply on priority basis, and no cut be imposed in the supply of power for agriculture and industries and this cut may be imposed on the supply of power for entertainment purposes like cinema etc.

डा० कु० ल० राव : बिल्कुल ऐसा ही किया गया है। कृषि पैम्पींग तथा जल सप्लाई योजनाओं के लिये बिजली की सप्लाई में कोई कमी नहीं की गई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में बिजली की कमी इस बांध की योजना और कल्पना में गलती के कारण हुई है अथवा वर्ष 1963 में अधिक पानी निकालने के कारण हुई है और क्या सरकार के विचार में इस कमी का मुकाबला करने के लिये किये गये प्रबन्ध पर्याप्त हैं तथा क्या वे यह सुनिश्चित करने की स्थिति में है कि इस कमी के कारण राजस्थान के औद्योगिक विकास पर अधिक कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

डा० कु० ल० राव : मैं पहले ही वे कारण बता चुका हूं जिन से बांध में पानी की कमी हुई है। पहला कारण अधिक पानी का निकालना तथा दूसरा कारण वर्षा का न होना है। दूसरे प्रश्न के बारे में कि क्या राजस्थान को बिजली की सप्लाई का आश्वासन दिया जा सकेगा, मेरा उत्तर 'हां' में है। हम ने इस संबंध में बहुत से कदम उठाये हैं जैसे सत्तपुड़ा बिजलीघर, भागड़ा प्रणाली अणुशक्ति इत्यादि का उत्पादन। राजस्थान को अगले एक या दो वर्षों के लिये बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर भी हम पड़ोसी क्षेत्रों के साथ बिजली की लाइनों को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि पड़ोसी क्षेत्रों से बिजली कि सप्लाई की जा सके। हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी ऐसी संभावना है कि इस वर्ष राजस्थान में बिजली की कठिनाई बनी रहेगी।

Shri Onkar Lal Berwa : I am sorry to point out that the Minister has told a white lie and has said that no industry has been closed, while the fact is that 15 hundred employees of the Lakshmi Railway workshop have been rendered unemployed and they are being paid half days wages.

Mr. Speaker : Order, order. The hon. Minister has not distorted the facts knowingly and as such it cannot be said that he has told a lie. It may be possible that the Minister might have been given a wrong information. He has only disclosed the information received by him. The hon. Member should not use such harsh and unparlimentary language. He should maintain the decorum of

this House. We should observe a certain standard of behavier while dealing with each other in Parliament. It would undermine the reputation of this Parliament in the eyes of the world, if we indulge in such recreminations.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether a similar notice was given to Lakshmi workshop also as was done in case of other industries and who is responsible for the loss suffered ? I would like to know the steps being taken to ensure proper functioning to this factory in future.

डा० कु० ल० राव : मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिये विशेष कदम उठाये गये है। जहां तक संभव हो सही जानकारी प्राप्त करने के लिये उस क्षेत्र में एक विशेष अधिकारी भेजा गया था। उन की सूचना के अनुसार तथा राजस्थान सरकार की सूचना के अनुसार किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। दूसरी ओर इस मास रेलवे वर्कशाप में 270 डिब्बों की बजाय 350 डिब्बों की मरम्मत की गई है ।

इस प्रश्न के संबंध में कि क्षति की पूर्ति कौन करेगा, यह दुर्भाग्य की बात है कि इस के लिये कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। यह हानि वर्षा न होने के कारण हुई है। चुँकि वहां पर पन-बिजली का प्रबन्ध है, इसलिये इस हानि को टाला नहीं जा सकता था। अतः इस नुकसान को सहन करना होगा।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether they were given notice or not ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते है कि क्या उन्हें पूर्व सूचना दी गई थी।

डा० कु० ल० राव : जी हां, जब भी हमें किसी कठिनाई की संभावना होती है, हम हमेशा सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित करते हैं।

श्री के० दे० मालवीय : क्या सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि यद्यपि पन विद्युत की लागत मूल्य अपेक्षाकृत कम है तथापि वर्षा के अनियमित होने के कारण हमें पुनः भाप से पदा होने वाली विद्युत के उत्पादन पर विचार करना होगा ?

डा० कु० ल० राव : हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखते है कि बिजली पैदा की जाये उसमें पन बिजली तथा ताप बिजली में एक विशेष अनुपात रखा जाय। राजस्थान में भी यह प्रयत्न किया जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में ताप बिजली का उत्पादन किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री के वक्तव्य में जिन प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है मैं उन की सरहाना करता हूं परन्तु उससे यह स्पष्ट है कि आगामी दो वर्षों में कोई विकास नहीं किया जायेगा। इस संदर्भ में गुजरात से प्राप्त की जाने वाली लगभग 20,000 किलोवाट बिजली का उल्लेख किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि आगे विकास संभव नहीं हो तो भी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि गतिरोध पैदा न हो, और क्या अन्य प्रयत्न किये जा रहे हैं।

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि हम इलाहाबाद से बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश दिसम्बर, 1966 के बाद गुजरात सरकार हमें यह बिजली न दे सकेगी। दिसम्बर 1966 तक भी उसे प्राप्त करने के लिये हमें नई लाइन लगानी होगी, जिनकी लागत एक करोड़ रुपये होगी और यह लाइन अक्तूबर के अन्त तक पूरी हो सकेगी। अतः इस का अर्थ यह होगा कि केवल दो महीने तक बिजली प्राप्त करने के लिये इतनी अधिक धन राशि खर्च की जाय। इस लिये हमें इस प्रस्ताव को छोडना पड़ा है। अधिक मात्रा में बिजली प्राप्त करने के लिये हम सत्तपुड़ा बिजली घर के निर्माण में शीघ्रता कर रहे है जिस में राजस्थान 2/5 हिस्सा है। हमें आशा है अक्तूबर तक यह पूरा हो जायेगा।

श्री कपूरसिंह : क्या सरकार की दृष्टि में महात्मा गांधी के नाम पर बने बांध में मानव के आहार के लिये मछलियां पालन आपत्ति जनक नहीं है ?

डा० कु० ल० राव : इस में कोई बुराई नहीं है । मछलियों से बिजली का उत्पादन समाप्त नहीं हो जाता ।

श्री दाजी : माननीय मंत्री द्वारा दी गई सूचना सर्वथा गलत है, क्योंकि बिजली की सप्लाई में की गई 50% कटौती के कारण उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इस के कारण आधे राजस्थान तथा आधे मध्य प्रदेश में तो सड़कों की बत्तियां भी नहीं जल रही है । कृपया आप इस की जांच करें । अब मैं अपना प्रश्न पूछता हूं । माननीय मंत्री ने कहा है कि इस कमी का कारण वर्ष 1963–64 में अधिक पानी का निकालना है । क्या माननीय मंत्री को विदित है कि मध्य प्रदेश सरकार अब तक भी इस बात से सहमत नहीं है कि अधिक मात्रा में पानी निकाला गया था । यदि माननीय मंत्री द्वारा कही गई बात सच है तो क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच अधिक समन्वय स्थापित किया जाये, ताकि भविष्य में मध्य प्रदेश सरकार अधिक पानी न निकाल सके ? चम्बल को अमरकंटक से मिलाने के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

डा० कु० ल० राव : अधिक मात्रा में पानी निकालने के बारे में तर्क की गूंजाइस नहीं है । हमारे पास आंकड़े उपलब्ध ह और मध्य प्रदेश सरकार ने यह नहीं कहा है कि उन्होंने अधिक मात्रा में पानी नहीं निकाला । वास्तव में यह क्षमता से अधिक निकाला गया । जबकि क्षमता 9 लाख यूनिट प्रतिदिन की है तब भी पूरे 13 महीनें तक 18 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से पानी निकाला जाता रहा है । चम्बल को अमरकंटक से मिलाने के बारे में जबलपुर-इटारसी लाइन के बनाने में शीघ्रता की जा रही है और हम आशा करते हैं कि मार्च के अन्त तक यह पूरी हो जायगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Medical Colleges and Hospitals

*453. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri P. C. Borooah** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Bhagwat Jha Azad** :
Shri Jagdev Singh Siddhanti : **Shri Subodhi Hansda** :
Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta** :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether some new Medical Colleges are likely to be opened this year ;

(b) whether Government are preparing an attractive scheme for doctors in view of their shortage in the villages ; and

(c) whether any information has been collected from the States regarding the number of hospitals functioning there without doctors ?

The Minister of Health & Family Planning (Dr. Sushila Nayer) :

(a) Yes, Sir.

(b) Government have under consideration certain proposals to induce fresh Medical Graduates to serve in rural areas.

(c) Yes, Sir. A statement is laid on the Table of this Sabha.

Statement

(Based on current replies)

Name of the State/Administration	No. of Hospitals working without doctors	No. of Dispensaries working without doctors
(1)	(2)	(3)
Assam	nil	110
Bihar	nil	88
Gujarat	1	5
Kerala	nil	105
Maharashtra	nil	nil
Madhya Pradesh	nil	117
Uttar Pradesh	nil	350
Punjab	126 hospitals and dispensaries	
West Bengal	nil	nil
Andamans & Nicobar	1	nil
Dadra & Nagar Havelli	nil	nil
Delhi	nil	nil
Goa, Daman & Diu	nil	nil
Himachal Pradesh	nil	nil
Laccadive, Minicoy, Amindive Islands	nil	nil
NEFA	...	26 Primary Health Units.
Pondicherry	nil	nil
Tripura	nil	nil

From the other States, replies are awaited.

रूस से ऋण

*454. **श्री कर्णी सिंहजी :** **श्री बालकृष्ण सिंह :**

श्री विश्वनाथ राय : **श्री हेम बरुआ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी सहयोग के साथ स्थापित किये गये उद्योगों के लिये पुर्जों का आयात करने के हेतु भारत को वाणिज्यिक ऋण, जो 10 वर्ष की अवधि में वापिस लौटाया जायेगा, देने के लिये रूस सहमत हो गया है;

(ख) ऋण की राशि कितनी है तथा ऋण का भुगतान किन शर्तों पर किया जायेगा; और

(ग) इस ऋण का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सोवियत संघ ने (क) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सहायता से स्थापित किये गये प्रतिष्ठानों के पुराने पड़ गये साजसामान की जगह लगाया जाने वाला नया साजसामान और (ख) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सहायता से स्थापित किये गये प्रतिष्ठानों के उत्पादन-कार्यक्रम को पूरा करने के लिये आवश्यक साजसामान, 10 वर्ष की विलम्बित अदायगी के आधार पर देना स्वीकार कर लिया हैं।

(ख) ऋण की अदायगी की शर्तें ये हैं :—

(i) करार (कण्ट्रैक्ट) पूरा होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर, कुल मूल्य का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत;

(ii) पोत परिवहन प्रलेखों (शिपिंग डाक्यमेंट) पेश किये जाने पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत; और

(iii) बाकी 85 प्रतिशत रकम बराबर बराबर की 20 छमाही किस्सों में अदा की जानी है। पहली किस्त, कलण्डर वर्ष के पूर्वार्ध में पहुंचे माल के सम्बन्ध में पहली अक्तूबर को, और पहले के कलण्डर वर्ष के उत्तरार्ध में पहुंचे माल के सम्बन्ध में पहली अप्रैल को देय होगी।

ऋण की रकम की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है और अनुमान है कि सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ द्वारा 1966 से 1970 तक के पांच वर्षों में भाग (क) में उल्लिखित जो वस्तुएं दी जायेंगी, वे इस विलम्बित अदायगी के आधार पर दी जायेंगी।

(ग) विचार यह है कि सोवियत सहायता-प्राप्त प्रयोजनाओं के लिये मशीनों के हिस्से और पुराने साजसामान को बदलने के लिये नया साजसामान मंगाने के लिये इस सुविधा से लाभ उठाया जाय, ताकि इन कारखानों के चौथी पंचवर्षीय आयोजना के उत्पादन-लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

बीमा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन

*455. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : **श्री घुलेश्वर मीना** :
श्री यशपाल सिंह : **श्री रामचन्द्र उलाका** :

क्या **वित्त** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमंडल के भूतपूर्व सचिव द्वारा बीमा सम्बन्धी समस्याओं पर पेश किये गये अध्ययन प्रतिवेदन का स्वरूप क्या है ; और

(ख) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : श्री खेड़ा ने जीवन तथा सामान्य बीमा सम्बन्धी कुछ समस्याओं, अर्थात जीवन बीमा निगम के प्रशासन, जीवन निधियों के निवेश की समस्या और फिर से बीमा कराने की समस्या पर अपने अध्ययन के परिणाम पेश कर दिये हैं। सरकार इन पर विचार कर रही है।

आसाम में बाढ़ नियंत्रण उपाय

*456. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया के बाढ़ नियंत्रण विशेषज्ञ दल ने जिसने आसाम का दौरा किया था आसाम में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन बाढ़ नियंत्रण उपायों के बारें में एक प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) बाढ़ नियन्त्रण उपायों का अध्ययन करने के लिये कोई जैच विशेषज्ञ असम नहीं गये है। किन्तु, राज्य सरकार के निमन्त्रण पर कलकत्ता की यूगोस्लाव फर्म के विशेषज्ञों के एक दल ने नवम्बर, 1965 में डिब्रूगढ़ में मोहनघाट क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का निरीक्षपण किया, जहां कि बाढ़ और भूकटाव के नियन्त्रणार्थ असम बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड में हुए फसलों के अनुसार प्रयोगात्मक ड्रेजिंग करने का विचार है। राज्य सरकार फर्म से रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय नियम

*457. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले 28 दिसम्बर, 1965 के 'इण्डियन नेशन' (प्रातःकालीन संस्करण) में प्रकाशित भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, श्री एक० क० राय के इस भाषण की ओर दिलाया गया है कि वित्त सम्बन्धी नियम हमें ब्रिटिश राज से विरासत में मिले हैं जो हमारी जनता के अनुकूल नहीं हैं और पुराने नियमों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है क्योंकि उनमें से कई नियम अब बेकार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) यह स्पष्ट नहीं है कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक भारत सरकार के नियमों का उल्लेख कर रहे थे या राज्य सरकारों के नियमों का। चूंकि उन्होंने किसी खास नियम या नियमावली का जिक्र नहीं किया है और न कोई ठोस सुझाव ही दिये हैं, इसलिये भारत सरकार कोई राय नहीं बना सकती और सिर्फ इतना ही कह सकती है कि उसके अपने वित्तीय नियमों की बराबर जांच की जाती रही है और आवश्यकता के अनुसार उनको व्यापक बनाया जाता रहा है। यदि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने कोई सुझाव दिया तो उस पर, हमेशा की तरह, गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

ब्यास परियोजना

*458. **श्री दी० चं० शर्मा** :

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायता प्राप्त होने में अनिश्चितता के कारण ब्यास परियोजना सम्बन्धी कार्य रुक गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को चालू रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुखा से प्रभावित क्षेत्रों को राहत

*459. **श्री हेमराज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन्हीं क्षेत्रों को दुर्भिक्ष ग्रस्त घोषित करने तथा विभिन्न राज्यों के लिये राहत की मात्रा निर्धारित करने की विधि के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य नियमों में संशोधन करने का क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। केवल राज्य सरकारों को सहायता सम्बन्धी खर्च के लिये वित्तीय सहायता देने की नीति में संशोधन करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्ताव का ब्यौरा अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में समाज सेवाओं के लिये नियतन

*460. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में समाज सेवाओं के नियतन में कुल कितनी कटौती की गई है; और

(ख) विभिन्न राष्ट्र-निर्माण सेवाओं में यह कटौती किस प्रकार की जा रही है?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में समाज सेवाओं के नियतन में कोई कटौती नहीं हुई है। 1964–65 में 318.4 करोड़ रुपये के सम्भावित खर्च के अनुपात में 1965–66 के लिये बजट अनुमान 411.3 करोड़ रुपय का है और सम्भावित खर्चा लगभग 413.9 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषधों के आयात पर प्रतिबन्ध

*461. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री किशन पटनायक** :
श्री मधु लिमये : **श्री मौर्य** :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कुछ अत्यावश्यक औषधों के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध तथा अन्य दवाइयों के आयात पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण चिकित्सा क्षेत्र में भारी संकट पैदा हो गया है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस के परिणामस्वरूप गंभीर रोगों के इलाज में अत्यधिक कठिनाई हो रही हैं तथा दवाइयों और औषधों की चोर बाज़ारी हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) सरकार ने किसी अनिवार्य औषधि के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। तथापि पाकिस्तान से होने वाले संघर्ष के कारण आयात योग्य औषधियों की सूची को संक्षिप्त कर दिया गया था ताकि उसमें अत्यधिक अनिवार्य औषधियां सम्मिलित हो जायें और यह सुनिश्चित हो जाये कि उपलब्ध विदेशी मुद्रा की सीमित राशि से अधिक से अधिक अनिवार्य औषधियां आयात की जा सकें। अन्य औषधियों को भी, यदि वे अनिवार्य समझी जाय तो, स्थापित आयातकों द्वारा आयात करने की अनुमति दे दी जा ी है।

(ख) औषधियों की कमी के कारण चिकित्सा संस्थाओं में किसी प्रकार क संकट अथवा गम्भीर रोगों के उपचार में कठिनाइयों के बारे में सरकार को रिपोर्ट नहीं मिली है तथापि एक्स-रे के लिए कण्ट्रास्ट मीडिया, कैंसर-रोधी औषधियां, थियोपेण्टौन सोडियम जैसी विशेष संवेदनाहारक औषधियां, औषध प्रतिरोध मामलों के लिये क्षय निरोधी औषधियां जैसी कुछ विशेष औषधियों की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है। उन मामलों में उन के आयात के लिये आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक से तदर्थ लाइसेन्स मंजूर करने की सिफारिश की गई। औषधियों तथा दवाइयों की चोर बाजारी की कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है।

(ग) कमी के कारण उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(1) रुपये वाले स्रोतों से 1.3 करोड़ रुपये की एक तदर्थ अधिकतम सीमा मंजूर की गई थी और राज्य व्यापार निगम ने अनिवार्य कच्ची औषधियों के आयात के लिये ठेका ले लिया है। माल का पहला जहाज आ चुका है और इसकी निकासी हो रही है।

(2) राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे कच्ची औषधियों के आयात के लाइसेन्स मंजूर करते समय अननिवार्य औषधियों की छंटनी कर ले।

(3) आयात व्यापार नियंत्रण नीति में प्रकाशित अनिवार्य औषधियों की इस सूची को संशोधित कर दिया गया ताकि इसमें केवल अत्यन्त अनिवार्य औषधियां ही रहें और स्थापित आयातक केवल उन्हीं का आयात कर सकें। वस्तु विनियम के सौदे तथा निर्यात उन्नति योजना लाइसेन्सों को भी केवल अत्यन्त अनिवार्य औषधियों के आयात के लिये ही वैध करार देने की सिफारिश की गई।

(4) निजी प्रयोग के लिए अपेक्षित विशेष औषधियों के आयात लाइसेन्सों के बारे में उदारता से काम लिया गया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहयोग से स्वदेशी स्रोतों से अनिवार्य औषधियां तैयार करन के प्रयास किये जा रहे हैं।

मद्रास में केन्द्रीय सरकार का होस्टल

*462. **श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कलकत्ता में स्थापित केन्द्रीय सरकारी होस्टल की भांति ही मद्रास में कोई होस्टल न होने के कारण वहां जाने वाले केन्द्रीय सरकारी पदाधिकारियों तथा संसदीय समितियों के सदस्यों को काफी असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मद्रास में भी इसी प्रकार का एक होस्टल बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) इस परियोजना का काम कब तक आरम्भ किये जाने तथा पूरा हो जाने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : मद्रास में होस्टल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हड्डोज रोड पर बन रहे कार्यालय भवन में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिये एक विश्रामगृह (रेस्ट हाउस) की व्यवस्था की जायेगी। इस वर्ष जून तक इस भवन के तैयार होने की संभावना है तब तक हड्डोज़ रोड पर रिहायशी फ्लैट नं० 12 में एक विश्रामगृह चलाया जा रहा है।

दामोदर घाटी निगम की लेखापरीक्षा

*463. **श्री महम्मद इलियास :**

डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से **दामोदर** घाटी निगम के लखापरीक्षा पर व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है हालांकि इस निगम के कार्यों में काफी कमी हो गई है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि लेखापरीक्षा अनुभाग में पर्याप्त काम न होने के बावजूद काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के नियुक्त किये जाने के कारण लेखापरीक्षा कर्मचारी अनावश्यक कामों में लगे रहते हैं जिससे समय तथा पैसे की बरबादी होती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना

*464. **श्री जसवन्त मेहता :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना के अन्तर्गत अब विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी रकम प्राप्त हुई है; और

(ख) क्या सरकार ने इस योजना को 28 फरवरी, 1966 के बाद तक जारी रखने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 8 माच, 1966 तक 27.20 करोड़ रुपये।

(ख) जी, हां। जैसा कि 23 फरवरी, 1966 की प्रेस विज्ञप्ति में घोषित किया गया था, यह योजना 31 मई, 1966 तक के लिये बढ़ा दी गयी है।

हंगरी से ऋण

465. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हंगरी का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था और उसने भारत को ऋण तथा आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल द्वारा किये प्रस्ताव का सही-सही ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) से (ग): अपनी हाल की भारत-यात्रा के समय हंगरी की जनतंत्रवादी गणराज्य के प्रधान मंत्री ने भारत के आर्थिक विकास के लिये 25 करोड़ रुपये का सरकारी सम्भरक (सप्लायस) ऋण देने की बात कही थी। भारत सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ऋण के ब्यौरे के सम्बन्ध में और साथ ही उन उद्देश्यों के सम्बन्ध में भी जिनके लिए इसका इस्तेमाल किया जायेगा, बाद में बातचीत की जायेगी।

उद्योग के लिये दुर्लभ कच्चा माल

*466. **श्री नारायण रेड्डी :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों के लिये दुर्लभ कच्चे माल के दीर्घकालीन आयात तथा वितरण के सम्बन्ध में योजना आयोग का विचार विस्तृत योजना आरम्भ करने के निमित्त एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न के आयात के लिये आंशिक रूप में डालरों में भूगतान

*467. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

श्रीमती मेमूना सुल्लतान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार की ओर से कोई एसा प्रस्ताव किया गया है कि भारत आयातित खाद्यान्नों के लिये भुगतान अंशतः डालरों में करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयात का कितना भुगतान डालरों में और कितना रुपयों में किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के चालू पब्लिक ला 480 के अधीन मंगाये गये अन्न के लिये भुगतान रुपयों में किया जाता है। लेकिन भाड़े की रकम डालरों में अदा करनी पड़ती है। अब तक किये गये करारों के अनुसार इन दोनों बा ों में से किसी में भी कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि दिसम्बर 1966 में, जब वतमान पब्लिक ला 480 की अवधि समाप्त हो जाय ी और नया अधिनियम उसका स्थान ले लेगा उस समय स्थिति क्या होगी।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

छिपाई हुई आमदनी का स्वेच्छापूर्वक बताया जाना

*468. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपाई हुई आमदनी को स्वेच्छापूर्वक घोषित करने की योजना सफल रही है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी रकम घोषित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस योजना से जैसे परिणामों की आशा थी वैसे परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

(ख) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार फरवरी 1966 के अन्त तक 27.26 करोड़ रुपये के छिपे धन की घोषणा की गई है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात में कटौती

*469. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री 2 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 623 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आयात को छोड़कर कुछ वस्तुओं के आयात में कटौती की जाए ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और आधार क्या है ; और

(ग) इसकी भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रतिक्रिया होगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जब आयात करने की आवश्यकता हो, तो उस समय प्रत्येक वस्तु के प्रस्ताव पर उसके गुण-दोषों के आधार पर अलग-अलग विचार करने का फसला किया गया है ।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

दिल्ली में चल रहे जाली नोट

*470. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्रीमती सावित्री निगम :

श्री काजरोलकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ समय से 100 रुपये तथा 10 रुपये के जाली नोट चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मामलों का पता लगाया जा चुका हैं; और

(ग) जाली नोटों के चलन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : पहली जनवरी, 1965 से 31 जनवरी, 1966 तक, दिल्ली पुलिस ने सौ रुपये के जाली नोटों के 57 मामले और दस रुपये के जाली नोट का एक मामला पकड़ा ।

(ग) जांच के लिये पुलिस नोटों को अपने कब्जे में ले लेती है और उन्हें आगे नहीं चलने दिया जाता । उपर्युक्त मामलों के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस ने 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और लगता कि इन लोगों की गिरफ्तारी से दिल्ली में जाली नोट चलाने वाले कुख्यात अपराधियों के गिरोह का खात्मा हो गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से सहायता की प्रार्थना

*471. **श्री नारायण रेड्डी :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अपनी वर्तमान भुगतान-शेष संबंधी कठिनाई को दूर करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से आर्थिक सहायता देने की प्रार्थना की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिये कोई प्रतिनिधि मंडल अमरीका गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसको क्या प्रत्युत्तर मिला ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) से (ग) : आर्थिक स्थिति और विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के बारे में बराबर विचार और परामर्श करते रहने के क्रम में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और भारत सरकार के बीच बातचीत होती रहती है । इस बातचीत को दोनों पक्ष गोपनीय मानते हैं । इसके अलावा, यह बताना लोकहित में नहीं है कि बातचीत और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई ।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र दल का प्रतिवेदन

*472. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री परिवार नियोजन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र दल के प्रतिवेदन के बारे में 2 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 621 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र दल का अन्तिम प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर

*473. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ बिजली घर में तीन टर्बा-जेनरेटर लगाने का ठेका एक अमरीकी फर्म को दिया गया था जब कि भारतीय फर्म यह काम कम लागत पर कर सकती हैं ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस मामले में की गई जांच के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : (क) से (घ) : इन्द्रप्रस्थ बिजली घर विस्तार परियोजना के लिये 50/62.5 मैगावाट क्षमता वाल तीन टर्बो-जनित्र सैट भारत सरकार द्वारा जनरल इलक्ट्रिक कं०, अमरीका, से उनको दिये गय थोक क्रय ठेके के अन्तर्गत खरीद गये थे। इन टर्बो-जनित्रो के प्रतिष्ठापन का कार्य मे० इन्टर्नेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कं० (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड को उन से बातचीत करने के पश्चात् 4,06,060 डालर जमा 10,54,730 रुपये की कुल कीमत पर दिया गया था।

2. टर्बो-जनित्रों का प्रतिष्ठापन कार्य वशिष्ठयपूर्ण होता है। जिन ताप बिजली घरों के लिये मशीने रूस द्वारा सप्लाई की जा रही हैं उन को छोड़ कर वस्तुत: सभी ताप बिजली घरों में टर्बो-जनित्रों और बॉयलरों के प्रतिष्ठापन का कार्य संबद्ध उपस्कर संभरकों को दिया गया है। उपस्कर को चालू करने का काम भी उनको दिया गया है। तालचर और पारस के लिये सप्लाई की गई तद्रूप मशीने संभरको द्वारा लगाई जा रही हैं। जिस कीमत पर यह ठेका दिया गया था तकनीकी विशेषज्ञों ने उस को उपयुक्त समझा था।

यदि प्रतिष्ठापन कार्य किसी और संस्था को दिया जाता, तो भी प्रतिष्ठापन का निरीक्षण कार्य संभरक को ही दिया जाना होता है ताकि इसका चालू होना और कम करना सुनिश्चित हो जाए, जिस में 8 से 10 लाख रुपया विदेशी मुद्रा में खर्चा होता है।

3. प्रतिष्ठापन के लिये दिये गये ठेके की जांच के लिये दिल्ली ताप परियोजना नियन्त्रण बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई उप समिति ने इन सभी पहलुओं की जांच की। यह काम शीघ्र और संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये अन्तिमतः यह वांच्छनीय समझा गया कि वर्तमान पद्धति का अनुसरण किया जाय और उपस्कर के संभरक को उस के प्रतिष्ठापन के लिये भी उत्तरदायी बनाया जाय। एतदनुसार, आई० जी० ई० (इण्डिया) को टर्बोजनित्रों के प्रतिष्ठापन से सम्बद्ध काम देने का निर्णय तकनीकी तथा वित्तीय पक्षों समेत इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात ही लिया गया था और दिल्ली ताप परियोजना नियन्त्रण बोर्ड तथा दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम को यह निर्णय मान्य था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए (क), (ख) तथा (ग) भागों में उठायें गये सवालों का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में एक ज्योतिषी के घर पर छापा

*474. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वारियार :
श्री मनोहरन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दाजी :

क्या **वित्त** मंत्री दिल्ली में एक ज्योतिषी के घर पर छापे के बारे में 24 फरवरी, 1966 तारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त ज्योतिषी अथवा उसके पुत्रों अथवा उन सब का दिल्ली और बम्बई में मेसर्स चमनलाल ब्रदर्स की फर्मों के साथ कोई सम्बन्ध, लेन-देन अथवा सम्पर्क है; और

(ख) क्या किसी सरकारी जांच अधिकरण ने, छिपाये हुए धन अथवा विदेशी मुद्रा के उल्लंघनों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के सम्बन्ध में मेसर्स चमनलाल ब्रदर्स की फर्मों तथा उनसे सम्बन्ध अन्य फर्मों के कार्यालयों तथा/अथवा उनके रिहायशी मकानों पर छाप मारे थे ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) प्रश्न में जिसके बारे में जिक्र किया गया है वह ज्योतिषी अनुमानतः श्री एल० हवेली राम है। यह पता चला है कि उनका एक लड़का, श्री केवल राम, मेसर्स चमनलाल ब्रदर्स फर्म में नौकर था।

(ख) दिल्ली में चमनलाल ब्रदर्स तथा साथ ही चमनलाल ओवरसीज लिमिटेड, स्टील (प्रा०) लिमिटेड के दफ्तरों की और श्री चमनलाल के ससुर श्री नारायणदास के मकान की तलाशी ली गयी थी। दिल्ली में ही रुबी इन्डस्ट्रीज और जोशी ट्रेडर्स के व्यापार-स्थानों की भी तलाशी ली गयी थी। ये स्थान चमनलाल ब्रदर्स फर्म के कर्मचारी श्री केवल जोशी के कब्जे में थे। इसके अतिरिक्त, चमनलाल ब्रदर्स से सम्बद्ध कुछ फर्मों के बम्बई तथा कोचीन स्थित व्यापार-स्थानों की भी तलाशी ली गयी थी।

काजू निर्यात उद्योग को आयकर में छूट

1851. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत व्यापार मंडल ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से काजू निर्यात उद्योग को आयकर में छूट देने के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण भारत व्यापार मण्डल को सूचित कर दिया गया है कि वार्षिक वित्त विधेयकों के अंतर्गत उल्लिखित वस्तुओं के निर्माताओं को निर्यात के लिय दी जाने वाली छट उन व्यक्ति को भी उपलब्ध रहेगी जो निर्यात के लिये कच्चे काजू से गिरी निकालने का काम करते हैं।

वल्लेमीला परियोजना

1852. श्री राम हरख यादव :

श्री मुरली मनोहर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वल्लेमीला परियोजना पर कुल कितना खर्च आयेगा और इसमें कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : बलीमेला पन बिजली परियोजना पर 45.83 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

परियोजना से 1968 के लगभग अन्त तक बिजली की सप्लाई शुरू हो जाने का अनुमान है, जब प्रथम उत्पादन यूनिट के चालू हो जाने की संभावना है। इस परियोजना के अन्तर्गत सभी कार्य मार्च 1971 तक पूर्ण हो जायेंगे, ऐसी सम्भावना है।

राजकोट के निकट निषिद्ध घड़ियों का जब्त किया जाना

1853. श्री राम हरख याद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1966 के अन्तिम सप्ताह में राजकोट से 50 मील दूर जोडिया नगर में सीमा शुल्क अधिकारियों ने लगभग दो लाख रुपये के मूल्य की 800 निषिद्ध घड़ियां जब्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो चोरी छिपे लाई गई तथा पकड़ी गई घड़ियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : सीमाशुल्क कर्मचारियों के सहयोग से पुलिस प्राधिकारियों ने 21 जनवरी, 1966 और 6 फरवरी, 1966 के बीच राजकोट के निकट जोडिया गांव में करीब 1,40,000 रुपये के मूल्य की 1497 घड़ियां पकड़ी। लगभग 22,300 रुपये के मूल्य के कुछ मकेनिकल-लाइटर, लाइटर फिलन्ट और सिगरेट तथा अन्य अवैध वस्तुयें भी पकड़ी गई। अब तक की गई जांच-पड़ताल से पता चलता है कि ये वस्तुयें फारस की खाड़ी में दुबाई से चोरी छिपे एक जहाज में लायी गई थी और यह जहाज भी अब पकड़ा जा चुका है। इस सम्बन्ध में पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

बिच्छुओं के दंश का इलाज

1854. श्री राम हरख यादव : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल ने पीले बिच्छुओं तथा सांपों के दंश के इलाज के लिये एक अति गुणकारी रक्तोदक (सीरम) तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस रक्तोदक का परीक्षण किया है ताकि भारत में इसका प्रयोग किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सरकार के पास इस विषय पर कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

तूम (स्लूस) तथा जलपाश द्वारों (लाकगेट) का निर्माण

1855. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 26 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश में तूम तथा जलपाश द्वारों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) हाई हेड गेटों के डिजाइन बनाने तथा उनका निर्माण करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) अगले पांच वर्षों के लिये देश तथा विदेश में इनकी मांग अनुमानत: क्या होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) निम्न शीर्ष वाले स्लुइस द्वारों को तथा जलपाश द्वारों को देश की कुछ वर्कशापों में पहले से बनाया जा रहा है।

(ख) ऐसी कई वर्क शापें हैं जिनको यदि उच्च शीर्ष द्वारों के विस्तृत अभिकल्प और ड्राई-गस (नक्श) द दिये जाएं तो वे इनको बनाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे अभिकल्पों और नक्शों को तयार करने के लिय केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में एक द्वार अभिकल्प कक्ष स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) तीसरी योजना की संतत स्कीमों के लिये और उन स्कीमों के लिये जिनको चतु ° योजना में हाथ में लने का विचार है, द्वारों की कुल अनुमित मात्रा लगभग 77,000 टनस् की है, जिनमें से 25,000 टनस् उच्च शीर्ष द्वारों के लिये होंगे। इन द्वारों के लिये विदेशी मांग को इस समय नहीं आंका जा सकता।

कृषि सम्बन्धी आय

1856. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संस्था, अथवा रिजर्व बैंक अथवा अन्य किसी सरकारी संस्था ने कृषि सम्बन्धी वास्तविक आय के उतार-चढ़ाव का ध्यान करने का कोई प्रयत्न किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस अवधि का तथा किस आधार पर और उनकी उपपत्तिया क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : केन्द्रीय अंक संकलन संगठन (सेण्ट्रल स्टेटिस्टिकल आगनाइजेशन) राष्ट्रीय आय के जो वार्षिक अनुमान तैयार करती है उनके एक भाग के रूप में वह कृषि की वास्तविक उपज (अर्थात् कृषि से होने वाली आय) में होने वाले परिवर्तनों के अनुमान भी, चालू और स्थिर दोनों प्रकार के मूल्यों के आधार पर तैयार करता है। अनुमान तैयार करने का आधार राष्ट्रीय आय समिति की अंतिम रिपोर्ट में बताया गया है। सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें वास्तविक (अ त् 1948-49 के मूल्यों के) आधार पर 1950–51 से 1964–65 तक कृषि की वास्तविक उपज में हुए परिवर्तन दिखाये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5735/66।]**

"भारतीय अर्थ व्यवस्था में आय का वितरण : 1953–54 से 1956–57 तक" नामक अध्ययन के अनुसार, जो रिजर्व बैंक के सितम्बर 1962 के बुलटिन में प्रकाशत किया गया था, 1953–54 से 1956–57 तक की अवधि में सामूहिक रूप में कृषक परिवारों की कुल आय में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषक परिवारों के समूह में ऊंची आय वाले वर्ग की कुल आय में 8 प्रतिशत और प्रति-परिवार आय में 4 प्रतिशत की कमी हुई है, जबकि कम आय वाले वर्ग की कुल आय और प्रति परिवार आय दोनों में क्रमश: 5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

National Income

1857. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any attempt has been made to collect data in regard to the redistribution of national income among the poor classes ;

(b) if so, since which date and the details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the percentage of the national income spent annually by the Central Government during 1950 to 1965 year-wise on social welfare works ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) to (c). Yes, Sir. One of the terms of reference of the Committee on Distribution of Income and Levels of Living set up by the Planning Commission was to study recent trends in the distribution of income and wealth. The first part of the Committees' Report which was laid on the Table of both Houses of Parliament on 29th April, 1964 covered that term of reference. For the reasons given in reply to Starred Question No. 745 on the 9th December, 1965 in the Lok Sabha, the Committee has not yet submitted Part Two of its report.

(d) A statement showing the Central Government's developmental expenditure as a percentage of national income during the years 1950-51 to 1965-66 is placed on the table of the House. **[Placed in Library. See No. LT. 5736/66.]**

इंडो-कमर्शियल बैंक

1858. श्री म० प्र० स्वामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व इंडो-कमर्शियल बैंक (जिसका अब पंजाब नैशनल बैंक के साथ विलय हो चुका है) के खातेदारों को उनकी जमा राशि का कितने प्रतिशत भाग अभी तक नहीं दिया गया है;

(ख) क्या खातेदारों को उनकी शेष धनराशि पूरी लौटा दी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो उनकी शेष राशि कब तक लौटायी जायेगी; और

(घ) क्या इंडो-कमर्शियल बैंक के निदेशकों के विरूद्ध बैंक का कुप्रबन्ध करने के कारण कोई कार्यवाही की गयी थी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 10.3 प्रतिशत ।

(ख) और (ग): हस्तान्तरिती (ट्रांसफरी) बैंक, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा इस बात की पक्की व्यवस्था करने के लिये कि उन्हें अब तक की देय रकम पूरी की पूरी मिल जाय, पर्याप्त उपाय कर रहा है। पर इस समय यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि और अदायगियां कब की जायेंगी ।

(घ) भूतपूर्व प्रबन्ध-निदेशक से तदर्थ (एड-हाक) आधार पर 15 लाख रुपये की रकम वसूल की जा चुकी है। अग्रिमों की रकम वसूल करने, जिसकी वापसी के लिये उसने या उसके साथियों ने पहले ही गारंटी दे रखी है और जमा-कर्त्ताओं को जो रकम अब भी देय है उसके लिए, यदि आवश्यक हो तो, एक व्यापक गारंटी प्राप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

आगरा में सरकारी कार्यालय

1859. श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कौन-कौन से कार्यालय आगरा में गैर-सरकारी, किराये पर ली गयी इमारतों में चल रहे हैं तथा प्रत्येक कार्यालय द्वारा कितना कितना किराया दिया जाता है ?

(ख) क्या उन कार्यालयों के लिये उदाहरणार्थ आयकर विभाग के कार्यालय के लिये, अपनी निजी इमारतें बनाने का सरकार का विचार था अथवा अब है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कार्यरूप देने में क्या कठिनाई पेश आई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग): सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आगरा में सरकारी कार्यालय

1860. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को नई दिल्ली से आगरा ले जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन कार्यालयों को और कब; और

(ग) क्या उनके लिये वहां स्थान प्राप्त कर लिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठता।

द्वितीय श्रेणी के आय-कर अधिकारी

1861. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1966 में होने वाली द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों की परीक्षा के लिये संघ लोक सेवा आयोग के पास कितने आवेदन-पत्र आये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अंक उनको मुलाकात के लिये चुनने के उद्देश्य से पात्र ही बनायेंगे और अन्तिम चयन के लिये इनकी गणना नहीं की जायगी;

(ग) यदि हां, तो अन्तिम रूप से चुनने के लिये एक उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों तथा इंटरव्यू में प्राप्त किये गये अंकों की गणना करने की परम्परागत प्रथा की, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, सेक्शन अफसरों, सहायकों तथा अन्य ऐसी पदालियों के लिये नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में अपनाई जाती हैं, अवहेलना किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) आज तारीख तक 32129 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) परीक्षा योग्यता प्रदायी किस्म की होगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को इण्टरव्यू के लिय बुलाया जायेगा।

(ग) योग्य उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिये लिखित परीक्षा का सहारा लेना आयोग की गत परम्परा से दूर हटना नहीं है।

(घ) जी नहीं।

सूरज कुण्ड का विकास

1862. **श्री विश्राम प्रसाद :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़गांव के निकट ऐतिहासिक तालाब "सूरज कुण्ड" का पर्यटन तथा स्वास्थ्यप्रद स्थान के रूप में विकास किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सूरज कुण्ड के आस-पास के क्षेत्र को पर्यटकों के आकर्षण के लिये विकसित किया जा रहा है। कुण्ड का स्वास्थ्यप्रद स्थान के रूप में विकास करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) : एक जलपान गृह, पिकनिक वालों के लिये मण्डप, कार-पार्क, स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण तथा जलपूर्ति एवं बिजली की व्यवस्था पर अब तक 2,35,560 रुपये खर्च किये जा चके हैं ।

पर्यावरणों के संरक्षण, वृक्षारोपण, कुण्ड तथा समीपस्थ बरसाती झील की ग्रहण क्षमता बढ़ाने, झील में नौ-क्रीडा जैसी विनोद सुविधाओं, झील के आस-पास के जंगल को पक्षियों का शरण्य बनाने और मछली पकड़ने की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये पंजाब सरकार ने चौथी योजना में 1,50,000 रुपये की व्यवस्था की है । पंजाब सरकार ने बतलाया है कि यह काम सम्भावतया 1966–67 में शरू हो जायेगा ।

मुद्रा-स्फीति को रोकना

1863. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुद्रा-स्फीति को रोकने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर कब तक पूर्ण नियंत्रण हो जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या अब तक किये गये प्रयत्नों का बढ़ते हुए मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : यद्यपि हाल के महीनों में मूल्यों में कुछ स्थिरता रही है, फिर भी आधारभत स्थिति अब भी कठिन है । सरकार की नीति यह है कि उत्पादन में वृद्धि की जाय, जहां तक संभव हो आयात के द्वारा उपलब्धि बढ़ायी जाय, राशन के जरिय और मूल्यों तथा वितरण के विशिष्ट नियंत्रणों द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं के उचित वितरण की व्यवस्था की जाय और कर तथा मुद्रा सम्बन्धी नियंत्रणों द्वारा मांग पर रोक लगायी जाय ।

पेंशन पाने वाले लोगों को सहायता

1864. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पेंशनर संस्था ने हाल ही में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है कि उन को अधिक सहायता दी जाय; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उनको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी हां। सरकार को विभिन्न पेंशनर संस्थाओं से अधिक सहायता के लिये अभ्यावेदन (रिप्रेजेण्टेशन) मिलते रहे हैं।

(ख) सरकारी पेंशनर संस्थाओं द्वारा रखी गयी मांगों का सम्बन्ध मुख्यत: (i) पेंशनरों को इतना ही मंहगाई भत्ता देने जितना नौकरी कर रहे कर्मचारियों को मिलता है, (ii) ऐसे पेंशनरों की पेंशन के परिवर्तित (कम्यूटेड) अंश को फिर से पेंशन में मिला देने जो परिवर्तन-अवधि के बाद जीवित रहते हैं, (iii) पेंशनरों को आय-कर सम्बन्धी छूट देने, और (iv) न्यूनतम पेंशन विधेयक पेश करने से है। सरकार ने इन मांगों पर समय-समय पर गौर से विचार किया है लेकिन उन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है।

पेय जल बोर्ड

1865. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पेय जल बोर्ड का पुनर्गठन अथवा विघटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : पेय जल बोर्ड का न तो पुनर्गठन किया गया है और न विघटन। किन्तु इस बोर्ड की अध्यक्षता तथा सदस्यता में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं क्योंकि संबंधित व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्रों में परिवतन के फलस्वरूप इस बोर्ड में काम करना जारी नहीं रख सके।

इस बोर्ड के मूल तथा वर्तमान गठन इस प्रकार हैं :—

मूल गठन	वर्तमान गठन
1. श्री बलवन्त राय मेहता, अध्यक्ष।	श्री डी० पी० करमरकर, संसद् सदस्य, अध्यक्ष।
2. डा० के० एल० राव संसद्-सदस्य, सदस्य।	श्री आर० आर० मोरारका, संसद-सदस्य, सदस्य।
3. श्री आर० आर० मोरारका, संसद-सदस्य, सदस्य।	श्री ज्ञान प्रकाश, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य परिवार नियोजन मंत्रालय, सदस्य।
4. श्री जी० मुखर्जी, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, सदस्य।	श्री एन० वी० मोदक, कंसल्टिंग पब्लिक हैल्थ इंजिनियर, बम्बई, सदस्य।
5. श्री एन० वी० मोदक, कंसल्टिंग पब्लिक हैल्थ इंजिनियर, बम्बई, सदस्य।	श्री एम० पी० दूबे, एम० ल० ए०, मध्य प्रदेश, सदस्य।
6. श्री एस० राजगोपालन, डी०डी०जी० (पी० एच० ई०) स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय, सदस्य।	श्री एस० राजगोपालन, डी०डी०जी० (पी०एच० ई०) स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय, सदस्य-सचिव।
7. श्री बी० एस० श्री कण्ठैया, उप-सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, सदस्य-सचिव।	

अमरीकी सहायता

1866. श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था से कोई **प्रतिवेदन**

मिला है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि वर्तमान औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने के स्थान पर उसका समेकित तथा पूर्ण उपयोग किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने इस बात की आरंभिक जांच की है कि आयात के सम्बन्ध में उदारता से काम लेने की नीति का भारत की औद्योगिक क्षमता के ओर अधिक उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ा है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने यह जांच अपने तौर पर की है और इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में कोई खास राय प्रकट नहीं करनी है।

देहाती क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई

1867. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देहाती क्षेत्रों को दी जाने वाली बिजली का उपयोग किये जाने के बारे में कोई विश्लेषण किया है;

(ख) जितनी बिजली दी गई है उसमें से कितनी बिजली दो हजार या इससे कम जनसंख्या वाले कस्बों और गांवों में प्रतिशतता और सर्वथा के हिसाब से घरेलू का प्रकाश आदि के काम में लाई जाती है, कितनी सिंचाई के काम में और कितनी छोटे तथा कुटीर उद्योगों में प्रयोग में लाई जाती है; और

(ग) नये देहाती क्षेत्रों को बिजली देने और उसका सिंचाई कार्यों तथा छोटे और कुटीर उद्योगों में प्रयोग किये जाने को बढ़ावा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : बहुत से राज्य बिजली बोर्ड 2,000 की और इससे कम की जनसंख्या वाली बस्तियों में उपयुक्त बिजली के सम्बन्ध में अलग आंकड़े नहीं रखते। ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बिजली बिक्री के सम्बन्ध में विविध राज्य बिजली बोर्डों के पास यथोपलब्ध जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5737/66**]

(ग) केन्द्रीय सहायता के रूप में ग्राम विद्युतन के लिये 5.25 प्रतिशत दर पर ऋण दिये जा रहे हैं। प्रथम पांच वर्षों के दौरान केवल सूद ही देय होगा और उस के पश्चात् दोनों मूल धन और सूद 20 बराबर की वार्षिक किस्तों में देय होगा।

2. इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि विद्युतन कार्य में ग्रामीण लोग कर्मठ बनकर भाग लें, प्रयोगात्मक उपाय के रूप में ग्राम बिजली सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने की एक स्कीम विचाराधीन है। विविध राज्य बिजली बोर्डों से प्रार्थना की गई है कि वे इस उद्देश्य के लिये कुछ क्षेत्र निश्चित कर लें।

3. बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के नवम्बर 1965 में हुए सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकारों/बोर्डों से प्रार्थना की गई है कि वे किसानों को इस बात के लिये प्रोत्साहन देने के लिये कि वे पम्पों के लिये बिजली का प्रयोग करें, निम्नलिखित कार्रवाई करें :—

(1) कुछ बोर्ड कृषि सम्बन्धी कामों के लिये बिजली कनेक्शनों को स्वीकृति प्रदान करने में काफी समय लेते हैं। ऐसे कनेक्शन देने के लिये बोर्डों द्वारा समयावधि निर्धारित कर देनी चाहिये, ताकि कृषक बुवाई ऋतु में ही पम्पों का फायदा उठा सकें।

(2) उस समय जब कूओं में कोई पानी नहीं होता अथवा वर्षा ऋतु के दौरान जब सिंचाई उद्देश्यों के लिये कूओं के पानी की आवश्यकता नहीं होती कृषि सम्बन्धी बिजली के उपभोक्ताओं से न्यूनतम उपभोग गारंटी नहीं ली जानी चाहिये।

(3) कुछ राज्यों में कृषि सम्बन्धी बिजली के उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन लेने से पहले कई एक अधिकारियों से 'कोई आपत्ति नहीं' प्रमाण पत्र लेना होता है। देरी को कम करने के तरीकों पर बोर्डों को विचार करना चाहिये, ताकि कृषि सम्बन्धी बिजली के उपभोक्ताओं को कोई अनुचित कठिनाई न हो।

(4) किसी भी राज्य में कृषि सम्बन्धी कामों के लिये बिजली के प्रयोग पर कोई बिजली कर नहीं लेना चाहिये।

नई दिल्ली में कई मंजिला गैरेज

1868. **श्री यशपाल सिंह :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी : **श्री किशन पटनायक :**
श्री विश्राम प्रसाद : **श्री उटिया :**

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री नई दिल्ली में कई-मंजिले गैरेज के बारे में 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2141 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कृपा करेंगी कि इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक बन कर तयार हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : नक्शे तैयार हैं और दिल्ली प्रशासन जिससे नई दिल्ली नगर पालिका ने धन देने के लिए अनुरोध किया है, इस विषय पर विचार कर रहा है।

गर्भ निरोध में अनुसन्धान

1869. **श्री यशपाल सिंह :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी : **श्री उटिया :**
श्री विश्राम प्रसाद : **श्री किशन पटनायक :**

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री गर्भ निरोध अनुसंधान के बारे में 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गर्भ निरोध के लिए औषधि के रूप में 'प्लासु' नामक फूल की गुणकारिता के बारे में अनुसंधान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुसंधान का ब्यौरा क्या है और गर्भ निरोध के मामले में यह कहां तक प्रभावकारी सिद्ध हुआ है ;

(ग) उसके गुणकारी सिद्ध हो जाने पर क्या सरकार का विचार 'प्लासु फूल' अन्य राज्यों में उगाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : अभी तक नहीं। केरल की राज्य सरकार ने बतलाया है कि उनका स्वदेशी चिकित्सा निदेशक सन्तति निरोध में इस 'फूल' की प्रभावकारिता के बारे में 1966-67 में कुछ अनुसंधान करना चाहता है। राज्य सरकार ने इस निदेशक को इस फल के नमूने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को भेजने के निदेश भी दिये हैं।

(ग) फिलहाल यह प्रश्न नहीं उठता।

भवन निर्माण समितियों का सम्मेलन

1870. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री भवन निर्माण समितियों के सम्मेलन के बारे में 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2159 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्मेलन का कार्यवाही वृत्तांत सरकार को प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Treatment of Dwarfs

1871. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a system for the treatment of dwarfs has been evolved in Sweden which is providing effective;

(b) whether Government have made enquiries about it and propose to make use of this system for the treatment of dwarfs in India ; and

(c) if so, the steps taken in that direction ?

The Minister for Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) It is reported that in Sweden, dwarfs have been treated with human pituitary gland extracts with some success.

(b) & (c). The non-availability of the drug and its prohibitive cost make it difficult to undertake any trials for the present.

One Paisa Coins

1872. Shri Bade : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the reasons for which new one-paisa coins made of aluminium and magnesium metals have been issued by the Reserve Bank of India with effect from the 1st January, 1966 ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : In order to reduce the import of copper used in production of one paisa coins earlier, Government decided to issue new one-paisa coins made of aluminium-magnesium alloy.

पिछड़े क्षेत्र

1873. **श्री हेमराज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **योजना** मंत्री 11 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 410 के **उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के उत्तरों का परीक्षण किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख) : राज्य सरकारों से जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उन पर योजना आयोग ने विचार कर लिया है। अतः अब प्रस्ताव है कि राज्य सरकारों से कहा जाय कि अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करते समय वे अधिक पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें।

स्वर्ण बाण्ड योजना

1874. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 की स्वर्ण बाण्ड योजना को हाल की स्वर्ण बाण्ड योजना के समान बनाने के उद्देश्य से 1962 की स्वर्ण बाण्ड योजना के अन्तर्गत स्वर्ण देने वाले लोगों को वही रियायतें और सुविधायें देने का विचार है जो हाल की स्वर्ण बाण्ड योजना के अन्तर्गत उन लोगों को दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) कारण ये हैं :

(1) प्रायः ऐसा नहीं होता कि जब भी कोई नया ऋण जारी किया जाय, तो पुराने ऋणों की शर्तों में भी संशोधन कर दिया जाय;

(2) स्वर्ण बाण्डों के मूल्य को .995 की शुद्धता के सोने के वजन के रूप में बताने में कठिनाइयां होंगी ;

(3) पहले के स्वर्ण बाण्डों की शर्तों में संशोधन करने से ब्याज की दरों में पिछली तारीख से संशोधन करना पड़ेगा और परिणामतः कर के निर्धारणों में भी, जिससे प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा होंगी; और

(4) दानकर (गिफ्ट टैक्स) और मृत सम्पत्ति शुल्क (इस्टेट ड्यूटी) के सम्बन्ध में कर सम्बन्धी रियायतों को, जो सीमित आधार पर दी जाती हैं, पहले के बाण्ड मालिकों को भी देने में, यह निर्धारित करने में कि दानकर के प्रयोजन के लिए कौन पहला खरीदार था और यह पता लगाने में कि बाण्डों के क्रमागत (सक्सेसिव) मालिकों में से, यदि कोई हों, मृत सम्पत्ति शुल्क में छूट पाने का अधिकारी कौन होगा, कठिनाई होगी।

घड़ियों का तस्कर व्यापार

1875. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने बम्बई में एक सेफ डिपाजिट वाल्ट के एक लाकर से, चोरी छिपे लाई गई 500 से अधिक कलाई घड़ियां हाल ही में जप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में अब भी घड़ियों की तस्करी तेजी से हो रही है तथा इस बारे में सरकार का ठीक अनुमान क्या है; और

(ग) इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां; बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 2-11-1965 को बम्बई में डोंगरी के एक बैंक के सेफ डिपाजिट लाकर से 517 कलाई-घड़ियां पकड़ी।

(ख) घड़ियां अभी भी भारत में चोरी छिपे लाई जाती है। लेकिन इस बारे में कोई सूक्ष्म अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) चोरी छिपे माल लाने ले जाने को रोकने के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय अपनाए गये हैं :

(i) संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की ठीक तरीके से खाना-तलाशी ;

(ii) समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के उन भागों की, जहां से चोरी-छिपे माल लाया ले जाया जा सकता हो, नियमित तथा आकस्मिक गस्त;

(iii) सूचना मिलने पर तुरन्त कार्यवाही करना।

(iv) सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन भारी दण्ड लगाना जिसमें अवैध माल की जब्ती भी शामिल है ;

(v) उचित मामलों में मुकदमे चलाना;

(vi) विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के चोरी छिपे माल लाने ले जाने की रोकथाम के काम का समन्वय करने के लिए केन्द्र में राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय की स्थापना;

(vii) आर्थिक अपराधों की जांच-पड़ताल करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों में आर्थिक अपराध जांच-उपभाग की स्थापना; और

(viii) निम्नलिखित कार्यों के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन अधिकार प्राप्त करना:

(क) यदि पकड़े गये सामान का बाजार मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो तो मुकदमा में दी गयी जेल की सजा की अवधि बढ़ाना ; और

(ख) चोरी छिपे लाये जाने के यथोचित विश्वास पर पकड़ी गई घड़ियों और दूसरे निर्दिष्ट सामान के बारे में चोरी छिपे न लाये जाने की सबूत देने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति पर डालना जिसके पास से माल पकड़ा गया था।

उद्योगों के लिये लाइसेंस देने की नीति

1876. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घूलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के तारांकित **प्रश्न** संख्या 463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय योजना परिषद् द्वारा उद्योगों के लिए लाइसेंस देने तथा उनका विनियमन करने की नीति के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त किये गये दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय आयोजन परिषद् के उद्योग और खनिजों से सम्बन्धित अध्ययन दल, उद्योगों के लिए लाइसेंस देने और विनियमन करने की नीति के कतिपय पहलुओं पर विचार कर रहा है। दल ने अभी कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की हैं।

उत्तर प्रदेश में ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें

1877. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें चल रही हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार का इस कार्य के लिये वर्ष 1966-67 में कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) पांच ।

(ख) अभी 1966-67 के आवंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

परिवार नियोजन केन्द्र

1878. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1965-66 में कुल कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं तथा प्रत्येक राज्य में वर्ष 1966-67 में कितने और ऐसे केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(ख) उन पर कुल कितना व्यय किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : उपलब्ध सूचना का एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5738/66 ।]**

पंजाब में सिंचाई तथा बिजली योजनायें

1879. श्री दलजीत सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार की सिंचाई तथा बिजली सम्बन्धी कितनी योजनाएं मंजूरी के लिये इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं, तथा उन पर होने वाले व्यय और उनसे प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा गया । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5739/66।]**

पंजाब की आवास योजनाएं

1880. श्री दलजीत सिंह : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 और 1966 में पंजाब में विभिन्न आवास योजनाओं के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ख) कितनी योजनाएं अब तक क्रियान्वित की गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार के द्वारा निष्पादित विभिन्न आवास योजना ों के अन्तर्गत 1963-64, 1964-65 तथा 1965-66 के दौरान नियत की गयी राशियों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5740/66 ।]**

Eradication of Small-Pox

1881. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of cases of small-pox in India during the month of December, 1965 ;

(b) the number of cases that proved fatal ; and

(c) the measures taken for eradication of the same ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). Out of 2301 cases of Small-pox reported to have occurred in the country in the month of December, 1965, 632 cases proved fatal.

(c) Under the National Small-pox Eradication Programme, a mass vaccination campaign with the aim of covering 100% of the population, has been in operation since the last quarter of 1962. 9120 vaccinators with supervisory staff and Medical Officers are working under the campaign throughout the country. 89·3% of the mid-year estimated population has so far been covered. Health education measures have also been taken under the programme to educate and motivate the public to accept vaccination. In tensive Vaccination in the population around every case of small-pox was resorted to in order to prevent the spread of infection. Efforts are being made to mop up the unvaccinated in different localities. Continuous vaccination of the new borns is being emphasised.

सेवाग्राम में मेडिकल कालेज

1882. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री सेवाग्राम में मेडिकल कालेज के बारे में 25 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1268 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस बीच परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) यह विषय विचाराधीन है।

पोंग बांध

1883. **श्री हेमराज :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध की ऊंचाई के सम्बन्ध में अन्तिम अनुमान लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस नदी, उसकी सहायता नदियों, खण्डों तथा नालों के ऊपरी भागों में उस बांध के निर्माण हो जाने के कारण कितने गांव जलमग्न हो जायेंगे अथवा उजड़ जायेंगे और उन गांवों के नाम क्या हैं ;

(ग) पोंग बांध झील के किनारे के साथ वाला कितना जलग्रह क्षेत्र बचाया जायेगा ; और

(घ) क्या उसके कारण डेरा गोपीपुर बांध पर कुप्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 94 ग्राम प्रभावित होंगे। इन ग्रामों की एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5741/66।]**

(ग) पोंग बांध के ऊपर व्यास नदी का कुल वाह क्षेत्र, जहां कि यथावश्यक भूमि संरक्षण उपायों को हाथ में लिया जाएगा, 4850 वर्ग मील (12536 वर्ग किलोमीटर) है।

(घ) जी, नहीं।

पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में पेय जल संभरण

1884. श्री हेमराज : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पंजाब पहाड़ी क्षेत्रों के लिये पेय जल की योजना बनाने के हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो कौन से जिलों में; और

(ख) कौन-कौन सी योजनायें इस वर्ष आरम्भ की जानी है तथा कौन-कौन सी योजनायें चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में आरम्भ की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) पंजाब के पहाड़ी क्षत्रों के जलाभाव वाले कुल 10,573 ग्रामों में से 8,434 गांवों का सर्वेक्षण 31 जनवरी. 1966 तक पूरा हो गया था।

जो जिले लिए गये हैं वे हैं--कांगड़ा, कुलू, गुरुदासपुर, शिमला, होशियारपुर और अम्बाला।

(ख) 90,86,158 रुपये की अनुमानित लागत की 27 जलपूर्ति योजनाओं का काम 1965-66 में हाथ में ले लिया गया था।

उपलब्ध स्त्रोतों की कमी के कारण राज्य सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना म इस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के केवल 180 गांवों में ही जल पूर्ति की व्यवस्था करने का विचार रखती है।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण

1885. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये उडीसा सरकार को किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दी गई ; और

(ख) किन योजनाओं के लिए सहायता दी गई ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) 1965-66 में बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के लिये उड़ीसा सरकार को 97 लाख रुपये केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में दिय जाने स्वीकार किये गये हैं।

(ख) यह केन्द्रीय सहायता किसी विशेष स्कीम के लिये नहीं है, बल्कि वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गये बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास कार्यों के कार्यक्रम के लिये है। इसमें तटबन्धों के निर्माण, वर्तमान तटबन्धों को ऊंचा तथा दृढ़ करने, नदी प्रशिक्षण कार्यों, नालियों के सुधार इत्यादि की बहुत सी स्कीमें सम्मिलित हैं।

उड़ीसा में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के उपाय

1886. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक उड़ीसा के समुद्र तटवर्ती नगरों के समीप समुद्र से होने वाले भूमि के कटाव को रोकने के कोई उपाय किये गय है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महानदी डेलटा सिंचाई योजना

1887. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 884 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महानदी डेलटा सिंचाई योजना के लिये उड़ीसा सरकार की 80 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : जी, हां। उड़ीसा सरकार को 1965-66 के दौरान महानदी डेल्टा सिंचाई स्कीम पर कार्य में तेजी लाने के लिये 80 लाख रुपये की अतिरिक्त ऋण सहायता स्वीकार की गई है।

राजस्थान में ग्रामीण जल संभरण योजनायें

1888. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने चालू वर्ष में स्वीकृति के लिये कुछ ग्रामीण जल संभरण योजनायें भजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान सरकार से 66 ग्राम जल पूर्ति योजनायें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) : राजस्थान सरकार से प्राप्त ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के नामों, उनकी अनुमानित लागत तथा मंजूरी संबंधी उनकी वर्तमान स्थिति का एक विवरण संलग्न है, इस सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5742/66 ।]**

राजस्थान में बिजली पैदा करना

1889. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की बिजली पैदा करने की वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या उस राज्य में वर्ष 1966-67 में बिजली की इस मात्रा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) राजस्थान की बिजली उत्पादन करने की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता २२६ मैगावाट है । इसमें चम्बल तथा भाखड़ा नंगल परियोजना के भाग की क्षमता और कोटा में हाल में चालू किये गये एक 10 मैगावाट का गैस-टर्बाइन यूनिट शामिल है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार 1966-67 में बिजली की उपलब्धता में 110 मैगावाट की वृद्धि हो जाएगी, ऐसी सम्भावना है :—

(1) भाखड़ा दक्षिण तट (राजस्थान का भाग)	36 मैगावाट
(2) गांधी सागर का पांचवा यूनिट (राजस्थान का भाग)	11.5 मैगावाट
(3) सतपुरा ताप बिजली केन्द्र (राजस्थान का भाग)	62.5 मैगावाट
कुल	110 मगावाट

राजस्थान में मलेरिया और फिलेरिया

1890. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से मलेरिया और फिलेरिया का उन्मूलन करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक राजस्थान को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या सारी राशि का उपयोग कर लिया गया है ; और

(ग) इन रोगों के उन्मूलन के लिये अब तक क्या भिन्न-भिन्न कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के प्लान आफ आपरेशन के अधीन भारत सरकार ने राज्य सरकारों को निर्धारित पैमाने के अनुसार डी० डी०टी०, मलेरिया निरोधी औषधियां, सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा माइक्रो-स्लाइडस जैसी सामग्री तथा उपकरण मुफ्त देने तथा आयातित सामग्री पर लगे सीमाशुल्क के लिए सहायतानुदान देने का भार उठाया है । राजस्थान को 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 और 1965-66 के वर्षों में अब तक 163.48 लाख रुपये तक की सहायता दी है जो सामग्री तथा उपकरणों के रूप में है और जिसमें आयातित सामग्री का सीमाशुल्क भी सम्मिलित है ।

इस उपर्युक्त सहायता के अलावा भारत सरकार आपरेशनल स्टाफ होने वाले उस खर्च तथा अन्य आकस्मिक खर्चों का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए सहमत हो गई है जिसे राज्य सरकारों को उस क्षेत्र के सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रम पर होने वाले खर्च के अतिरिक्त करना पड़ता है। निर्धारित हिसाब किताब की प्रणाली के अनुसार राज्य सरकारों को नकद सहायता किसी योजना विशेष के लिए नहीं दी जा रही है अपितु योजनाओं के एक वर्ग के लिए दी जाती है। इसलिए राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अब तक अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में केन्द्रीय सरकार से ठीक-ठीक कितनी नकद सहायता ली है, इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम राजस्थान में 1958 से चल रहा है। वहां 16.67 एकक कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक एकक को ऐसा गठित किया गया है कि वह लगभग 10 लाख आबादी को ढक सके। मलेरिया की अनुपाती रोगी दर अर्थात् सभी रोगों से मलेरिया के रोगियों का प्रतिशत जो 1955-56 में 11.1 प्रतिशत बतलाया गया था, 1964-65 में घट कर 0.05 प्रतिशत हो गया है।

फायलेरिया के उन्मूलन के लिए राजस्थान में कोई योजना नहीं चल रही है।

सोने का मूल्य तथा उसका उत्पादन

1891. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक तोला सोने का रुपया में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है तथा दिल्ली, कराची, पैरिस, लंदन और वाशिंगटन में इसका प्रति तोला मूल्य क्या है ; और

(ख) संसार के उन पांच देशों के निम्नगामी क्रम में नाम क्या है, जहां पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक मात्रा में सोना पैदा होता है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) एक तोला सोने का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भारतीय मुद्रा में 62.50 रुपया है। 4 मार्च 1966 को दिल्ली में 14 कैरेट के सोने का भाव 98 रुपया प्रति तोला था। बताया गया है कि फरवरी 1966 के शुरू में कराची में शुद्ध सोने का भाव लगभग 122 रुपया प्रति तोला था। 18 फरवरी 1966 को लन्दन में एक तोला सोने का भाव 62.75 रुपये के बराबर था। पेरिस में दिसम्बर 1966 के अंत में सोने का भाव प्रति तोला 63 रुपये के बराबर था। वाशिंगटन का सोने का बाजार भाव उपलब्ध नहीं है।

(ख) दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और घाना दुनिया के ऐसे पांच देश हैं जिनमें 1965 में, अवरोही क्रम (डिसेंडिंग आर्डर) से अधिकतम मात्रा में सोने का उत्पादन हो रहा था।

नई दिल्ली की एक फर्म द्वारा कोचीन से काली मिर्च को अन्यत्र भेजकर विदेशी मुद्रा का गबन

1892. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगानिस्तान की सरकार ने नई दिल्ली की एक फर्म के विरुद्ध यह शिकायत की है कि उस फर्म ने विदेशी मुद्रा का गबन करने के उद्देश्य से काली मिर्च को कोचीन पत्तन से अन्य देशों को भेज दिया ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है तथा मारे गये छापों के द्वारा उक्त फर्म तथा दिल्ली में तथा बाहर उसकी अन्य सम्बन्धित फर्मों के पास से कितनी काला धन बरामद हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार की मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिय क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : किसी अन्य सूत्र से यह सूचना मिलने पर कि कोचीन से ईरान के रास्ते अफगनिस्तान भेजी गयी काली मिर्च को रास्ते में से ही अन्यत्र भेज दिया गया है, इस मामले की छानबीन की गयी और इस सम्बन्ध में कलकत्ता, बम्बई, अमृतसर और कोचीन में तलाशियां ली गयीं। इस मामले में जांच-पड़ताल अभी चल रही है, तथा इस समय इससे अधिक सूचना देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

माल को इस प्रकार अन्यत्र भेजे जाने से रोकने के लिए, भारत का रिजर्व बैंक निर्यात करने वाले से इस बात की गारण्टी लेता है कि वह माल के अफगानिस्तान पहुंच जाने का लेखी सबूत पेश करेगा।

त्रिपूरा में कपड़ा मिल

1893. श्री दशरथ देव : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में एक कपड़ा मिल स्थापित करने के लिये अनुदानों की मांग करते हुए त्रिपुरा सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : त्रिपुरा में निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले कताई मिल की शेअर पूंजी में भागीदार होने के लिए त्रिपुरा सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है और त्रिपुरा की 1966-67 की सालाना योजना में शामिल कर दिया गया है। कपड़ा मिल में त्रिपुरा सरकार की भागीदारी की कल्पना अस्थायी रूप से 20 लाख की गई है।

दिल्ली में विकास योजनाएं

1894. श्री शिवचरण गुप्त : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली में नबी करीम, करदम शरीफ तथा मोतिया खान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई विकास अथवा पुनर्विकास योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन योजनाओं का काम कब तक आरम्भ किये जाने तथा पूरा हो जाने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नबी करीम तथा कदम शरीफ़ के लिए एक क्षेत्रीय योजना बनाई है तथा उसे जनता की आपत्तियां जानने के लिए प्रकाशित कर दिया है। मोतिया खान के लिए क्षेत्रीय विकास की योजना बनाई जा रही है।

(ख) इन क्षेत्रों की ब्यौरेवार योजना प्राधिकरण के द्वारा केवल तभी बनाई जायेगी जब कि क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारूप सभी औपचारिकतायें पूरी कर ले तथा सरकार के द्वारा अनुमोदित हो जाय।

(ग) इन क्षेत्रों में योजनाओं को कार्यान्वित करने में काफ़ी समय लगने की आशा है तथा इसके लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि भूमि पर अनधिकृत कब्जा बहुत बड़ी संख्या में है।

कैंसर की चिकित्सा के लिये जड़ी बूटी

1895. **श्री रामपुरे** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आयुर्वेदिक कालेज, बेगुसराय (बिहार) के प्रधानाचार्य ने अनुसन्धान किया है जिससे यह सिद्ध हो गया है कि "लाजवन्ती" जड़ी बूटी कैंसर को ठीक कर सकती है ; और

(ख) क्या इसकी गुणकारिता का पता लगाने के लिये सरकार ने इस जड़ी बूटी का आगे परीक्षण कराया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : आयुर्वेदीक कालेज, बेगुसराय के प्रधानाचार्य का कैंसर के इलाज के लिए लाजवन्ती नामक जड़ी का दावा परीक्षणाधीन है ।

ब्रिटिश लैपरोसी रिलीफ ऐसोसिएशन

1896. **श्री रामपुरे** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या ब्रिटिश लैपरोसी रिलीफ एसोसिएशन ने भारत समेत कुछ देशों में कोढ़ का उन्मूलन करने के लिये कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत से संबंधित संस्था द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : ब्रिटिश लैपरोसी रिलीफ ऐसोसिएशन ने भारत समेत कुछ देशों में कुष्ठ का उन्मूलन करने के लिये कोई योजना तैयार की है या नहीं, इस संबंध में भारत सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है।

Power Supply to Rajasthan by Gujarat

1897. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether there are any prospects of the power being supplied to Rajasthan by Gujarat ;

(b) if so, by what time ;

(c) the quantum and the basis of the supply ; and

(d) the outlines of the arrangements made and the expenditure involved therein ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) Yes.

(b) During 1966.

(c) 2 MW at normal tariff rates of Gujarat Electricity Board.

(d) The power is proposed to be obtained from the 33 KV Sub-station at Palanpur in Gujarat and is to be transmitted through a 51 mile long 33 KV transmission line from Palanpur to Raniwara via Mander in Rajasthan. The scheme also involves construction of 4 nos. 33/11 KV sub-stations and 25 miles of 11 KV lines for supplying power to 900 surface wells in Rajasthan at an estimated cost of Rs. 36 lakhs.

राजनैतिक दलों द्वारा सोना एकत्रित किया जाना

1898. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ओर से हाल ही में विभिन्न राजनैतिक दलों ने भी राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाण्ड, 1980 के लिये सोना एकत्रित किया था, और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक दल ने कितना कितना और कितने कितने मूल्य का सोना एकत्रित कर के सरकार को दिया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा सोना इक्ट्ठा किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उड़िसा में तपेदिक की रोकथाम के उपाय

1899. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी पंच-वर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा को तपेदिक की रोकथाम के कार्यों के लिये अब तक कितनी धन राशि दी गई है ; और

(ख) किन किन मदों पर यह धनराशि खर्च की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : भारत सरकार निम्नलिखित क्षय-रोधी योजनाओं में राज्य सरकारों की सहायता करती है :—

(1) बी० सी० जी० टीका अभियान ;

(2) टी० बी० क्लीनिकों का खोलना ;

(3) क्षय रोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का खोलना ;

(4) सचल एक्स-रे एककों का खोलना ;

(5) क्षय रोग के पृथक पलंगों की व्यवस्था करना ; और

(6) क्षय-रोधी औषधियों का संभरण।

राज्यों को इन उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में अनावर्ती खर्च के 75 प्रतिशत और आवर्ती खर्च के 50 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता दी जाती है। भवनों पर केन्द्र का भाग निम्नलिखित अधिकतम सीमाओं के 75 प्रतिशत तक सीमित होता है :—

(क) टी० बी० क्लीनीक . . 95,000 रुपये प्रति क्लीनीक

(ख) क्षय रोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र . . 2,25,000 रुपये प्रति केन्द्र

चूंकि केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता अर्थोपाय अग्रिमों के माध्यम से योजनाओं के एक वर्ष के लिए दी जाती है। अतः क्षयरोधी योजनाओं के लिए तीसरी पंच-वर्षीय योजना में अभी तक उड़ीसा सरकार ने ठीक ठीक कितनी नकद सहायता प्राप्त की है वह सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि उड़ीसा के टी० बी० क्लीनिकों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक 89,053.91 रुपये की कीमत की क्षयरोधी औषधियां दी जा चुकी हैं। उड़ीसा ने तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में क्षयरोधी उपायों पर अब तक कितनी राशि खर्च की है और वह किन किन मदों पर खर्च की है, उसके बारे में पूरी सूचना राज्य सरकार से मंगाई गई है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

Loan to Industrialists by Government Institutions

1900. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to the effect that the financial institutions of Government would not grant further loan to an industrialist until half of the first loan has been repaid by him ; and

(b) if so, when this rule would be enforced ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मद्रास नगर के लिए पेय जल

1901. श्री सेझियान :

श्री राजा राम :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मद्रास नगर के लिए पेय जल की व्यवस्था करने के हेतु समुद्री जल के अपक्षारीकरण (डिसलिनशल) की पद्धति अपनाने की व्यवहार्यता पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) मद्रास शहर में पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए समुद्र के पानी के अलवणीरण पर विचार किया गया था किन्तु संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की सलाह पर जिन्होंने शहर के नजदीक जमीन से पानी निकालने को अच्छा और अधिक कम खर्चीला विकल्प बतलाया था, इस विचार को छोड़ दिया गया।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पांडिचेरी का प्रौद्योगिक--आर्थिक सर्वेक्षण

1902. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने पांडिचेरी का औद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण किया है और सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने प्रतिवेदन में कि गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर अन्तिम निर्णय क्या किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया गया है और सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) : पांडिचेरी प्रशासन के निवेदन पर, परिषद् ने यह सर्वेक्षण संगठित किया था। पांडिचेरी प्रशासन कि चौथी योजना का मसौदा तयार करते समय, प्रशासन प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर अन्य सम्बन्धित घटकों सहित विचार करेगा।

विश्व चिकित्सा सम्मेलन

1903. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरा विश्व चिकित्सा सम्मेलन इस वर्ष भारत में होगा ;

(ख) यदि हां, तो वह कब होगा ;

(ग) इसमें कितने देशों के भाग लेने की आशा है ; और

(घ) सम्मेलन की अस्थायी कार्य-सूची क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ) : चिकित्सा शिक्षा का तीसरा विश्व सम्मेलन संभवतया 20 से 25 नवम्बर 1966 तक भारत में होगा। इस सम्मेलन में लगभग 60-65 देशों के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन का विषय है :–"चिकित्सा शिक्षा–समाजार्थिक विकास का कारक" इस विषय पर निम्नलिखित उपशीर्ष में विचार विमर्श किया जायेगा :—

(1) सामाजिक परिवर्तन तथा वैज्ञानिक प्रगति—चिकित्सा शिक्षा से उनका संबंध।

(2) चिकित्सा शिक्षा तथा राष्ट्रीय स्वरूप।

(3) समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिकित्सा शिक्षा का गठन।

(4) चिकित्सा शिक्षा में नये कार्यक्रमों की आयोजना।

गर्भ निरोधक छल्ले (लूप) की गुणकारिता और लोकप्रियता

1904. **श्री दी० चं० शर्मा** :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भ निरोधक छल्ले की लोकप्रियता तथा कारगर होने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जन्म-दर को घटाने के सम्बन्ध में यह कहां तक प्रभावकारी सिद्ध हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : जी हां। यह छल्ला (लूप) बड़ा लोकप्रिय है और जन्म दर को घटाने में यह कहां तक प्रभावकारी है, इसका इस समय अध्ययन किया जा रहा है। चूंकि जब यह छल्ला अपने स्थान पर रहता है तब तक कोई गर्भ नहीं ठहर सकता। इसलिए जन्म दर को घटाने में इसे प्रभावकारी होना चाहिए।

केन्द्रीय लेखन सामग्री (स्टेशनरी) कार्यालय, कलकत्ता

1905. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लेखन-सामग्री कार्यालय, कलकत्ता के आय-व्ययक को विकेन्द्रित करने के बारे में कोई निश्चित निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सस्ती दरों पर थोक-माल की खरीद पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : भारत सरकार के स्टेशनरी आफिस के पुराने तरीकों को ठीक करने के लिए एक तजवीज़ यह भी है कि कोई भी इन्डैन्ट जिसकी कीमत 1,000 रुपये से कम हो और कोई भी डिमान्ड जो फ़ी मद 100 रुपये से कम की हो, उन्हें कन्ट्रोलर आफ़ स्टेशनरी न ले। मामूली कीमत की मदों की खरीद ओर सप्लाई महंगी पड़ती है और अगर इन्डैन्टर्स ऐसे मदों को खुद ही बाज़ार से खरीद लें तो सस्ता पड़गा। इससे माल पहुंचाने में जो कमी देरी हो जाती है वह भी दूर हो जायगी। क्योंकि 1966-67 के लिए बजेट का विकेन्द्रीकरण करना संभव नहीं हो सका, इसलिए यह तय किया गया है कि इस तजवीज़ को 1967-68 से लागू किया जाये।

मैसूर में हरिजनों के लिए आवास ऋण

1906. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में हरिजन आवास सहकारी समितियों के लिए ऋण तथा राज सहायता के रूप में कितना धन दिया गया :

(ख) क्या यह सच है कि हरिजनों को मकान बनाने के लिए हरिजन आवास सहकारी समितियों के माध्यम से पहली किश्त का भुगतान कर दिया गया है, किन्तु धनाभाव के कारण दूसरी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो दूसरी किश्त का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : मैसूर सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा वह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

Currency Notes

1907. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain currency notes which can be recirculated are burnt by the Reserve Bank without any reason and without accounting for the same ; and

(b) whether the practice referred to above has any adverse effect on our foreign exchange position in as much as the paper used for printing these notes is imported from abroad and is costly too ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b). The currency notes returned from circulation are subjected to examination by the Reserve Bank of India. Only such of these as cannot be circulated further are destroyed under a special procedure. As only notes unfit for circulation are destroyed, no avoidable loss of foreign exchange is involved.

गांवों में बिजली लगाने के लिए ऋण

1908. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने गांवों में बिजली लगाने के लिये अमरीका से विशेष ऋण मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) : जी, नहीं। किन्तु, अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजन्सी के कार्यक्रम के तत्वावधान में सहकारी संस्थाओं के द्वारा ग्राम विद्युतन् स्कीम से सम्बद्ध प्राथमिक संभाव्यता अध्ययन करने के लिए नेशनल रूरल इलेक्ट्रीक कारपोरेशन ऐसोसिएशन अमरीका के तीन विशेषज्ञों की सेवायें तीन मास के लिये प्राप्त करने का फसला किया गया है।

परिवार नियोजन में अभिस्थापन (ओरिएन्टेशन) पाठ्यक्रम

1909. श्रीमती अकम्मा देवी : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संस्था के कालेज आफ जनरल प्रैक्टिशनर्स द्वारा प्रायोजित परिवार नियोजन में दूसरा अभिस्थापन पाठ्यक्रम फरवरी, 1966 में आयोजित किया गया था ;

(ख) जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये तीन दिन के इस पाठ्यक्रम के दौरान क्या सिफारिशें की गईं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) यह एक अभिनव पाठ्यक्रम था और एक संगोष्ठी के रूप में था जिसमें परिवार नियोजन कार्य में लगे बहुत से प्रसिद्ध डाक्टरों ने परिवार नियोजन संबंधी विभिन्न बिषयों पर पत्र पढ़े और अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के अनुभवों के परिणामों पर विचार विमर्श किया। सिफारिश कोई नहीं की गई थी।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

चावल के समाहार के लिये पश्चिमी बंगाल को सहायता

1910. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने चावल के समाहार के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी रकम दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को 3 करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम (वेज ऐण्ड मीन्स एडवांस) दिया गया है।

Ayurvedic Colleges

1911. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether her Ministry has issued instructions to the Ayurvedic Colleges in the different States to provide the facility of condensed course to the students of Ayurvedic colleges ; and

(b) if so, the names of the States where these instructions have been followed.

The Minister of Health & Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) & (b). No, Sir. However, in answer to a pressing demand for some further training for those who have passed integrated Ayurvedic training courses, in April, 1965 the Medical Council of India forwarded to all State Governments, its recommendation for starting a Condensed Licentiate Course for holders of degree/diplomas in Integrated Medicine. So far, the States of Gujarat and Madras have started the course.

सार्वजनिक पुस्तकालय (पब्लिक लाइब्रेरियां)

1912. **श्री काजरोलकर :**

श्री पाराशर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा नियुक्त सार्वजनिक पुस्तकालय सम्बन्धी कार्यकारी दल की उपपत्तियां क्या हैं ?

(ख) क्या सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए कार्यकारी दल ने किसी कार्यक्रम का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितना खर्च आयेगा ; और

(घ) क्या राज्यों के मार्गदर्शन के लिए कार्यकारी दल द्वारा कोई आदर्श विधान सुझाया गया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करने और उसके विकास के लिए कार्यक्रम की सिफ़ारिश करने के लिए योजना आयोग ने जून 1964 में सार्वजनिक पुस्तकालय सम्बन्धी कार्यकारी दल का गठन किया था। पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति के बारे में कायकारी दल ने राज्यों से सूचना मांगी। पहली जनवरी, 1965 को राज्यों स जो सूचना मिली उसके अनुसार 16 राज्यों में से 12 में या 75 प्रतिशत में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय थे, 9 संघीय शासित क्षेत्रों में से 5 में या 55 प्रतिशत केन्द्रीय पुस्तकालय थ, 327 जिलों में से 205 में या 63 प्रतिशत में जिला केन्द्रीय पुस्तकालय थे, 5,223 खंडों में से 1,394 या 27 प्रतिशत में खंड विकास पुस्तकालय थे और 5,66,878 गांवों में से 28,317 गांवों में या 5 प्रतिशत में ग्राम पुस्तकालय थे।

(ख) जी, हां।

(ग) चौथी योजना में कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए प्रस्तावित योजना इस प्रकार विकल्पित की गई है :

(क) जिन चार राज्यों में अभी तक केन्द्रीय पुस्तकालय नहीं हैं उनमें केन्द्रीय पुस्तकालयों का गठन, 11 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों के भवन के लिए प्रावधान और वर्तमान राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों में सुधार करना तथा उन्हें मजबूत करना ;

(ख) जिन जिलों में जिला पुस्तकालय नहीं हैं उन 130 जिलों में जिला पुस्तकालयों का गठन और वर्तमान जिला पुस्तकालयों में सुधार करना तथा उन्हें मजबूत करना ;

(ग) खंडों में 2,500 नये सार्वजनिक पुस्तकालयों का गठन और वर्तमान खंड पुस्तकालयों को मजबूत करना ;

(घ) शाखा पुस्तकालयों के लिए अनुदान का प्रावधान करना ;

(ङ.) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के नमूने पर, चुने हुए स्थानों पर तीन सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करना ;

(च) चौथी योजना में आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों का अनुमान 1,20,000 लगाया गया है। अत: उनकी उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए कदम उठाना ;

(छ) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए उपयुक्त भवन का निर्माण ;

(ज) पुस्तकालयों के लिए साहित्य के उत्पादन तथा सम्भरण की वृद्धि के लिए कदम उठाना।

इस काम को सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव दिये गये हैं, उनमें से एक सुझाव यह है कि प्रकाशक उद्योग को अपने कार्य कलापों में विस्तार करने के लिए उसे सरकार से ऋण का अधिकारी होने के प्रश्न पर विचार किया जाय और पुस्तकों पर आयात नियंत्रण का संचालन इस प्रकार न किया जाय कि विद्वत्तापूर्ण और तकनीकी पुस्तकों पर रोक रहे और उनके स्थान पर सामान्य किस्म के सस्ते गल्प तक अन्य पुस्तकों को मंगाया जाय ; और (1) पांचवीं योजना के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाय। यह कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें चौथी योजना में चालू की गई सेवाओं के विकास के अलावा राज्य, जिला तथा खंड पुस्तकालयों को मजबूत कर के अलावा जिन 1,329 खंडों और 26,000 गांवों में चौथी योजना में पुस्तकालय स्थापित नहीं किये गये हैं, उनमें नये पुस्तकालय स्थापित करना।

कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि चौथी योजना के दौरान इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 30.99 करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। पांचवीं योजना की आवश्यकताओं का अनुमान 81.50 करोड़ रुपये लगाया गया है। कार्यकारी दल का अनुमान है कि चौथी तथा पांचवीं योजना के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम के कार्यान्वयन से, चौथी योजना के अन्त में सार्वजनिक पुस्तकालयों पर सालाना आवर्ती व्यय 7 करोड़ रुपये हो जायेगा और पांचवीं योजना के अन्त में 22 करोड़ रुपये से कुछ अधिक होगा।

(घ) जी, हां।

गर्भपात को वैध बनाना

1913. **श्री वाल्मीकी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दशरथ देव :
श्री बालकृष्णन :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री गर्भपात को वैध बनाने के बारे में 2 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भपात को वैध बनाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए बनाई गई समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समिति संभवत: 30 जून, 1966 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

केरल के मलाबार क्षेत्र के लिये पेय जल की व्यवस्था

1914. **श्री महम्मद कोया** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के मलाबार क्षेत्र के मछुओं के गांवों में शुद्ध सुरक्षित पेय जल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में जल की शीघ्र व्यवस्था करने के लिये कोई विशेष योजना बनाई गई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन गांवों में हैजा महामारी के रूप में बारबार फैलता रहता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग): राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीय बिजली ग्रिड

1915. **श्री किशन पटनायक :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये : **श्री दशरथ देव :**

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बिजली ग्रिड स्थापित करने के लिये अगले कुछ वर्षों में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने पर क्या लाभ तथा बचत होने की संभावना है ?

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये कल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी ?

सिंचाई व बिजली मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5743/66]**

देहातों को पेय जल की सप्लाई

1916. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देहाती लोगों को पेय जल सप्लाई के बारे में कोई अविलम्बनीय कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) देहाती लोगों के लिए पेय जल सप्लाई के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम (ग्राम) के अन्तर्गत कोई अविलम्बनीय कार्यक्रम तैयार नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विभिन्न आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं विभिन्न अधिवेशनों क दौरान, जो प्रत्येक विवरण के सामने दिखाये गये है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्न लिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक)	विवरण संख्या 1 . . .	चौदहवां अधिवेशन, 1966
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या 2 . .	तेरहवां अधिवेशन, 1965
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या 5 . .	बारहवां अधिवेशन, 1965
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या 9 . .	ग्यारहवां अधिवेशन, 1965
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या 12 . .	दसवां अधिवेशन, 1964
(छः)	अनुपूरक विवरण संख्या 14 .	नवां अधिवेशन, 1964
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या 19 . .	सातवां अधिवेशन, 1964
(आ)	अनुपूरक विवरण संख्या 17 . .	छटा अधिवेशन, 1963
(नौ)	अनुपूरक विवरण संख्या 21 . .	चौथा अधिवशन, 1963
(दस)	अनुपूरक विवरण संख्या 23 . .	दूसरा अधिवेशन, 1962

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5723/66 से एल० टी 5732/66 तक]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं वर्ष 1965-66 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

सिंचाई के लिये नदियों के पानी के प्रयोग के बारे में याचिका
PETITION RE : USE OF RIVER WATERS FOR IRRIGATION

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : मैं सिंचाई के लिये नदियों के पानी के प्रयोग के बारे में एक याचिकादाता द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छियालीसवां प्रतिवेदन

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 45 वें प्रतिवेदन से, 46 वें प्रतिवेदन द्वारा संशोधित रूप में, जो कि क्रमशः 4 मार्च और 9 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किये गये थे, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 45 वें प्रतिवेदन से, 46 वें प्रतिवेदन द्वारा संशोधित रूप में, जो कि क्रमशः 4 मार्च और 9 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किये गये थे, सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)
RE : CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मैंने अपनी सूचना द्वारा कोयलाखानों में मज़दूरों द्वारा अनशन पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहा है। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में निर्णय करें और माननीय श्रम मंत्री से एक वक्तव्य देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। मैंने श्रम मंत्री से इस बारे में कहा है।

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक---जारी
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) AMENDMENT BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री जगन्नाथराव द्वारा 9 मार्च, 1966 को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले अधिनियम पर विचार किया जाये।"

श्री वारियर (त्रिचूर) : श्रीमन् मैं चाहता हूं कि सरकार आयात-निर्यात व्यापार को अपने हाथ में ले लें। इस कार्य के लिये यह समय बहुत उपयुक्त है। हमारे देश में कुछ आयातकर्ता ऐसे हैं जो ऐसी वस्तुओं का आयात करते है जो यहां पर पहले ही तैयार हो रही है। सरकार को आयात तथा निर्यात विभाग पर और अधिक नियन्त्रण रखना चाहिये। हमारे विदेशी व्यापार में बहुत सी खराब प्रवृत्तियां है, उनको तुरन्त समाप्त करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने विदेशों में बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा जमा की हुई है। सरकार को इस बारे में सतर्कता से कार्य करना चाहिये। इस विषय पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। वाणिज्य मंत्रालय की मांगों के समय मैं इस बारे में विस्तार से बताऊंगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हम अपना निर्यात बढाना चाहते है और आयात पर अनावश्यक प्रतिबन्ध भी नहीं लगाना चाहते। परन्तु इन प्रतिबन्धों के कारण बहुत से उद्योगों में हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हो गये हैं। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये।

मुझे पता चला है कि उनके आयात पर प्रतिबन्ध के कारण इस उद्योग को बहुत हानि हो रही है और काम बन्द पड़ा है। माननीय मंत्री इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें और लोगों की कठिनाई दूर करें।

श्री हरिश्चन्द माथुर (जालोर) : 1947 में सरकार ने आयात-निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये थे और उसके बाद उसी व्यवस्था की अवधि बढाई जाती रही है। इस प्रकार अब यही उचित समय है कि स्थिति पर पूर्ण रूप से विचार किया जाये।

माननीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उन्हें पूरी स्थिति बतानी चाहिये थी। इससे सदस्यों को लाभ होता। हमारे राष्ट्रपति ने अभी हाल में दक्षिण भारत में दिये अपने एक भाषण में संकेत दिया

है कि लाइसेंस जारी करने के बारे में एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जायेगी। गृह-कार्य मंत्री ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है। हमें बताया जाये कि मंत्रालय किन किन सुझावों पर विचार कर रहा है।

स्वतन्त्र पार्टी की ओर से सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि यह सरकार कोटे-परमिट की सरकार है। इस विधेयक पर चर्चा के समय मंत्री महोदय को इस आरोप को निराधार सिद्ध करना चाहिये और बताना चाहिये कि देश का हित सरकार की वर्तमान नीति में ही है।

इस विषय पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये और कुछ नीति सम्बन्धी निर्णय होने चाहिये। एक तो यह कि क्या हमें आयात तथा निर्यात का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये? श्री वारियर ने ऐसा सुझाव दिया है। दूसरी बात यह है कि क्या हमें कुछ स्वायत्त निकायों की स्थापना करनी चाहिये? इसी प्रकार के और भी सुझाव है जिन पर सरकार को निर्णय करना है। आयात-निर्यात विभाग के कार्यसंचालन को ठीक करने के लिये जो अध्ययन दल बनाया गया था उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिये। देश के कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि लाइसेंस देने की प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिये और उन्हें नीलाम किया जाना चाहिये। इससे सरकार तथा व्यापारी वर्ग दोनों को लाभ होगा। हमारे वाणिज्य मंत्री महोदय बहुत योग्य व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि वह सदन को बतायें कि सरकार आयात-निर्यात व्यापार को किस प्रकार सुधारना चाहती है। 1947 में तो केवल अस्थायी व्यवस्था की गई थी और उसे समय समय पर बढाया जाता रहा है।

मैं चाहता हूं कि इस अधिनियम की अवधि दो वर्षों के लिये बढाया जाये। आम चुनाव अब निकट है। यह अच्छा होगा यदि चुनावों के बाद नई सरकार इस पूरे प्रश्न पर विचार करे और इस अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करे। मैं मानता हूं कि सरकार देश के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है परन्तु लोगों को भी ऐसा आभास होना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : आयात तथा निर्यात व्यापार को हमें देश के हितों को समक्ष रखकर चलाना चाहिये। इस में समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन करने चाहिये। प्रतिवर्ष इसकी प्रगति पर विचार होना चाहिये।

[श्री प्र० के० देव पीठासीन हुए
SHRI P. K. DEO *in the Chair*]

सरकार इस बारे में पांच वर्षों की अवधि कैसे ठीक समझती है, मैं इसे समझ नहीं सका। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिये इस पर हर साल विचार होना चाहिये।

माननीय मंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं उनकी सराहना करता हूं। सरकार को अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के देशों से अपना व्यापार बढ़ाना चाहिये। एक गैर सरकारी प्रतिनिधिमंडल अफ्रीका के कुछ देशों में गया था उसने जो रिपोर्ट सरकार को दी थी उस पर विचार करने और निर्णय करने में सरकार ने बहुत अधिक समय लगा दिया हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

माननीय मंत्री को निर्यात बढाने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये। आज हमारे देश की प्रतिरक्षा तथा कृषि के विषयों में बहुत आवश्यकताएं हैं। उनकी पूर्ति के लिये निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाई जानी चाहिये। विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने वाले को कड़ा दंड मिलना चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्री माथुर जी ने जो तर्क प्रस्तुत किये है, मैं उसका प्रतिवाद करना नहीं चाहता। श्री वारियर कहते है कि आयात और निर्यात का सारा काम सरकार को ही करना चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1966 में ही यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

को तो 1962 में ही समाप्त किया जा चुका है। इस के अन्तर्गत कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया और कितने लोगों को कानून में कमी होने की वजह से रिहा करना पड़ा। यह सारी जानकारी मैं जानना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में आयात लाइसैंसों को बेचने की प्रणाली में जो बुराइयां है उसका पता काफी काल से लोगों को है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या केवल कानून को कड़ा बना देने मात्र से यह समस्या सुलझ सकती है। मेरा कहना है कि कानून को कार्यान्वित करने का प्रश्न भी है। उसे उचित रूप से कार्यान्वित भी किया जाना चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारियों के बारे में सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यापारी अथवा कारोबार करने वाला व्यक्ति बेईमान है। वास्तव में हमारी व्यवस्था में बेईमानी सरकार द्वारा किये गये नियन्त्रण तथा अन्य उपायों के कारण ही फैली है और इसी कारण व्यापारी बचना चाहता है। अतः सरकार की मूल विचारधारा को नया मोड़ दिया जाना चाहिए। इसके साथ यह भी जरूरी है कि जब कभी भी ऐसा विधेयक सभा में लाया जाता है तो राष्ट्रपति का प्रमाण पत्र स्वयं विधेयक में ही दिया जाना चाहिए। इस पर एक करोड़ रुपया खर्च होना है। इस प्रमाण पत्र को विधेयक के ऊपर छापा जाना चाहिए।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : इस मामले में कुछ माननीय सदस्यों ने रूचि दिखाई है इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। श्री वारियर ने जो सुझाव प्रस्तुत किये है, वह बहुत ही अच्छे हैं। श्री माथूर के सुझाव पर गत चार वर्षों में काफी बार विचार किया गया है। वह यह कि विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाय। मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वह विदेशी व्यापार का पूर्ण राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करना चाहती। हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी अर्थ व्यवस्था मिश्रित अर्थ व्यवस्था है। उसे देखते हुए हमारे लिए यह ठीक नहीं होगा कि उसे सरकार के सब से अधिक नियन्त्रण में रखा जाय। इस पर भी सरकार कुछ ऐसे व्यापार का विनियमन करने अथवा उनके राष्ट्रीयकरण से हिचकिचाई नहीं है जिसका कि पूरी जांच के बाद राष्ट्रीयकरण करना अथवा राज्य कार्पोरेशन द्वारा विनियमित करना उन्होंने आवश्यक समझा है। भारत के दो निगम 250 करोड़ तक के व्यापार को ले गये है। कुल मिला कर देश में आयात निर्यात का व्यापार 2,250 करोड तक का हुआ है। जहां भी सरकार जनहित की दृष्टि से ठीक समझेगी, हस्तक्षेप कर देगी। राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम के कार्य की कुछ आलोचना भी की गयी है। सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि इसकी किसी समिति द्वारा जांच की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार का ख्याल है कि उन बिकने वाली चीजों जिनको वित्तीय प्रक्रम, ठेके अथवा लम्बी अवधि के ठेकों आदि के लिए राज्य द्वारा समर्थन की आवश्यकता होता है उन्हें राज्य निगमों के माध्यम द्वारा बेचा जाना चाहिये।

हमारी नीति यह है कि किसी प्रकार की रूकावट अथवा हस्तक्षेप न किय जाये। विभिन्न आयात-कर्त्ताओं, निर्यात कर्त्ताओं, उद्योगपतियों और व्यापार गृहों को बिना किसी रूकावट के विकसित होने दिया जाये। हमें इस बात का पता है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ठीक प्रकार से काम नहीं किया। वे कम बीजक बनाने और अधिक बीजक दिखाने की तरह के कदाचारी कृत्यों में लगे हुए हैं। ऐसे कुछ लोगों को छोड़ कर आम तौर पर व्यापारियों ने अच्छा ही व्यवहार किया है। क्योंकि कुछ लोगों ने ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया इसके कारण कानून को और अधिक कठोर बनाने की जरूरत पड़ी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारी मुनाफा कमाते हैं। और जब हेर फेर करते हुए पकड़ लिय जाते है तो कुछ दण्ड का पसा देकर बच निकलते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति को रोकने की भी आवश्यकता है। अतः कारा-वास की व्यवस्था की गयी है ताकि इन लोगों को कुछ भय महसूस हो।

देश के आयात तथा निर्या. व्यापार के बारे में कई बार सभा में चर्चा हो चुकी है। इस बारे में सारा विवरण ब्यौरेवार आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के वार्षिक प्रतिवदन के रूप में प्रस्तुत किया

जाता है। इस प्रतिवेदन में चलाये गये मुकदमों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तथा उसके सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं।

माल-डिब्बा-निर्माण उद्योग को कच्चे माल की कमी के कारण हानि नहीं हो रही है परन्तु इसका कारण पहले की तुलना से पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्ष में कम आर्थिक गतिविधि थी जिसके फलस्वरूप धन बचा रहा। माल डिब्बों को निर्यात करने का हम एक बड़ा कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। ऊन उद्योग का आधार अलग प्रकार का है। इस उद्योग के बारे में जो कठिनाई है उसका कारण विदेशी मुद्रा की कमी है। आयात पर हमारे खर्च में उत्तरोत्तर वद्धि होती जा रही है। अठारह वर्षों की अवधि में यह 400 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष से बढ़ कर 1400 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष हो गया है। अतः हमारे देश की सारी औद्योगिक नीति आयात प्रतिस्थापन के सिद्धान्त पर आधारित है अर्थात् आयात करने की बजाय देश में बने हुए पुर्जों का प्रयोग किया जाना चाहिये। आज हमारे अधिकांश मूल उद्योग में से लगभग 80 से 90 प्रतिशत उद्योग स्वदेशी हैं और केवल 10 से 15 प्रतिशत उद्योग ही अन्य देशों पर निर्भर हैं।

समस्या तो अलौह धातुओं जैसी उन मूल अत्यावश्यक कच्चे माल के बारे में है जिनकी देश में प्राकृतिक रूप से कमी है। हमें अपने विद्युत कारखानों, तारों, विद्युत की वस्तुओं और मशीन उपकरणों के लिए उनका आयात करना होता है। उर्वरक के सम्बन्ध में भी हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। देश में 'राक फास्फेट' नहीं है। इसलिए हमें इसका आयात अल्जीरिया तथा पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीकी देशों से करना पड़ता हैं। हमें रासायनिक मध्यवर्ती वस्तुओं और स्पेशल स्टील जैसी कई वस्तुओं का आयात बहुत लम्बे समय तक करना पड़ेगा।

हम बहुत ही मितव्ययता से आयात करते हैं। कुछ थोड़े से तस्कर व्यापार को छोड़ कर, हमारा देश उन देशों में से एक है जिन्होंने पिछले अठारह वर्षों के दौरान बहुत कम उपभोक्ता वस्तुओं का आयात किया गया है। चाहे कोई भी दल सत्तारूढ़ हो, विदेशी व्यापार के विनियमन अथवा नियंत्रण के साथ देश का विकास सम्भव नहीं है। गृह-कार्य मंत्री विभिन्न दलों के सदस्यों के साथ पहले ही इस प्रश्न पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या नया 'लाइसेंसिंग बोर्ड' अथवा कोई और स्वायत्तशासी निकाय बनाना सम्भव है। समस्या यह है कि भारत के सामने इतनी बड़ी समस्याओं का हल अर्ध न्यायिक, न्यायिक अथवा स्वायत्तशासी निकाय द्वारा किया जा सकता है। हजारों उपक्रमों में प्रयोग में आने वाले स्वदेशी सामान की प्रतिशतता विभिन्न कारखानों तथा उद्योगों के अनुसार घटती बढ़ती है और यह मशीनरी तथा विभिन्न देशों से मिलने वाले ऋण की शर्तों पर निर्भर करती है। यह इतना जटिल कार्य है कि उसे कार्यपालिका के अतिरिक्त कोई अर्ध-न्यायिक अथवा न्यायिक निकाय पूरा नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त लाइसेंसों की नीलामी के प्रश्न पर बहुत ही विस्तारपूर्वक ढंग से विचार किया गया है। ब्राज़ील और लातीनी अमरीकी देशों का अनुभव, जिन्होंने नीलामी की प्रणाली अपनाई थी, हमारे सामने हैं। इस में यह होता है कि कुछ धनी लोग, जो नीलामी में बोली दे सकते है, बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु ले लेते हैं और ऐसा करके सभी लोगों को विपत्ति में डाल देते ह। और इसका लाभ भी वही लोग उठाते हैं सरकार नहीं। मेरा निवेदन यह है कि सभा के समक्ष प्रस्तुत संशोधन विधेयक, जिसमें इतने कड़े उपाय है, पिछले 17 अथवा 18 वर्षों के अनुभव के परिणामस्वरूप और आयात की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बनाया गया हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू और काश्मीर) : माननीय मंत्री ने निर्यात के बारे में उल्लेख किया है। यह हर्ष की बात है कि वह इस दिशा में बहुत कुछ कर रहे हैं। परन्तु आयात के बारे में स्थिति ठीक नहीं। जो वस्तुयें बहुत ही कठिनाई से मिलती हैं उनका वितरण ठीक नहीं हैं। अच्छा हो, यदि इस बारे में भी मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करे।

श्री मनुभाई शाह : मैं माननीय सदस्य से इस बात में सहमत हूं, कि दुर्लभ वस्तुओं के ठीक वितरण की व्यवस्था नहीं है। परन्तु इसका बहुत सा आधार विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर है। ऊन के आयात का विचार 18 करोड़ का था, परन्तु हमें उसे काट कर 2 करोड़ करना पड़ा। बहुत जबरदस्त कट

[श्री मनुभाई शाह]

करना पड़ा। इसके सिवा कोई चारा ही नहीं था। और बातों में कुछ कम किया गया। कई जगह हमने देखा है कि गैर सरकारी आयात व्यापारी लाभ उठा सकते है। हम चाहते हैं कि राज्य व्यापार निगम इस प्रकार की चीजों का निर्यात करे और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बारे में कुछ हमारा पथ-प्रदर्शन करे ताकि हम इस मामले में सुधार कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ / *The Motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : कोई संशोधन नहीं है, सब को एक साथ ही प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ /*The Motion was adopted.*

खंड 2, 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये। खंड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये। /*Clauses 2, 3 and 4 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री मनुभाई शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ /*The Motion was adopted.*

सामान्य आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : आज स्थिति यह है कि हमारी अर्थ व्यवस्था की गति रूक गयी है। और इसकी गति भी बड़ी धीमी है। इसमें विकास की गति एशिया के पिछड़े हुए देशों में भी सब से कम है। वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आबादी में निरन्तर वृद्धि हो जा रही है। औद्योगिक प्रगति की दर 1963-64 में 8.5 प्रतिशत से कम हो कर 1964-65 में 7 प्रतिशत हो गयी है और वर्तमान वर्ष में और कम होकर 6 प्रतिशत हो जायगी। हमारा पूंजी बाजार ठप सा हो गया है। शेयर के मूल्य में भी निरन्तर कमी हो रही है। गत वर्ष यह कमी 15.8 प्रतिशत रही है। इसके अतिरिक्त हमारी खाद्य समस्या भी निरन्तर खराब हो रही है। कीमते बढ़ती चली जा रही हैं। गत वर्ष से ही मूल्य 5.6 प्रतिशत ऊंचे चल रहे हैं। हमारे निर्यात की स्थिति भी अच्छी नहीं हैं। व्यापार का सन्तुलन भी अच्छा नहीं। दूसरी पंच वर्षीय योजना में औसतन 467 रुपये का बकाया था, अब यह बढ़ कर 570 तक पहुंच गया है। हमारे पास इतना भी नहीं कि हम आध मास के आयात की कीमतें ही चुका सक। देश प्रायः दीवालियां हो चुका है। और राष्ट्रों के समक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रायः असम्भव हो रहा है। पुराने ऋण चकाये नहीं जा रहे और नय लेने की तैयारिया हो रही है। 4,000 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की बात चल रही हैं। इसके ब्याज के रूप में ही 1350 करोड़ अदा करना होगा। हमारी सहायता का 33.75 प्रतिशत अपने दायित्वों को वापिस करने

में ही लग जायगा। यह दुःख की बात है कि आज संसार हमें दीवालियों की तरह ही ले रहा है। भारत हो कर जाने वाले लोग इस प्रकार के अपने मत व्यक्त भी कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण तथा वित्त मंत्री के आय व्ययक सम्बन्धी भाषण के पहले भाग में वास्तविक स्थिति दर्शायी गयी हैं। परन्तु आय व्ययक की प्रस्थापनाओं के अध्ययन करने पर ऐसा कोई प्रतिबिम्ब उसमें दिखाई नहीं देता। हमें सारी स्थिति को देखते हुए इस बात पर विचार करना है कि इस प्रकार की स्थिति का क्या उपचार किया जाय।

कराधान के वर्तमान स्तरों को ध्यान में रखते हुए आयव्ययक में 200 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया गया है। व्यक्तिगत करों में 3 करोड़ और निगमित करों में 7 करोड़ का लाभ दिया है। मेरा कहना है कि यदि वित्त मंत्री ने केवल आय व्ययक बनाने के सिद्धान्त का अनुसरण किया होता तो चालू वर्ष में करों के रूप में प्राप्त राशि को पूंजीगत व्यय में लगाया जाता। परन्तु पूंजीगत व्यय पूंजी आगम और ऋण से ही लिया जाता तो करों में कुछ राहत मिल सकती थी, विशेष रूप से उत्पादन शुल्क में राहत मिल सकती थी। इससे देश के निधन लोगों को काफी लाभ हो सकता था। परन्तु ऐसा किया नहीं गया। असैनिक खर्चे तथा योजना पर खर्चे के लिए मांगों को बिना किसी विरोध के मान कर 200 करोड़ रुपये के मुनाफ को 27 करोड़ रुपये के घाटे में बदल दिया गया है।

मेरा निवेदन है कि यदि वित्त मंत्री ने थोड़ा सा भी साहस दिखाया होता तो वह असैनिक खर्च में 5 प्रतिशत कमी कर सकते। परन्तु पिछले वर्ष की तुलना में इस में 24 करोड़ रूपये की वृद्धि कर दी गई है। हमारी नौकरशाही के आकार में उत्तरोत्तर वद्धि होती रही है। यह सदा बहुत थोड़ा काम करने के तरीके ढूंढने में, कम कार्य के लिये अधिक व्यक्ति लगाने तथा कम से कम कायकुशलता के लिये अधिक अधिक खर्चा करने में व्यस्त रही है। उच्च अधिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 1947 में जब अंग्रेज़ यहां से गये थे, उस समय 18 सचिव, 10 अतिरिक्त सचिव, 34 संयुक्त सचिव, 70 उपसचिव तथा 167 अवर सचिव थे। इस समय 46 सचिव, 20 अतिरिक्त सचिव, 115 संयुक्त सचिव, 235 उप-सचिव तथा 429 अवर सचिव हैं। अतः हमारे संघ सचिवालय के अनुत्पादी विभागों के स्तर पर भी 299 की तुलना में अब 845 अधिकारी ऐसे हैं जिनको अच्छा वेतन मिलता है। गृह-कार्य मंत्रालय का रिकार्ड शायद सब से गन्दा है। क्योंकि इसमें अधिकारियों की संख्या 15 से बढ़ कर 150 हो गई है।

योजना आयोग ने, जिससे तीसरी योजना को बिगाड़ दिया था, 1966–67 में 1.63 करोड़ रूपये खर्च करने है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 25 लाख रूपये अधिक हैं। ब्रिटेन में भी एक योजना निकाय है परन्तु उसका कुल खर्चा 33.33 लाख रूपये है। जहां तक प्रतिरक्षा संबंधी खर्च का संबंध है, यह इस वष के आय, व्ययक के लिये सापेक्ष रूप से युक्तियुक्त है।

आगामी वर्ष में केन्द्र द्वारा योजना पर 1,155 करोड़ रूपये तथा राज्य स्तर पर 926 करोड़ रूपये खर्च किया जायगा जिनका कुल जोड़ 2081 करोड़ रूपये होता है। चालू वर्ष की योजनाओं से पहले की तुलना में कृषि को जो कुछ अधिक महत्व दिया गया है उसका स्वागत है, फिर भी ऐसी कई मदें हैं जिन पर अत्यधिक अपव्यय किया जा रहा है। एसे खर्च का बोकारो इस्पात कारखाना एक सुस्पष्ट उदाहरण है। पहले प्रकरण की लागत 550 करोड़ रूपये से बढ़ा कर 626 करोड़ रूपये कर दी गई है। जब सारा कारखाना पूरा हो जायेगा तो 770 करोड़ रूपये के मूल अनुमान की तुलना में इसकी लागत 923 करोड़ रूपये आयेगी। इस प्रकार कर दाताओं को 153 करोड़ रूपये का भार पड़ेगा। प्रति टन लोहे के डलों की हमारी लागत भी बहुत अधिक है। अमरीका में औसत 380 डालर की तुलना में यह 2300 रूपय या 485 डालर है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। विशेषकर इस समय जब कि विश्व बाजार में इस्पात की भरमार है और भारतीय कारखानों को भी इस का सामना करना पड़ रहा है। यह सरकारी साधनों का दुरूपयोग है।

विश्व बाजार में इस्पात की भरमार है तथा इस्पात के भाव गिर रहे हैं। भारतीय कारखानों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में एक अन्य इस्पात का कारखाना स्थापित करना सरकारी साधनों का दुरुपयोग होगा। अतः इस बात को ध्यान में रख कर इस कारखाने की स्थापना को सुगमता से अन्य पांच वर्षों तक स्थगित किया जा सकता है।

[श्री मी० रु० मसानी]

हम सब को विदित है कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 16 फरवरी को राज्य सरकारों के अनुशासनहीनता की भर्त्सना की थी और इस बात की कड़ी आलोचना की थी कि वे उस से अधिक धन निकाल रहे है जिसके वे हकदार हैं। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने भी इस बात का उल्लेख किया था। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि आयव्ययक प्रस्तावों में एक भी सुझाव ऐसा नहीं दिया गया जिस में यह बताया गया हो कि अनुशासनहीनता को किस प्रकार रोका जायेगा। इस के विपरीत माननीय सदस्य यह जानकर चकित होंगे कि राज्यों को इस अनुशासनहीनता का पारितोषिक दिया जा रहा है और केन्द्र इस आगामी वर्ष में राज्यों को 666 करोड़ रुपया दे रहा है। यदि यह सब धन राशि योजना के खर्च के लिये दी जाती तो कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं थी, परन्तु इस धन राशि में से 161 करोड़ रुपये ऐसे हैं जो गैर-योजना खर्चों के लिये दिये जा रहे हैं। यदि राज्यों को यह 161 करोड़ रुपये की धन राशि योजना से भिन्न खर्च के लिये न दी जाये तो बजट में कोई घाटा नहीं होगा और 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परन्तु यह खेद की बात है कि वित्तमंत्री महोदय ने कर लगाना ही श्रेयकर समझा है। यदि केवल पूंजीगत प्राप्तियों को ही पूंजीगत खर्चे के लिय रखा जाता जिस में ऋण और अग्रिम धन शामिल है तो वह करों में 200 करोड़ रुपये तक की छूट दे सकते थे। यह केवल एक भ्रम है कि कर की दर कम करने से राजस्व की प्राप्ति में कमी होगी। वास्तविकता तो यह है कि जितना कर कम होगा उतनी ही प्राप्ति अधिक होगी। अमरीका द्वारा की गई करों में कटौती से यह सिद्ध हो गया है कि करों की दर कम करने से राजस्व प्राप्ति में कमी नहीं होती अपितु वृद्धि होती है।

यदि वित्त मंत्री महोदय ने थोड़ा सा भी कल्पना का प्रदर्शन किया होता तो करदाताओं के सिर पर 100 करोड़ रुपये के नये करों का बोझ नहीं पड़ता। इस सरकार से यह आशा तो नहीं की जा सकती कि यह करों में कमी करने का साहसिक एवं प्रगतिशील कदम उठायेगी, तब भी कम से कम अतिरिक्त करों से तो कर दाताओं को बचाया जा सकता था।

तीन ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिस से 100 करोड़ रुपये के करों को लगाने से रोका जा सकता था। पहला उपाय यह था कि प्रतिरक्षा खर्चों को छोड़ कर, असैनिक खर्चे में औसतन 3 प्रतिशत की कटौती कर दी जाती। और गैर प्रतिरक्षा खर्चों में 3 प्रतिशत की कटौती करने से कोई अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा तरीका यह था कि राज्यों को केवल योजना खर्चे के अधीन ही अग्रिम धन किया जाता और ऐसा करने से अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरे यदि सरकार ने जो कर अभी वसूल करने शेष हैं, उन्हें अच्छी तरह से और पूर्णरूप से वसूल किया होता, तो यह अतिरिक्त कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ती। परन्तु सरकार समस्त अर्थ व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट होने से बचाने की तुलना में लोगों पर अधिक कर लगाने को अधिक महत्व देती है।

यह दावा गलत है कि यह आय-व्ययक उत्पादन प्रधान है तथा इस से उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके विपरीत तथ्य यह है कि इस आय-व्ययक का उद्देश्य उत्पादन में कमी करना है और इस से उत्पादन में कमी होगी। आगामी कुछ महीनों में देश को मंदी का सामना करना पड़ेगा। निम्न मध्य वर्ग के लिये यह जो थोड़ी सी करों में राहत दी गई है, यह तो उचित है, परन्तु नये करों के कारण यह बिल्कुल निष्प्रभावी हो गई है, क्योंकि केवल 10 करोड़ रुपये की छूट दी गई है और करों में इस से कहीं अधिक वृद्धि की गई है। इन अतिरिक्त करों के कारण बेचारे उपभोक्ताओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और वे इन के बोझ से दब जायेंगे। 100 करोड़ रुपये की इस अतिरिक्त राशि से हमारी अर्थ-व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायेगी। इस का परिणाम यह होगा कि पिछले वर्ष की भांति जब 200 करोड़ रुपये के नये कर लगाये गये थे, अगले वर्ष भी सरकार यह कहेगी की हमारी आशायें पूरी नहीं हुई। बोनस आदि पर राहत देने के कारण एक अथवा दो दिन के लिये पूंजी बाजार में सक्रियता आ सकती परन्तु आगामी 12 महीनों में इस से पूंजी बाजार को सुदृढ़ नहीं किया जा सकेगा। आज की अर्थ व्यवस्था में पूंजी बाजार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और यदि वह पूंजी बाजार की पुनर्जीवित करना चाहते है, तो उन्हें अपने कर प्रस्तावों पर पुनः विचार करना चाहिय। मेरा अनुरोध है कि पूंजी बाजार को अस्तव्यस्त होने से बताने के लिये वह अपने प्रस्तावों पर पुनर्विचार करें।

यह बात गलत है कि विदेशी विनियोजक भारत के कराधान के स्तर में रूचि नहीं रखता। यदि सरकार का कोई उच्च अधिकारी इस प्रकार की बातें करता है तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। वे लोग तो हर हालत में इसमें रुचि रखते है। इसके अतिरिक्त आयव्ययक की दूसरी गलत बात कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ जायेगी और कीमतों में भी वृद्धि होगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हल्के डीज़ल तेल पर उत्पादन शुल्क बहुत ही गम्भीर बात है। यह शुल्क ऐसे समय में लगाया गया है जब किसान को अधिक अन्न उपजाने के लिये प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त चीनी पर जिसकी आम लोगों को भी आवश्यकता है शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। देश में बहुत चीनी है। बड़े बड़े स्टाक जमा हो गये है और यदि चीनी से नियन्त्रण हटा लिया जाता है तो उद्योग इन स्टाकों को हटा लेने में बाध्य होगा। इस से निश्चित रूप में कीमतों को कम कर लिया जायेगा। मुद्रास्फीति को रोकने का यह एक उपाय होगा। इस का एक लाभ यह भी होगा कि उधार की उपलब्धता में होने वाली कठिनाई कम हो जायेगी। उद्योग बकाया रह गयी राशि की अदायगी करने के लिये बाध्य हो जायेगा जिसका कि भुगतान नहीं किया गया है। गन्ना उत्पादकों का 18 करोड़ रुपया चिनी उद्योग ने देना है।

घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। 25 करोड़ रुपये की कमी को पूरा किये बिना छोड़ दिया गया है। आयव्ययक में केवल घाटे की ही अर्थव्यवस्था नहीं। वास्तव में यह घाट की अर्थव्यवस्था है ही नहीं। घाटे की अर्थव्यवस्था 375 करोड़ रुपये की है क्योंकि शेष 350 करोड़ रुपया ऋण और पी० एल० 480 की अन्तर्गत प्राप्त राशियां है। इन के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था में धन आ रहा है। परन्तु इस राशि के लाभ से उत्पादन होने वाली वस्तुओं और सेवाओं में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। प्रगति न होने का कारण साफ है कि कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

अन्तिम बात यह है कि आय व्ययक विदेशी सहायता पर पूर्णतया निर्भर कर रहा है। इस वर्ष यह निर्भरता 800 करोड़ तक पहुच गयी है। इस पूर्व दो वर्षों में स्थिति कमशः 680 करोड़ रुपये और 460 करोड़ रुपये की थी। हम अपनी सहायता आप करने के सिद्धान्त पर नहीं चल रहे। अतः प्रश्न यह है कि क्या हमें यह राशि मिल जायगी। अभी हाल ही में योजना मंत्री ने जो वक्तव्य दिये हैं, वे काफी आश्चर्यजनक है। वह चाहते है कि 30 एकड़ भूमि की अधिकतम सीमा को कम किया जाय। उनका विचार है कि 10 एकड़ भूमि पर अधिकतम आय 300 रुपयो दी जाय। इस तरह वह कृषकों का अनिवार्य संघ बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह चेतावनी भी दे दी है कि प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये के कर लगाया जाया करेंगे। और उनका मत यह है कि इससे बचाव नहीं हो सकता। वर्तमान पीढ़ी के उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग में भी बहुत अधिक कटौती करने की बात कह रहे थे। मेरा मत यह है कि यदि उनके विचारों को स्वीकार कर लिया गया तो देश को भीषण हानि उठानी पड़ेगी।

मेरा विचार यह है कि वर्तमान बजट पिछले तीन बजटों की श्रृंखला की एक कड़ी है। पहले 1963 में मोरारजी देसाई ने इस कड़ी को शुरू किया था और दो बजट श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने शुरू किया था। उससे देश को बहुत बड़ी कठिनाईयों का सामना करना होगा। आप को यह बात सोचनी चाहिये कि आखिर जनता के धीरज की भी कोई सीमा है, यदि स्थिति नहीं सुधारती, तो फिर जनता स्वयं उसे सुधारने के लिए निकल पड़ती है। यदि भारतीय जनता का रोष उभर पड़ा तो उसके बहुत ही भीषण परिणाम हो सकते है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : श्री मसानी एक सुलझे हुए अर्थ-शास्त्री है और उन्होंने अपने विचार के अनुसार देश की अथ व्यवस्था का बड़ी ईमानदारी से विश्लेषण किया है। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही है जिनकी ओर ईमानदारी से हमारा

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

ध्यान जाना चाहिए । उनकी बातें न केवल इस सभा के लिए विचारणीय है प्रत्युत: सरकार को भी उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। हर बार वह ऐसे अपने विचार बड़ी सुन्दरता और गम्भीरता से व्यक्त करते है। उनके तर्कों में काफी जान होती है परन्तु जो कुछ आज उन्होंने कहा है, उससे कोई रचनात्मक बात सामने नहीं आती। उनके तर्क ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई फूलों की वार्षिक प्रर्दशनी। यह सब बातें ठीक है पर मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि आखिर इन सब बातों से क्या लाभ होगा ? आज हम कहते हैं कि शेयरों की कीमत नीचे जा रही है, विदेशी विनिमय की कठिनाइयां हमारे सामने आ रही है और खाद्य संकट हमारे सामने बड़ा भयंकर रूप धारण किये खड़ा है। हम सबको यह प्रयास करना चाहिये कि स्थिति का सुधार करें। यदि वह हमारे साथ आ जायें तो मुझे विश्वास है कि उनके विचार में परिवर्तन आ जायेगा। मैं इसे स्वीकार करती हूं कि उनके तर्क ठीक हैं परन्तु वह एक दृष्टिकोण को सामने रख कर किये गये हैं। मैं उनके दृष्टिकोण और उनके तरीके की आलोचना करती हूं। उनकी लियाकत में मुझे कोई सन्देह नहीं।

मैं श्री मसानी से सहमत हूं कि हमें व्यय कम करना चाहिये। ैर मेरे विचार में वित्तमंत्री को इस बात से सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आज जब हालत निरन्तर बिगड़ रहे हैं तो इस दिशा में वित्तमंत्री का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। देश की अर्थ व्यवस्था को आज कई दिशाएं देखनी पड़ रही हैं। मेरा निवेदन है कि केवल सरकार की आलोता करने से ही हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। भारतीय अर्थ व्यवस्था में हो रहे कुछ विकास के कारण स्थिति कुछ खराब हो रही है। ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति के लिए सुधार करने के बारे में सुझाव देना सम्भव है। श्री मसानी का कहना ठीक है कि काफी मात्रा में अमरीकी सहायता मिल रही है फिर भी सरकार कुछ कर नहीं रही है। मेरे विचार में आज की स्थिति में भारतीय अर्थ व्यवस्था को जो कुछ सहन करना पड़ रहा है उससे बचा नहीं जा सकता। औद्योगिक प्रगति 150 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई है जबकि अन्य क्षेत्रों का विकास पीछे रह गया है। वित्त मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि असंतुलन की लगातार जांच करें और संतुलित अर्थ व्यवस्था की रचना करे। नि:सन्देह वित्तमंत्री का कार्य है। इस कार्य के लिये हमारे कई लक्ष्य पूरे न हीं हो सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रगति काफी हुई है। उसके कारण कई एक समस्यायें हमारे सामने आई ह। विकास के अतिरिक्त व्यय चरम सीमा तक पहुंच गया है। वित्त मंत्री को बताना चाहिये कि इस सम्बन्ध में उनका क्या करने का विचार है। हमें अतिरिक्त साधनों का निर्माण करना ही होगा। खर्च कम करने ही होंगे।

प्रशासनिक व्यय भी 30 प्रतिशत वार्षिक बढ़ रहा है जबकि राष्ट्रीय आय केवल 8 प्रतिशत बढ़ रही है। कल्याणकारी राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिये। सरकारी व्यय देश की आय के अनुसार होना चाहिये। हमें अपने साधनों से अधिक व्यय नहीं करना चाहिये। जहां तक उद्योग के क्षेत्र में साधनों के उपयोग का सम्बन्ध है, स्थिति अच्छी नहीं है। जब हम अपनी अर्थ-व्यवस्था के लिए साधन जुटाते हैं, तो हमारी यह जिम्मेवारी है कि उन साधनों का प्रयोग करे। परन्तु हमारी उपयोग की औसत क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। ऐसी स्थिति सहन नहीं की जा सकती। हम सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये। बड़ा कठिन कार्य है और अरोचक भी, परन्तु इसे करना ही होगा। यह वित्त मंत्री का उत्तरदायित्व है।

खाद्य स्थिति देश को काफी परेशान कर रही है। संसार भर के लोग हमारी सहायता के लिय अपीलें कर रहे हैं। मेरे विचार में इस मामले में हमें गम्भीर

इस वर्ष के बजट के अनुसार वित्त मंत्री का अनुमान है कि करों से आय में 10 करोड़ की वृद्धि होगी। जिन लोगों से इस वृद्धि की आशा की जा रही है उन्हों ने कर हड़ताल द्वारा आय में 40 करोड़ का घाटा दिया था। अत: वह इस 10 करोड़ की वृद्धि किस प्रकार होने देंगे ?

वित्त मंत्री को पूंजी बाज़ार में गड़बड़ी से बड़ा दु:ख होता है परन्तु उन्होंने अपने भाषण में महालनोबिस समिति की रिपोर्ट अथवा एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया है। यह सब उन्हें सुसंगत नहीं प्रतीत होता है। ब्रिटिश सरकार के प्रभाव में चलने वाले चाय उद्योग को अधिक विकास सम्बन्धी रियायत दी गई है। बड़े अमरीकी उद्योगपतियों, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इच्छा के अनुसार उन्होंने निर्यात नीति में उदारता लाने के लिये प्रस्ताव किया है जबकि हमारे विदेशी ऋण 3,000 करोड़ रुपये के लगभग हैं और अगले पांच वर्षों में उन पर ब्याज का व्यय 1,500 करोड़ रुपये के क़रीब होगा।

वित्त मंत्री ने क्षमा-याचना के स्वर में कहा है कि वह योजना सम्बन्धी व्यय कम नहीं कर सकते परन्तु जो योजनायें इस समय चल रही हैं उनको शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये व्यय की व्यवस्था तो करनी ही होगी।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी खर्च में वृद्धि के मुकाबले में 1966–67 में 1952 करोड़ रुपये का पूंजी खर्च होगा जो वर्तमान वर्ष की अपेक्षा 296 करोड़ कम होगा। जहां तक योजना व्यय का सम्बन्ध है, 2081 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव है जो वर्तमान वर्ष के 2225 करोड़ रुपये के खर्च से 144 करोड़ रुपये कम होगा। वित्त मंत्री को प्रसन्न होना चाहिये कि 16 वर्षों की योजना के बाद प्रथम बार ऐसा हुआ है कि आने वाले वर्ष का व्यय जान बूझ कर पिछले वर्षों के खर्च से कम रखा गया है। यह कटौती किये हुये आंकड़े भी संदिग्ध प्रतीत होते हैं। 1966–67 में योजना पर व्यय की मात्रा 490 करोड़ रुपये के लगभग विदेशी सहायता के मिलने पर निर्भर करेगी। यह पी०एल० 480 से होने वाली उस अभिवृद्धि के अतिरिक्त है जो बजट में शामिल है। पी०एल० 480 के सौदे के प्रभाव की जांच के लिये बहुत समय से मांग की जा रही है अत: किसी संसदीय समिति या अन्य किसी तरीक़े से इसकी जांच की जानी चाहिये। अब पी०एल० 480 की अभिवृद्धि को देश के बजट में शामिल किया जाने लगा है। यदि किसी कारण से 498 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता नहीं मिलती या कुछ कम मिलती है तो योजना कार्यों में भी कमी करनी पड़ेगी। क्या इस का यह मतलब है कि आर्थिक व्यवस्था को किसी न किसी प्रकार कायम रखने के लिये हमें यह कहना चाहिये कि चूंकि हमारे पास अन्न नहीं है, हम कठिनाइयों में हैं, हमारे उद्योग ठप हो रहे हैं, हम पूर्णत: विदेशी सहायता पर निर्भर हैं और किसी अपनी निर्भरता को बढ़ा-चढ़ा कर बतायें, जो कि सत्य नहीं है और अनेक अर्थ शास्त्री जिसको अतिशयोक्ति मानते हैं ? इस प्रकार जो कुछ पिछले वर्षों में हमें सफलता मिली है वह भी समाप्त हो जायेगी।

जब देश के सामने आत्मनिर्भरता का प्रश्न आया तो नया स्वदेशी का आन्दोलन उभरा। लोगों की देशभक्तिपूर्ण भावनाओं का संगठन किया गया और इस बात का निश्चय किया गया कि हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रत्येक बलिदान करेंगे। यदि इस दिशा में कोई बलिदान आवश्यक हुआ तो वह भी करेंगे।

इसी प्रकार की भावना गत वर्ष भारत-पाक संघर्ष के अवसर पर दिखाई दी। लोगों के सामने कठिनाइयां अपने भयंकर रूप में थी परन्तु यही अवसर होते हैं जब कि कोई नया स्वदेशी आन्दोलन चलाया जाता है परन्तु खेद की बात है कि इस सब के बावजूद श्री मसानी अमरीकी सहायता की बात करते हैं तो इस प्रकार जैसे हम अपना सब कुछ खोकर उन से सहायता ले रहे हैं ? यदि कोई हमसे कहे कि हम तुम्हें क़र्ज इस शर्त पर देंगे कि वह अमुक जगह ही खर्च किया जाय तो यह पूर्णत: आत्मसम्मान के विरुद्ध बात होगी। खेद की बात है कि वित्त मंत्री महोदय विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के बारे में इसी प्रकार की भावनायें व्यक्त कर रहे हैं।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आत्मा बिल्कुल स्वच्छ है। हम संसार को केवल इतना बताना चाहते हैं कि हम एक प्रभु-सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हैं और हमें इस बात का भी पूरा ज्ञान है कि अमरीकी सरकार किस प्रकार चल रही है। हमें इस बात का भी पूरा ज्ञान है कि अमरीका में केन्द्रीय गुप्तचर अभिकरण तथा सम्बद्ध निकाय किस प्रकार कार्य करते हैं। किस तरह यह लोग सरकारें बनाते बिगाड़ते रहते हैं, किस तरह ये लोग अन्य देशों की राजनीति में भी हस्तक्षेप करते रहते हैं और वहां अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यदि उनका ऐसा प्रभुत्व इस देश में स्थापित हो गया तो निरीक्षण करने के बहाने वे हमारी परियोजनाओं में हस्तक्षेप करते रहेंगे। अतः इन लोगों को दूर से सलाम करना चाहिये। इस प्रकार की दूसरों की सहायता पर आधारित आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था हमें नहीं चाहिये जिसके कारण हमें अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़े।

कहा जायेगा कि मैं बहुत बढ़-चढ़ कर बातें कर रहा हूं परन्तु इस बजट से यह व्यक्त होता है कि हमारी सरकार स्वतंत्र आर्थिक विकास से दूर होती जा रही है और जो नीति अपना रही है वह किसी स्वाभिमानी राष्ट्र के अनुरूप नहीं है। श्री मनुभाई शाह ने आयात तथा निर्यात के बचाव में कहा है कि पिछले वर्ष केवल 200 रुपये की प्रसाधन सामग्री का आयात किया गया है। परन्तु व्यापार-नियंत्रक (आयात-निर्यात) के सूचना-पत्र के अनुसार 1963–64 में चीनी आक्रमण के बाद 8.8 करोड़ रुपये के रासायनिक साबुन तथा औषध-युक्त प्रसाधन सामग्रियां, 2.80 करोड़ रुपये की विलास कारें, 66.96 करोड़ के खाद्य पदार्थ और 12.06 करोड़ रुपये के रेडियोग्राम और केमरों का आयात किया गया है। अब टेलिविज़न और क्या नहीं आयात किये जाने वाला है। इन वस्तुओं का आयात करने से और इनपर रुपया खर्च कर ने से देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था पर असर पड़ेगा। क्या यह गांधी का देश है? हम किस तरह लोगों से कह सकते हैं कि वे देश के लिये कुछ त्याग करें?

बार बार खाद्य सम्बन्धी आत्म-निर्भरता के बारे में वचन दिये गये हैं। श्री मसानी ने कहा है कि विदेशी विनियोजन यहां के बड़े प्रतिबंधों और विनियमों के कारण आने में हिचकते हैं। परन्तु इस के बावजूद प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी के लगाये जाने पर तीसरी योजना में, 1959–65 में 281.3 करोड़ रुपये की राशि का लाभ, लाभांशों, रायल्टी तथा तकनीकी शुल्क इत्यादि के रूप में विप्रेषण हुआ है। विदेशी विनियोजक यहां अपने हितों की सिद्धि के लिये न कि हमें सहायता देने के लिये आते ह। वह यहां से पूरा लाभ उठाते हैं और फिर भी प्रतिबंधों की शिकायत करते हैं। परन्तु इसी मामले पर सरकार विचार नहीं करती दिखाई देती है।

कहा गया है कि 1.83 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा उद्योगपतियों को विदेश-यात्रा के लिये दिये गये हैं। इस प्रकार की यात्राओं से हमें क्या लाभ होता है इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है। परन्तु 93 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा निकल जाती है। परन्तु हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करते। हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों से सहायता के रूप में रुपया मांग कर विदेशी मुद्रा मंगा सकते हैं। परन्तु हम उन लोगों से किस प्रकार सहायता के लिये कह सकते हैं जबकि हमारी सरकार की कार्य-वाहियां दिन प्रतिदिन अनैतिकता की ओर जा रही हैं। हर ओर भ्रष्टाचार है। श्री अजीत प्रसाद जैन द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता त्यागने बाद और एक राज्य का राज्यपाल रहते इस कांग्रेस के चुनावों में मत प्रचार का साधन बने रहना अशिष्टता का ही परिचायक है। राजस्थान के राज्यपाल ने विधान सभा के अध्यक्ष के सामने मार्शल को आदेश दिया था कि वह सदस्यों को सभा से बाहर निकाल दे। यह सब घटनायें इसी कारण हो रही हैं कि अशिष्टता का वातावरण फैला हुआ है। केवल जनता ही कभी कभी पागलपन नहीं दिखाती, सरकार भी पागलपन दिखा रही है। सत्तारूढ़ दल का भी दिमाग़ खराब हो रहा है और वह भारत रक्षा नियम तथा आपात की स्थिति का भी आवश्यकता पड़ने पर लाभ उठाती है। इस का परिणाम यह है कि सरकार की शक्तियों का ह्रास होने के कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है।

अपमान सहन करना पड़ रहा है । अमरीका की काँग्रेस में भी इस विषय पर विवाद हो रहा है । कहा जा रहा है कि भारत अमरीका पर अधिक आश्रित हो रहा है । स्थिति ही ऐसी है कि अपमान सहते हुए भी हमें ऐसा करना पड़ रहा है । इस दिशा में मेरा यह भी निवेदन है कि खाद्य समस्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों की अब भी उपेक्षा की जा रही है । देखा जाय तो हमारे लिए यह लज्जा की बात है भारत को खाद्य पदार्थ देने के लिये विदेशों के बच्चों ने मध्यान्ह का भोजन करना बन्द कर दिया है । इसके विपरीत राजस्थान में अनाज की 30 लाख बोरियां बेकार पड़ी हुई हैं । सरकार को ऐसा सारा स्टाक अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये क्योंकि यदि नये अनाज को वहीं डाला जायेगा तो वह पूर्णतया खराब हो जायेगा । पंजाब की गेहूं के नाम पर जो गेहूं राशन में दिया जा रहा है, और जिसे देशी गेहूं के नाम से पुकारा जाता है बहुत ही खराब है । व्यापारियों को जो स्टोर करने के लिये नुकसान दिया जाता है वह बहुत ज्यादा है । चावल के बारे में मेरा निवेदन है कि हम चार सौ लाख टन गत वर्ष पैदा किया है इस में से काफी मात्रा में बेकार हो गया है । मेरा कहना है कि जहां तक चावल का सम्बन्ध है, इसको कूटा जाने के पुराने ढंग के कारण काफी मात्रा में चावल बेकार हो जाता है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

अन्त में मैं वित्त मंत्री से यह अपील करती हूं कि वह रूपये के अवमूल्यन के बारे में कुछ तथ्यपूर्ण बात बतायें । ऐसा कहा जा रहा है कि अमरीका ने भारत सरकार पर दबाव डाला है कि वह अपने रुपये की कीमत को कम करे इससे ऐसी धारणा पैदा हो गई है कि भारत सरकार रुपये का अवमूल्यन करने के बारे में अमरीकी सरकार तथा अन्य निकायों से निरंतर रूप से सम्पर्क जोड़े हुए है क्योंकि इसका मूल्य बहुत अधिक है । यदि हम रुपये का अवमूल्यन करेंगे तो हम नष्ट हो जायेंगे क्योंकि आयात पर जो हमारा खर्चा है वह अभी बहुत अधिक है । वित्त मंत्री को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये । हमारा आयात व्यापार अभी भी बहुत ज्यादा है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : वित्त मंत्री ने जो आय-व्ययक पेश किया है उसमें उन्होंने योजना और समाजवाद के लक्ष्य का बड़ा भद्दा राग अलापा है । योजना मंत्री ने सागर में जहां उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी कहा था, कहा है कि हमारे आर्थिक और सामाजिक आधार जो कि अभी तक समाजवादी संस्थायें नहीं हैं बनने का प्रयास कर रहे हैं । यह एक आधार-भूत बात है और सरकार को यदि वह समाजवाद के संबंध में पूर्णरूप से कपटी नहीं है (पर मैं समझता हूं कि अवश्य ऐसी है) तो देखना चाहिये कि जो संस्थाये कम से कम आंशिक रूप से समाजवादी हैं, वह काफ़ी प्रगति करें । जो बजट पेश किया गया है वह उन्नति-प्रतिरोधक है और जो भावना लोगों के दिलों में उत्पन्न की जानी चाहिये उसके विरुद्ध है । यह बजट केवल पुराणपन्थी ही नहीं है बल्कि पराजयवादी है और इसमें जनता के लिये जो सब से बड़ी पूंजी है उसे कोई स्थान नहीं दिया गया है बल्कि बड़े पूंजीपतियों के लिये छूट पर छूट दी गयी है । इसमें पीड़ित तथा क्रुद्ध जनता के लिये सहायता की कोई गुंजाइश नहीं है और मूल्यों को नियंत्रित रखने की बिल्कुल भी आशा नहीं है । इस बजट से स्पष्ट है कि विकास संबंधी कार्यों को वास्तव में छोड़ दिया गया है । बुद्धिसंगत होने के बहाने किये गये निर्णयों से जाहिर तो ऐसा होता है कि सब के लिये बहुत कुछ किया जायेगा परन्तु यथार्थ में होता कुछ नहीं दिखाई दे रहा । इस बजट में लोकतंत्रीय सामाजिक परिवर्तन के बारे में कोई भी संकेत नहीं है । इसमें भारतीय पूंजीवाद को जो हमेशा अपने लाभ के लिए भारतीय हितों का बलिदान देने को तत्पर हैं, और भी बढ़ावा देने का स्पष्ट संकेत है ।

दस वर्ष पूर्व प्रोफेसर गाडगील ने अर्थशास्त्रियों की तालिका को भेजे हुये अपने टिप्पण में हमारी असंगत औद्योगिक नीति के बारे में कहा था कि एक ओर तो वह आधुनिक ग़ैर सरकारी उपक्रमों पर

6--33 L S /66

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

पूंजी निर्माण के लिये आश्रित हैं और दूसरी ओर यह लक्ष्य भी बनाया हुआ है कि धन और आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोका जाए। यह कुछ ऐसी बात है जो संभव नहीं है। देश इस बजट को कोसेगा यदि इस के द्वारा देश की आशाओं को आघात पहुंचेगा।

आजकल कांग्रेस द्वारा बुद्धिसंगत करने की बड़ी रीति चल पड़ी है। वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि समाजवाद से संबंध विच्छेद हो जायेगा। व्यय-कर की समाप्ति कर दी गई है तथा उपहार-कर को और अधिक क्षीण कर दिया गया है। व्यय कर से आमदनी तो कम हो रही थी परन्तु वित्त मंत्री ने उसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। आज के प्रश्न-काल में प्रश्नों के उत्तर से ऐसा प्रतीत हुआ है कि जहां तक वित्तीय प्राधिकारों का सम्बन्ध है, विश्व बैंक ही इस देश का संसार है। यह एक विलक्षण बात है कि बोनस शअरों पर लगा हुआ बोनस शेअरों पर लगे पूंजी लाभ-कर साथ-साथ समाप्त कर दिया गया है।

4 मार्च के "इकनामिक टाइम्स" में ऐसी अनेक कम्पनियों का उल्लेख है जिनके पास अबाध रक्षित धन है और अनुपात से कहीं अधिक चुकता पूंजी है और उनका बोनस काफ़ी मात्रामें बढ़ गया है। बड़े पूंजीपतियों को प्रसन्न करने के लिये सामान्य लाभांशों पर करों में परिवर्तन कर दिये गये हैं। दत्त पूंजी को 10 प्रतिशत पर कोई कर नहीं लगाया जाये। कम्पनी लाभों पर अधिकर की दर 40 से 35 प्रतिशत कम कर के असाधारण उदारता का परिचय दिया गया है। चाय, अखबारी काग़ज़ और छापखाने की मशीनों के लिये विकास छूट योजना का प्रस्ताव किया गया है। गरसरकारी क्षेत्र में ज़हाज़ निर्माण के कार्य के लिये भी वित्त मंत्री ने बड़ी उदारता दिखाई है।

निम्न मध्यम श्रेणी के लिये निजी आय पर कर लगाने की वर्तमान सीमा में 500 रुपये की वृद्धि कर के थोडी रियायत अवश्य की गई है और इस बजट का केवल यही एक अच्छा पहलू है। इस एक बहुत छोटी सी रियायत से कोई विशेष धनराशि का व्यय नहीं हुआ है और कांग्रेसी सदस्यों को इसे कोई बहुत भारी रियायत नहीं समझनी चाहिये। यह बहुत छोटा सा लाभ चीनी, तम्माकू, कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा 10 प्रतिशत अधिभार से प्रतिसन्तुलित हो जायेगा। श्री मसानी ने कहा है कि बहुत सा रुपया आय-कर तथा अन्य करों की बक़ाया रकमों के वसूल किये जाने से मिल जायेगा परन्तु हम जानते हैं कि वह कौन लोग होते हैं जो करों की चोरी करते हैं। फिर भी उन्हीं लोगों को रियायतें दी जा रही हैं।

वित्त मंत्री ने 101 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त करों का प्रस्ताव रखा है परन्तु इन में आधे कर अप्रत्यक्ष कर होने के कारण जनता को काफ़ी कठिनाई होगी। खंडसारी पर भी उत्पादन-शुल्क लगाना एक क्रूरता का कार्य है और ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री ने अधिक आय के लिये उत्पादन-शुल्कों को ही सब से बड़ा साधन बनाया हुआ है। वह यह मानने के लिये तैयार नहीं कि मद्रास्फीति से अर्थ-व्यवस्था को विशेष रूप से खतरा था। सरकार को स्वयं ही इस बात पर विश्वास नहीं है कि वह चीनी पर से अधिक समय तक नियंत्रण हटाये बिना कार्य चला सकती है। उत्पादन शुल्क की दरों में परिवर्तन करने से मूल्यों के बढ़ने का खतरा है जिसका बोझ जो कि पीड़ित जनता नहीं उठाना चाहती।

वित्त मंत्री ने कहा है कि वह उत्पादन शुल्कों को ब्रिटेन के खरीद कर की तरह आर्थिक विनियामक बनाना चाहते हैं। अन्तर्राज्यीय बिक्री कर में वृद्धि के अतिरिक्त वित्त मंत्री ने राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा अपने ऊपर 15 प्रतिशत विनियमन शुल्क लगाने का भार ले लिया है। इन सब से केवल उन्हीं वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़ेगा जिन पर शुल्कों की वृद्धि से असर पड़ता है बल्कि वस्तुओं का मूल्य सामान्य रूप से बढ़ जायेगा। बारीक कपड़े पर कर में वृद्धि से केवल बारीक कपड़े का ही नहीं अपितु हर प्रकार के कपड़े का मूल्य बढ़ जायेगा। डीज़ल तेल इस प्रकार का दूसरा उदाहरण है।

1965-66 की वित्तीय वर्ष में करों से आमदनी 330 करोड़ रुपये रही जबकि अनुमान था कि 372 करोड़ रुपये होगी। यह बड़े औद्योगपतियों द्वारा एक प्रकार की कर हड़ताल के कारण हुआ।

[श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

अब ताश्कंद समझौते के पश्चात् ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम अपने सीमावर्ती देशों से समझौता करने की दिशा में पग उठा सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, हम इसी आधार पर कश्मीर की समस्या का भी हल निकाल सकते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है कि हम चीन से भी समझौता करने के लिये कुछ 'संभव उपाय' निकालने की व्यवस्था कर सकते हैं हालांकि मैं नहीं कह सकता कि यह 'संभव उपाय' क्या हो सकते हैं। ताश्कंद समझौते से जो आशाएं दिखाई पड़ रही हैं उन के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं और एक प्रकार के इस अवकाश के समय में हम चाहे तो अपना आर्थिक विकास बड़ी कुशलता से कर सकते हैं। हम समाजवादी देशों से व्यापार की संभावनाओं को भी इस समय आंक सकते हैं।

जर्मन गणराज्य ने हमारे हर संकट में हमारा साथ दिया है परन्तु जो व्यवहार हम उसके प्रति दिखा रहे हैं वह अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के विरुद्ध है और इस कारण निन्दनीय है। जर्मन गणराज्य में हमारा कोई कौंसल नहीं है परन्तु जर्मन गणराज्य के मिशनों ने हमारे देश से आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिये अवसर निकाला है।

यथोचित आर्थिक नीति के दृष्टिकोण से भूमि सुधारों की उचित तरीकों से व्यवस्था नहीं की जा रही तथा विदेशी तथा स्थानीय पूंजीपतियों के हितों की तुष्टि की जा रही है।

अतः यह एक विनाशकारी बजट है और जनता के लिये इस में निराशा ही निराशा है। इसके द्वारा कांग्रस की नीतियों का जो सार्वजनिक रूप से घोषित की गई थीं पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया गया है और पूंजीपतियों के लिये रियायतें की गई हैं। निराशा के कारण पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और केरल में लोग आन्दोलन कर रहे हैं। यही बात इस बजट का मुंह काला कर रही हैं। मुझे बड़ा दुःख है कि मेरे मित्र वित्त मंत्री ने जिनका स्वयं मैं बड़ा सम्मान करता हूं ऐसा उदासीन और अधम बजट पेश किया है।

श्री के० द० मालवीय (बस्ती) : वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उस के संबंध में मैं कुछ बुनियादी बातों पर प्रकाश डालूंगा। मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने भाषण के प्रथम भाग में कहा है कि बजट भारतीय सरकार की नितियों तथा योजनाओं को कार्यान्वित करने का बड़ा साधन है।

जैसा कि सब को ज्ञात है सरकार की नीतियों तथा योजनाओं का मार्गदर्शन उसी राजनीतिक दल के द्वारा होता है जिसके मैं और वित्त मंत्री दोनों ही सदस्य हैं। वास्तव में मंत्रिमण्डल का कोई भी सदस्य कांग्रेस दल द्वारा निर्धारित नीतियों से हटने का साहस नही कर सकता। अतः मैं बाद में बताऊंगा कि उन्होंने उन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये क्या किया है।

जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है वित्त मंत्री ने इतिहास के एक कठिन समय का सामना किया है। इस मंत्रालय का कार्य-भार संभालने के थोड़े समय बाद ही उन्हें एक कठिन बजट का भी सामना करना पड़ा है।

श्री मसानी ने कहा है कि इस बजट से मुद्रास्फ़ीति बढ़ेगी। मेरे दल के बहुत से माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था के इस संक्रमण काल में मुद्रास्फ़ीति स्वाभाविक ही है। जो दल मुद्रास्फीति से डरेगा उसको इस समय सत्तारुढ़ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः आय और व्यय के बीच संतुलन किये जाने में मेरी रुचि नहीं है।

मैं कुछ मूलभूत प्रवृत्तियों पर विचार करूंगा और यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है या नहीं। इस में कोई संदेह नहीं कि वर्तमान वर्ष में हमारी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आमदनी में कमी हुई है और भारत-पाक संघर्ष के कारण अतिरिक्त व्यय का भार पड़ा है। सर्वोपरि, खाद्यान्न के उत्पादन में इस वर्ष असाधारण रूप से कमी रही है। कठिनाइयां तो हैं ही परन्तु मैं उन पर क़ाबू पाना है।

[श्री के० द० मालवीय]

मुझे कठिनाइयों से इतनी परेशानी नहीं है जितनी कि सरकार के कुछ राजनीतिज्ञों के बुद्धिसंगत व्यवहार से है। उनके बद्धिसंगत दृष्टिकोण से कोई आर्थिक कठिनाई या समस्या नहीं सुलझ सकती बल्कि और उलझन में पड़ जायेगी। अत: मेरा विचार है कि हमें अपने राजनैतिक सिद्धान्तों का पालन करते रहना चाहिये।

वित्त मंत्री ने इस बजट द्वारा कांग्रेस दल की योजनाओं तथा नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया है। कांग्रेस के भुवनेश्वर अधिवशन में पारित संकल्प के अन्तर्गत विशषाधिकारों, विषमताओं और शोषण की प्रवृत्तियों को दूर किये जाने के लिये स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। इस दिशा में वित मंत्री ने कुछ नहीं किया है। इसी संकल्प के अन्तर्गत गैर सरकारी क्षेत्र में आय और सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के निर्देश है।

क्या इस बजट में इस दिशा में की जाने वाली किसी कार्यवाही की चर्चा है ? इस के अतिरिक्त इस संकल्प के अन्तगत वित्त मंत्री को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिये थीं जो ऋण प्राप्ति के साधनों तथा देश के विनियोजन के स्रोतों पर नियंत्रण रख कर उन्हें सामाजिक लक्ष्यों की ओर ले जा सकें। परन्तु मंत्री महोदय ने ऐसा नहीं किया है। हमारी ऋण लेने की क्षमता उत्पादन क्षमता पर न कि हमारी पूंजी सम्बन्धी क्षमता पर, निभर करनी चाहिये थी और भूमि सुधार संबंधी सारा कार्यक्रम अगले दो वर्षों में समाप्त हो जाना चाहिये था और प्रशासन का पुनसंगठन भी हो जाना आवश्यक था ताकि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की समाजवादी नीतियों को लोकतंत्रात्मक तरीक़े से पूरा किया जा सकता। परन्तु संकल्प को पूण रूप से उपेक्षित कर दिया गया है और इन दिशाओं में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: मैं कांग्रेस हाई कमान और प्रधान मंत्री दोनों को यह बता देना चाहता हूं कि वर्ष 1966–67 में जब आम चुनाव होने जा रहे हैं, हमने अपने बुनियादी मूल्यों की जिन के लिये हम वचनबद्ध हैं, उपेक्षा की है और कोई प्रगति नहीं हुई है। जनता सरकार से पूछेगी कि हर वर्ष बजटों के पेश किये जाने के बावजूद इस उपेक्षा का क्या कारण है ?

वित्त मंत्री के भाषण के 'ख' भाग के 51 वें पैराग्राफ़ के अनुसार बड़े पूंजीपति अपनी पूंजी देश से बाहर ले जा सकते हैं और देश को साम्राज्यवादी भद्दा रूप दे सकते हैं। इन पूंजी पतियों को बहुत अधिक मात्रा में लाइसेंस मिले हुये हैं।

करों में 25% से 10% की रियायत देने से भारतीय पूंजी को बाहर जाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्त मंत्री की अन्य प्रस्तावनाओ के बारे में जो 57 कंडिका में दी गई है, के अन्तर्गत कुछ औद्योगिक विनियोजकों को छोटे छोटे बक निर्माण करने की अनुमति दी गई है उन्हें वह छोटे निगमों का नाम देते हैं और उसके द्वारा परस्पर व्यापारिक लेन देन करते हैं। कांग्रेस में यह मांग बढ़ रही है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। परन्तु हमारे वित्त मंत्री धनी लोगों को आयकर में सुविधायें दे कर नये नये बैंकों को स्थापित कराने की प्रेरणा दे रहे हैं इस से अमीर और अमीर हो जायेंगे और गरीब और गरीब। राज्य का नियंत्रण इन छोटे छोटे बैंकों पर नहीं रहेगा। यह बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग के सर्वथा विरुद्ध है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के बारे में भी कोई निर्णय करना होगा। रोज़गार के लिये नई अर्थ-व्यवस्था तयार करनी होगी। रोज़गार के बारे में यदि पुरानी नीति चलती रही तो लाखों लोग बेकार रह जायेंगे। मूल्योंकी वृद्धि भी रोकनी होगी। श्री मसानी के कहने के अनुसार यदि हम ने चलना शुरू किया तो कहीं के भी न रहगे। न रोज़गार का मसला हल होगा और न अथ-व्यवस्था का। आश्चर्य की बात है कि जो लोग इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि विदेशी पूंजी इस देश में लगे और ग़र सरकारी पूंजी में वृद्धि हो वह आत्मनिर्भरता की बातें कर रहे हैं। वह जो खेल खल रहे हैं उसे बेनक़ाब करना ही होगा। यदि हम ने एकदम अमीर बनने की कोशिश की तो भारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। हमें सामाजिक न्याय का वातावरण निर्माण करना है।

हमारी विशेष सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक न्याय और समृद्धि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। समृद्धि के लिये हमें कोई निश्चित रास्ता अपनाना होगा। विदेशी पूंजी को देश में फैला कर हम समृद्धि नहीं कर सकते। परस्पर विरोधी धाराओं से भी हम सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं कर सकते।

नया रास्ता यह है कि पूरी वित्तीय नीति का रूप बदलना होगा। हमें स्फीति से डरना नहीं चाहिये। हर व्यक्ति के लिये कार्य करने की प्रेरणा होनी चाहिये। उसे यह पता रहे कि सामाजिक न्याय पाने के बाद उसे सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलेगा और इस तरह वह अधिक परिश्रम से कार्य करेगा। यदि मूल्य बढ़ते चले जायेंगे और उसे अधिक से अधिक देना पड़ेगा तो परिश्रम से कार्य करने की प्रेरणा उसमें समाप्त हो जायेगी। अतः हमें समाजवादी सिद्धान्तों तथा नये वित्तीय ढांचे को अपनाना पड़ेगा।

खाद्य के संबंध में मैं मंत्री महोदय की आलोचना नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वह पहले ही कठिनाइयों में हैं। मैं केवल उर्वरक सौदे के बारे में कहूंगा जो कि सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के बीच हुआ है। यह हमारे देश के हित में नहीं है।

यदि आप मूल्यों का निर्धारण और बिक्री संगठन विदेशी कम्पनियों के हाथ में सौंप देंगे तो आप उर्वरकों के वितरण तथा मूल्य पर बदलती हुई तकनीकी परिस्थितियों में कोई नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। अतः हमें चाहिये कि हम विदेशी कम्पनियों को केवल लगाई हुई पूंजी पर अच्छा लाभ देने के लिये कहें और उन को मूल्य निर्धारण की आज्ञा न दें। मेरा यह भी निवदन है कि इन सारे मामलों पर विचार करने के लिये विशषज्ञ समितियों के नियुक्त करने के बारे में वित्त मंत्री को विचार करना चाहिये। सभा की ओर से भी संसदीय समिति इस मामले पर सविस्तर जांच करने के लिये नियुक्त की जानी चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जायगी।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : श्री मसानी और श्री ही० ना० मुकर्जी ने अपने विद्वत्ता पूर्ण भाषण दिये हैं। परन्तु दोनों ने परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वह अपने दृष्टिकोण की पृष्ठभमि में ही कहा है और उनकी पूर्व धारणायें हैं। वे पहले अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर उसके लिए तर्क प्रस्तुत करते है। श्री मसानी इस्पात संयन्त्र लगाने के पक्ष में नहीं है। वह यह भी नहीं चाहते कि बकारों इस्पात संयन्त्र को स्थापित किया जाय। उनका यह कहना कि हम इस संयन्त्र को बहुत सस्ता बना सकते थे, यह मामला परीक्षण का है। शायद उनका सिद्धान्त यह है कि हम अनाज नहीं इस्पात का आयात विदेशों से करेंगे। इस सिद्धान्त का प्रचार वह निरन्तर करते हैं। हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमें अनाज का आयात करना पड़ रहा हैं। इसका कारण यह है कि हम पर प्रकृति का कुछ प्रकोप हो गया है। उद्योगों के विकास के लिए इस्पात बड़ा जरुरी है। इसके बिना तो कोई उद्योग नहीं चल सकता। स्वतन्त्र पार्टी ने इस्पात उद्योग की स्थापना का हमेशा विरोध किया।

यह भी आश्चय की बात है कि स्वतन्त्र पार्टी यह चाहती है कि चीनी पर से नियन्त्रण हटा लिया जाना चाहिए। मैं यह तो मानता हूँ कि मल्यों पर से कानूनी नियन्त्रण हटाने की बात तो कही जा सकती है। परन्तु चीनी उद्योग को स्वतन्त्र व्यापारिक अर्थ व्यवस्था के आश्रय पर छोड़ कर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। हमें इस उद्योग के निर्बल अंग को भी देखना है। और वह अंग गन्ना उत्पादक है। उनके हितों को देखना भी बड़ा जरूरी है। उनका यदि देश की आर्थिक समस्याओं के प्रति यह दृष्टिकोण है, तो उनसे कोई समझौता नहीं हो सकता।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने अपने बढ़िया भाषण में कहा है कि वित्त मंत्रीन बडे बड़े उद्योगों को रियायतें तो दे दी हैं, परन्तु लाभांश देने के बारे में कछ भी नहीं किया गया। निगमित क्षेत्र पर तो वित्त मंत्री ने 365 करोड़ के और कर लगा दिये हैं। मेरे विचार में जो कुछ वित्त मंत्री से सम्भव हो सका है वह उन्होंने किया है। केवल वित्त मंत्री के बाह्य व्यक्तित्व को ही देख कर किसी बात का निर्णय कर लेना ठीक दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता। विदेशी सहायता के बारे में भी हमारा दृष्टीकीण एसा ही है। विदेशी सहायता की आलोचना की जाती है। हर हालात में विदेशी सहायता बुरी है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। देश की जरूरतों और शर्तों को देखते हुए विशष स्रोतों से मिलने वाली विदेशी

[श्री दे० द० पुरी]

सहायता की आलोचना की जाती है । कुछ लोगों के विचार में हर परिस्थिति में विदेशी सहायता बुरी है । एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारी अर्थ व्यवस्था की तीन मुख्य कठिनाइयां हैं । मुद्रा स्फीति, पूंजी बाजार का निर्जीव होना और विदेशी मुद्रा की समस्या ।

मेरा निवेदन यह है कि वित्त मंत्री महोदय के इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है । निर्वाद व्यय लगातार बढता जा रहा है । इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना ही होगा । इस संदर्भ में अन्तर राज्य बिक्री कर को 50 प्रतिशत बढाया जा रहा है । इसका प्रभाव यह होगा कि विकसित राज्यों की तुलना में विकास शील राज्यों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा । विकसित राज्यों का माल तो तुरन्त बिक जायेगा और पिछड़े हुए राज्य मुँह देखते रहे जायेंगे । उत्पादन शुल्क की बात की जाती है परन्तु जो भी उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा उससे उत्पादन व्यय बढ़ जायेगा । इससे जीवन निर्वाह के व्यय भी निश्चित रूप से बढ़ेगाँ । वैसे राज्य भी बहुत खर्च कर रहे हैं । सभी राज्यों के बजटों में घाटे की अर्थ व्यवस्था दिखाई पड़ रही है । यह सब कुछ तो है ही परन्तु मज़ेदार बात है जो कुछ हो रहा है, वह सब मूल्यों को कम करने के नाम पर हो रहा है । मूल्यों को कम करने के नाम पर कर लगाये जा रहे है । इस कठिनाई से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह कि खर्चे में कमी की जाये । यह बहुत ही आश्चर्य जनक बात है कि गैर योजना और गैर-विकास सम्बन्धी खर्चों में एक ही वर्ष में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

कीमतों को कम करने की दिशा में मेरे सुझाव हैं । इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए । सरकार को चाहिए कि कुछ उद्योगों को चुने जो कि नियंत्रित है और जो सरकार का समाधान कर सकने में समर्थ हों । उन्हें जो छूट दी जा रही है, वह अन्ततोगत्वा उपभोक्ताओं को उपलब्ध होनी चाहिए । इसके लिए रेल भाड़े में कमी करके सरकार उन उद्योगों को कुछ रियायतें दे सकती है । यदि ऐसा किया जाय तो समझना चाहिए कि सरकार कीमतें कम करने की इच्छा रखती है । इसमें सरकार को किसी कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त यह भी कि व्यय कम करके अल्प उत्पादन की वृद्धि करने की दिशा में कदम उठाये ।

अधिकर की छूट भी बजट में दी गयी है । इस तर्क को मैं समझ नहीं पाया हूँ । यह ऊपरि वर्ग के लिए भी है । मैं इस संदर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक उत्पादन के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है वह उद्योग को हुए लाभ को देख कर नहीं दिया जाना चाहिए, परन्तु इस दिशा में वस्तुओं के उत्पादन को ही परिमाप बनाया जाना चाहिए । मेरा यह निश्चित मत है कि अधिकर में जो छूट दी जा रही है न वह उचित ही है और न ही उससे कीमतों में कमी होने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त पूंजी का बाजार ठप्प है । लाभांश और बोनस करों में जो छूट दी गयी है मैं उसका स्वागत करता हूँ । परन्तु इस छूट के बावजूद भी अन्य कर इतने हैं कि इससे बाजार पर कोई अच्छा प्रभाव नही होने वाला है ।

जहां तक कम्पनी के कराधान के आधार का सम्बन्ध है, पुरानी पद्धति को, जिसके अन्तर्गत कम्पनी के अंशधारियों की ओर से आयकर देती थी और दूसरी कटौती करती थी, उस पद्धति को पुनः लागू किया जाना चाहिए । 10 प्रतिशत का जो नया कर है उसका अमीर और गरीब दोनों प्रकार के अंश-धारियों पर समान बोझा पड़ेगा 'क्लोजली हैल्ड' कम्पनी तथा दूसरे प्रकार की कम्पनियों में अन्तर बहुत कम कर दिया गया है । परन्तु मेरा आग्रह यह है कि इस अन्तर को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहए ।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि आयात शुल्क में और वृद्धि होनी चाहिए । और इससे जो धन राशि प्राप्त हो उसका प्रयोग निर्यात प्रोत्साहन पर लगाना चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि बिना किसी बुरे प्रभाव के अवमूल्यन से सभी लाभ हमें प्राप्त हो जायेंगे । उस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पंजाब की अर्थ व्यवस्था बहुत बिगड़ गयी है । आशा यह थी कि भारत सरकार बजट में पंजाब के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करेगी और उस राज्य को 15 से 20 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देगी ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : कहा जाता है कि देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी है, परन्तु मेरा कहना यह है कि यदि हमारे कर्णधारों द्वारा निर्मित योजनायें इसी प्रकार चलती रहीं तो महंगाई अभी और चलेगी और कहां जा कर इसकी सीमा होगी, कहा नहीं जा सकता । इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि जब तक मुद्रा स्फीति को रोकने का कोई प्रयास नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार की प्रगति की सम्भावना नहीं है । न देश में ही कोई प्रगति होगी और न सामान्य व्यक्ति का स्तर ही ऊंचा उठेगा वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि अधिक कार्य कुशलता से चलाई जानी चाहिए । सरकारी खर्च में कमी की जानी चाहिए बचत को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । पूंजी बाजार को पुनः सजीव करने का प्रयास किया जाना चाहिए । परन्तु जिस प्रकार से हम चल रहे हैं उससे यह प्रश्न स्वाभाविक रुप से सामने आ जाता है कि क्या ऐसा हो सकेगा ? इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही है । मेरा यह मत है कि इन सभी योजनाओं के बावजूद और इतना भारी खर्चा करने पर भी इस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं है ।

वित्त मंत्री प्रति वर्ष अपना आयव्ययक प्रस्तुत करते हैं । बड़े सुन्दर शब्दों को प्रयोग करते हैं । परन्तु गम्भीरता से देखने पर यही पता चलता है यह एक दिवालियापन का आय-व्ययक है । यद्यपि यह ठीक है कि सामान्य व्यक्ति के प्रति कुछ उदारता दिखाई गयी है । मध्यम वर्ग को भी आय कर में कुछ छूट दी गई है । परन्तु सरकारी क्षेत्र की हालत देखने पर दशा बड़ी निराशाजनक प्रतीत होती है । सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक वस्तु का उत्पाद व्यय बहुत अधिक हो रहा है । सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमो द्वारा लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है इस तर्क में कोई अधिक वजन नहीं है । यदि सरकार इसी प्रकार समाजवाद लाना चाहती है तो यह गलत तरीका है ।

चीनी पर और अधिक उत्पादन शुल्क लगाने की बात मेरी समझ में नहीं आई । इस प्रकार के शुल्कों के लागू किये जाने के फलस्वरूप लोगों की कठिनाई निरन्तर बनी रहेगी । खंडसारी तथा डीजल तेल जो अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है वह उचित दिखाई नहीं देता ? मेरे विचार में कर लगाने का एक ही उद्देश्य दिखाई देता है कि लोगों से अधिक से अधिक धन छीना जाय । खण्डसारी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर जो रोक लगाई गयी हैं उससे छोटे छोटे उत्पादकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप लाखों मन खण्डसारी खराब हो रही है। मेरा निवेदन है कि इस प्रतिबन्ध को हटा दिया जाना चाहिए ।

मैं इस समय की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को महसूस करता हूं । और स्वीकार करता हूं कि उन्हें कम नहीं किया जा सकता। परन्तु फिर भी मेरा निवेदन है कि राज्यों के व्यय पर कुछ नियन्त्रण रखा जाना चाहिए । पिछले 15 वर्षों से संघ और राज्य सरकारों के व्यय में 500 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राज्य सरकारें प्रत्येक वर्ष रिजर्व बैंक से अनधिकार ही अधिक धनराशि निकालती रहती है और फिर भी इसको रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है । कर-दाता को यह मांग करने का पूरा अधिकार है कि उससे और अधिक कर मांगने से पहले, राज्य सरकारों को अपने साधनों के अनुसार खर्च करने की आदत डालनी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को भी अपने प्रशासनिक खर्च में मितव्ययता बरतनी चाहिए और बेकार व्यय को रोकना चाहिए ।

मेरा निवेदन यह है कि केन्द्र और राज्यों के बजट तैयार करने की प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है । इस समय यह तरीका चल रहा है कि पहले सरकारें यह निश्चित करती हैं कि कितना व्यय किया जाय। और इसके बाद अपने साधन जुटाने की ओर ध्यान देती हैं। यह गलत तरीका है । कोई भी राष्ट्र जिसके साधन बहुत व्यापक नहीं हैं ऐसा नहीं कर सकता । यदि ऐसा करेगा तो निश्चित है कि उसका दिवाला निकल जाने में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि यदि ऋण लौटाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं तो हमें अधिक ऋण नहीं लेना चाहिए । अधिक ऋण लेने की आदत बहुत बुरी है । इस समय हमारे उपर 8,920 करोड़ रूपये का ऋण है । इस समय आवश्यकता है कि देश को और अधिक

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

दिवालिया होने से बचाया जाय। सरकार को इस दिशा में भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हमें जो ऋण विभिन्न देशों द्वारा मिल रहा है उस पर स्थायी रूप में आश्रित रहना देश के हित में नहीं कहा जा सकता। ऋण लेने की आदत को समाप्त करना ही होगा। ऋण लेते जाना और कमाई कुछ न करना यह अच्छी बात नहीं कही जा सकती।

इस समय सरकारी क्षेत्र में 30 निगम हैं और उन में 17 अरब रूपये लगे हुए हैं। परन्तु उनसे जो लाभ हो रहा है, वह केवल 1.9 करोड़ रूपये है। यह एक ऐसी बात है जिस से बड़ा दुःख होता है। सरकार द्वारा व्यापार किये जाने के फलस्वरूप व्यापारी बिगड़ गये हैं और वे बेइमान हो गये हैं। देश भर में जो इतने प्रतिबन्ध लगाये गये हैं इससे लोगों का उत्साह कम हो गया है। आयव्ययक से निराशाजनक स्थिति का पता लगता है। देश मे जो प्रगति होनी चाहिए थी, वह कहीं दिखाई नहीं देती। देश में अनाज की स्थिति के खराब होने के कारण भी सरकार की नीति है? जो अनाज के क्षेत्र उसने बना रखे हैं अभी वह उसे समाप्त करना नहीं चाहती। यह भी पता चला है कि राजस्थान में लोग भूखे मर रहे हैं और चावल चोरी छिपे पाकिस्तान जा रहा है। लगभग 17 सौ बोरियां इस तरह पाकिस्तान गई बताई जाती हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

सरकार बिलकुल बनिया वृत्ति अपना रही है। सरकार का कर्त्तव्य प्रशासन चलाना है व्यापार कराना नहीं। मेरा विचार यह है कि जब से सरकार व्यापार क्षेत्र में प्रवेश कर रही है व्यापारी इमानदारी छोड़ते जा रहे हैं। देश पर लागू किये गये नियन्त्रणों से लोगों का नैतिक स्तर गिरा है। सरकार को यह भी प्रयास करना चाहिए कि लोगों का नैतिक स्तर भी ऊंचा उठे। खाद्य की कमी के कारण मुद्रा स्फीती भी बढ़ी है। यह समय है कि हम सारी स्थिति का अध्ययन करें और राष्ट्र हित के सिद्धान्तों के अनुसार समस्याओं को सुलझायें हर समय राष्ट्रीयकरण की बात करने से समस्यायें नहीं सुलझगी।

श्री हिम्मतसिंहका (गौंडा) : श्री मुकर्जी ने कहा है कि वित्त मंत्री ने बड़े बड़े लोगों को तो लाभ दिया है जिससे 40 करोड़ के कर कम हो गये हैं। 10 प्रतिशत तक कोई कर नहीं लगाया गया है। परन्तु इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि अतिरिक्त लाभांश कर और बोनस शेअर सम्बन्धी बड़े व्यापारियों को दी जाने वाली रियायत बहुत मामूली है। यह तो एक करोड़ रुपया भी नहीं है। परन्तु मेरा कहना यह है कि इससे भी बहुत अधिक अतिरिक्त कर लगाय गये हैं। इससे की गयी रियायतों का महत्व प्रायः समाप्त हो जाता है। उसके मुकाबले में और भार ऊपर चढ़ जाता है। यह बात भी गलत है कि व्यापारी वर्ग करों में कमी करवा लेने में सफल रहा है। इस बात की ओर कम लोगों का ध्यान जा रहा है कि क्योंकि कर कम हो रहे हैं इसी कारण से नये उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त एकाधिकार जांच आयोग का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि उसने व्यापारियों की निन्दा की है। परन्तु एसा नहीं है। आयोग ने इस बात के लिए व्यापारियों की प्रशंसा की है कि उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत कार्य किया है। उन्होंने यह भी आशा की है कि आने वाले महत्वपूर्ण वर्षों में औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण अंशदान के लिए आर्थिक क्षमता के केन्द्रीयकरण पर निर्भर किया जा सकता है। आयोग का रूख क्या है उसका इन बातों से पता चलता है।

पैरा 51 में जो बात कही गयी है श्री मालवीय जी ने उसे गलत समझा है। वित्त मंत्री ने सुझाव दिया था . . . . . .

श्री हिम्मत सिंहजी (कच्छ) : अफ्रीका के देश भारत के उद्योगपतियों को अपने यहां बुला रहे हैं कि वहां उद्योग स्थापित करें। भारत सरकार ने इस पर एक ही शर्त लगाई है कि आप यहां से मशीनरी भेज सकते हैं ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले। पूंजी वहां के देश देंगे। हमारे आदमी

वहां रोजगार प्राप्त करेंगे। तकनीकी ओर भी उन्हें अधिकार-शुल्क तथा अन्य आय मिलेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि सरकार दूसरे देशों में उद्योग स्थापित करना चाहती है तो इसमें ग़लत बात क्या है। यदि उन देशों ने राष्ट्रीयकरण भी कर लिया तो वह मशीनरी की कीमत देंगे।

वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारा बजट को उत्पादन-प्रधान, विनियोग-प्रधान तथा निर्यात-प्रधान होना चाहिये तथा वह कीमतों को न बढ़ने दे। देखना यह है कि इन उद्देश्यों की पर्ती हो जावेगी। परन्तु निजी आय पर 10 प्रतिशत अधिभार और निगमित क्षेत्र के करों पर 5 प्रतिशत ने पुँजी बाजार के हौसले पर पानी फेर दिया है। मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि जब तक नयें उद्योग स्थापित नहीं होंगे, उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। चालू वर्ष में उत्पादन इतना नहीं है जितनी आशा थी। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, मूल्यों का बढ़ना नहीं रुकेगा। पिछले 12 वर्षों में मूल्य बहुत बढ़ गये हैं।

मैं बजट को विनियोजन-प्रधान भी नहीं कह सकता क्योंकि इसने लोगों के पास कुछ छोड़ा ही नहीं है जिसे विनियोजित किया जा सके। यदि आप बाजार से 100 करोड़ रुपया खींच लें तो अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपया विनियोजित किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि आप कम्पनियों पर 5 प्रतिशत कर और यदि अधिक लगा देंगे तो उनके पास नये उद्योगों में पुँजी लगाने के लिये रुपया नहीं बचगा। इस लिये वित्त मंत्री को और स्थानों से रुपया प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि कम्पनियों पर यह अधिक कर नहीं लगाया जा सके।

यदि सरकारी उपक्रमों से लाभ होना आरंभ हो जावे तो नये करों की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे विचार में सरकार क्षेत्र के उपक्रमों को वही करना चाहिये जो दूसरी कम्पनियां करती हैं यानी पुँजी का ऋण पर लेना आदि। भारत तेल निगम ने 100 करोड रुपया ऋण-पत्र जारी करके एकत्रित किया है।

इसी प्रकार विकास से भिन्न वाला व्यय तीन से चार प्रतिशत कम किया जा सकता है। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने 70 करोड़ रुपया इस प्रकार व्यय कम करने को कहा था। परन्तु कम करना तो अलग रहा वह तो और भी बढ़ गया है। मेरे विचार में वित्त मंत्री इस दिशा में सोचेंगे।

Shri Radheylal Vyas (Ujjain) : Mr. Deputy Speaker, the Finance Minister told in his speech that budget is a way of implementing our policies and plans. In certain sectors our country has made much progress but in certain others we have lagged behind. Although Madhya Pradesh is the biggest State in India so far as area is concerned but per acre yield there is lowest in India. There are no arrangements for irrigation and fertilisers and the farmers are very backward. There are 100 major irrigation projects in India which are yet to be completed. This is not so in any other State in India. There is no money even for Indravati Project.

There are no minor projects even. If 1,600 ponds are dug in Madhya Pradesh, production can be increased much.

About Fertiliser plants I can say only one thing. One Fertiliser factory was sanctioned for Korba and about Rupees one crores was spent on its building. Now they say that there cannot be a Coal based plant but it will be a nappta-based. My request is that you give us a fertilisr plant whether it may be coal-based or nappta-based.

We have rich mineral resources like iron, iron-ore where steel can be produced in heavy quantity but government has not built any factory for it. How can industrialisation take place in Madhya Pradesh in such circusmstances. No spinning mill has been sanctioned in our State.

[Shri Radheylal Vyas]

I am constrained to say that there is not a single minister in Union Cabinet from Madhya Pradesh. On the other hand most of the other States have two and three ministers who hold important portfolios.

I have always been a supporter of food Control and I was the first person to suggest creation of food zones. If you have to solve food problem the Government of India should take over from the States its procurement, agricultural development, its storage and its distribution. I am sorry that we do not observe the controls properly.

I am of the view that there should be one price for the whole country. This is possible only if the State Governments render their Co-operation in implementation of the policies laid down by the Government. The price of jawar in Maharashtra is Rs. 58·00 per quintal whereas it is Rs. 42 to Rs. 45·00 per quintal. The same is the case with wheat. Now food Corporation has been created and so the Government should give it vast powers for procurement and distribution.

As you know that in Madhya Pradesh there are 34 per cent Adivasis and Harijans and our State is most backward State. There are still 7,415 villages and 5,814 sizeable hamlets where you do not have satisfactory arrangements for drinking water.

My State has sent a special scheme to the Finance Ministry regarding special projects. But the same has been turned down by the Finance Ministry. How will Madhya Pradesh develop if schemes are rejected like this.

Money spent on means of communication in Madhya Pradesh which is only 8 per cent of what it was last year. I want special attention to be paid to the aspect of knowing about the backwardness of States and in which field they have lagged behind. Such survey should, take place every year.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं वित्त मंत्री को उनके बजट के बारे में बधाई देता हूं। उन्हें जिन हालात में यह कार्य भार संभालना पड़ा वह ऐसे थे कि मंत्रि मण्डल को ही एक प्रकार से दोबारा बनाया गया था। वित्त मंत्री प्रत्येक को तो खश नहीं कर सकते। इस लिये उन्हें इस आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जब मैं इस आलोचना को सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि आलोचक या तो इन सुझावों को समझ नहीं रहे थे और या फिर यमझना चाहते नहीं थे। मझे दु:ख है कि इन सुझावों को रचनात्मक दृष्टि से नहीं देखा गया। श्री मसानी तो अपने आप को एक पैगम्बर के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे थे। वह कहते थे कि 1966 में वही हो रहा है जो कि वह 1961 में कह रहे थे। चाहे यह सत्य हो या न हो।

श्री मुकर्जी कह रहे थे कि हमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत कोई सहायता न लेनी चाहिये भले ही यह एक कानून बना लें कि हम कुछ नहीं खायेंगे। परन्तु जो आन्दोलन उनके दल ने पश्चिमी बंगाल में कर रखा है वह तो ऐसा है जैसे उनका इस प्रकार के आचरण में विश्वास ही न हो।

संसार में कोई भी वस्तु परिपूर्ण नहीं है और न ही कोई वस्तु परिपूर्ण हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर हमें वित्त मंत्री के सुझावों को लेना चाहिये। इन पर आलोचना भी एक रचनात्मक ढंग से होनी चाहिये। परन्तु ऐसा मुझे होता नहीं दिखाई दे रहा है।

इनको मानने का मापक यह होना चाहिये कि क्या वह व्यक्ति जो उन्हें प्रस्तुत कर रहा है वह इमानदारी के इरादे से कर रहा है तथा पूरी योग्यता से कर रहा है। यदि इन दोनों मापकों से देखा जावे तो वित्त मंत्री अपने कार्य में सफल हुए हैं। मेरे विचार में कटु से कटु आलोचक भी यह नहीं

कह सकता कि यह बुरी थीं। यदि कोई त्रुटि रह गई है तो वह वातावरण में निदित है। इस से आप को यह भी पता चलेगा कि वित्त मंत्री को किन पाबन्दियों के अन्दर कार्य करना पड़ता है।

वित्त मंत्री द्वारा थोड़ी आय के लोगों को दी जाने वाली सहायता की प्रशंसा की गई है। यह कहना कि बजट के सुझावों ने अमीरों को अधिक अमीर बनने को प्रोत्साहित किया है एक नारा सा दिखाई देता है।

चीनी पर कंट्रोल बनाये रखने के बारे में मैं यह कहूंगा कि मुझे इसका बड़ा कड़वा अनुभव है। एक बार यह समाचार था कि बाजार में बहुत चीनी इकट्ठी हो गई है और जब तक इसे निर्यात के लिये नहीं छोड़ा जावेगा हालत खराब रहेगी। एक निर्यात प्रोत्साहन समिति बनाई जिसने यह सुझाव दिया कि चीनी से कंट्रोल हटा दिया जावे। कंट्रोल का हटाना था कि चीनी बाजार से गायब हो गई। स्वयं मुझे थोड़ी से चीनी के लिये बहुत देर लाइन में खड़ा होना पड़ा और यह बंगाल में पूजा से कुछ ही पहले था।

मुझे एक बात का बड़ा दु:ख है कि इस देश की एकता को समाप्त करने के लिये वही हो रहा है जो अठरहावीं शताब्दी में हो रहा था। मैं चाहता हूं कि वह स्थिति नहीं दोहराई जानी चाहिये।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : उपाध्यक्ष महोदय सिवाय श्री भट्टाचार्य के बाकी सब सदस्यों ने बजट की आलोचना की है।

पिछले पाकिस्तान से युद्ध में हमें पता चला कि हमारा संसार में कोई भी मित्र नहीं है। इंगलैंड, तथा अमरीका ने भारत का साथ देने की अपेक्षा पाकिस्तान का समर्थन किया। रूस ने भी हमारा साथ केवल इस लिये दिया कि वह पाकिस्तान को चीन से दूर रखना चाहता है।

भारत ने संसार के सभी देशों से ऋण ले रखा है। सब से अधिक ऋण अमरीका से लिया हुआ है जोकि 1883.68 करोड़ रुपया है, इंगलैंड से 282.57 करोड़ रुपया है तथा रूस से:235.15 करोड़ रुपया ऋण लिया हुआ है। इसके अतिरिक्त और बहुत से देशों से ऋण लिया हुआ है जोकि कुल मिलाकर 3293.44 करोड़ रुपया होता है। इसी प्रकार भारत का आन्तरिक ऋण 3502.82 करोड़ रुपया है। यह सब 6803.31 करोड़ रूपया हुआ था यों कर लीजिये कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति, औरत और बच्चे के हिस्से में 200 रूपया आता है।

वित्त मंत्री कह सकते हैं कि राज्यों में हमने विकास के कार्य भी तो चला रखा है।

मैं वित्त मंत्री को चुनौती देता हूं कि वह सिद्ध करें किस प्रकार राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कुल परिसम्पत् को मिला कर तथा औद्योगिक उपक्रमों को समाप्त कर के भी हम उन सारे ऋणों को अदा कर सकते हैं जो हम ने देश में तथा विदेशों से लिये हैं। हम अदा नहीं कर सकते। मैं चुनौती देता हूं कि वह इसे सिद्ध नहीं कर सकते। हम एक दिवालिया देश हैं। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि हम वैदेशिक कार्यों में स्वाधीन हैं और हमें जो सहायता मिल रही है वह बिना शर्तों के नहीं है। इस संबंध में सरकार के दावे कि बात ऐसी नहीं हैं बिलकुल निराधार हैं। हमने सब कुछ विदेशों को गिरवी रख दिया है। हमारे बजट की व्यवस्था भी बिना पी० एल० 480 के ऋणों के नहीं चल सकती। सरकार लोगों का पेट पी० एल० 480 के अन्तर्गत मिले अन्न से भी नहीं भर पा रही है। सरकार किस प्रकार कह सकती है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है।

अमरीकी सरकार ने हमें इस संकेत के समय इस शर्त पर खाद्यान्न देने को कहा है कि हम पांच वर्षों में खाद्यान्न के संबन्ध में आत्मनिर्भर हो जायें। हम ने इसे अपने आत्म सम्मान को त्याग कर स्वीकार किया है। इसी प्रकार वित्तीय प्रशासक ने कहा है कि उवर्रकों के लिये 5 करोड़ डालर का ऋण इस शर्त पर दिया जायेगा कि भारत

[श्री नी० श्रीकान्तन नायर]

जितनी भूमि पर रूई का उत्पादन करता है अब केवल उसकी आधी भूमि पर रूई उगायेगा। रुई का उद्योग हमारे देश में सब से बड़ा उद्योग है परन्तु वे इस संबंध में हमें आदेश दे सकते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे कपड़े के मिल अमरीकी पूंजीपतियों के इशारों पर और उनकी पुँजी पर चलें। सरकार इस सब के लिये राज़ी हो गई है परन्तु हमें सोचना चाहिये कि इस का क्या परिणाम निकलेगा।

श्री मालवीय को उर्वरक कम्पनियों की पूर्ण आलोचना करने का समय नहीं मिला। अतः वह यह नहीं स्पष्ट कर सके कि उर्वरक कम्पनियों के वेष में यह तेल कम्पनियां पुनः स्थापन कर के हमारी भारतीय तेल कम्पनी (इण्डियन ऑयल कम्पनी) को समाप्त करना चाहती हैं। देश का भविष्य गिरवी रखा जा रहा है और सरकार इस संबंध में कितनी बेफ्रिक्र है यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है।

हमारे वित्त मंत्री एक प्रख्यात वकील हैं। वह हमेशा ही ब्रिटिश हितों के लिये कार्य करते रहे हैं। अतः जब वह अचानक ही वित्त मंत्री बना दिये गये हैं तो वह अपनी वरासत को और अपने विचारों को तथा समस्याओं और बजट के प्रति अपने रुख को इतनी शीघ्रता से कैसे बदल सकते हैं। उनके बजट में कम से कम 14 ऐसे प्रस्तावों की गणना की जा सकती है जो देश के समान व्यक्ति के हितों के विरुद्ध हैं और एकाधिकारी पूंजीवादियों के हितों के पक्ष में हैं।

प्रथम तो इस बजट के द्वारा चीनी पर शुल्क लगाया गया है। केवल सिगरेटों पर ही नहीं बल्कि कच्चे तम्बाकू पर भी शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। इस से बीड़ी पीने वाले ग़रीबों पर असर पड़ा है। कपड़ा और तेल पर शुल्क बढ़ाने से आम व्यक्ति को और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

जैसा कि बजट भाषण के भाग 'ख' के पृष्ठ 4 में इकरार किया गया है, व्यय कर का हटाया जाना गलत है। शायद इससे अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवादियों अथवा बड़े उद्यमपतियों को खुश करने की कोशिश की गई है।

उपहार कर की दरें घटा कर, बोनस अंशों पर आय-कर हटा कर, घरेलू कम्पनियों के अंशों की निकासी पर 12.5 प्रतिशत कर हटा कर, और सभा-पुँजी का 10 प्रतिशत तक 7.5% लाभांश कर हटाकर तथा अधि-कर की दर को घटा कर 40% से 30% करके, वित्त मंत्री ने यह दिखाया है कि वह निहित हितों के एजेंट हैं। उद्योगपतियों के मित्र होने के नाते उन्होंने चाय जो कि आम व्यक्ति की आवश्यकता है समाचार पत्रों के लिये काग़ज़ तथा मुद्रण मशीनों के उद्योगपतियों को विकास छूट दिलाने की व्यवस्था करने के लिये पूर्वता सूची को बढ़ा दिया है।

वित्त मंत्री ने नये संयंत्र की स्थापना के लिये विकास भत्ता बढ़ा कर 40% से 50% कर दिया है। पुनः संयन्त्र लगाने के लिये यह भत्ता 20% से 30% कर दिया गया है। इस के अतिरिक्त और भी अधिक रियायतें जो इन संयंत्र स्थापित करने वालों को दी गई हैं वह यह है कि यह भत्ता दो किस्तों में दी जायेगी। प्रथम तो भूमि तैयार होने के तुरन्त बाद ही दे दी जायगी। वित्त मंत्री ने इन सब कार्यवाहियों से उद्योग-पतियों की मांगों को पूरा किया है।

लघु एककों के लिये 750 रुपये तक की मशीनों अथवा संयन्त्र पर पूर्ण मूल्यह्रास की व्यवस्था की गई है। इस से प्रत्येक उद्योग में हर वर्ष में सैकड़ों एकक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च आय वाले कर्मचारियों के लिये 20% गृह निर्माण संबंधी

व्यवस्था है। विदेशी कम्पनियों के प्रति समतुल्यता व्यवहार के अन्तर्गत गौण उद्योगों के विलयन पर विकास छट की व्यवस्था की गई है। निगमों के लाभों के संगणन से कुल आय के प्रतिशत भाग के घटाये जाने की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रकार 14 ऐसे मामले हैं। समय के अभाव के कारण मैं सब के बारे में विस्तार से नहीं कह सकता परन्तु कम से कम जलपोत निर्माण उद्योग को रियायतें दी जानी चाहिये।

केवल अन्तर्राजीय बिक्री कर को 2% से बढ़ा कर 3% नहीं किया गया है बल्कि उन वस्तुओं पर भी बिक्री कर बढ़ाया गया है जो कि अन्तर्राजीय तिजारत के लिये महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों के कारण बाज़ार में करीब करीब हर वस्तु का मूल्य बढ़ जायेगा। इसी लिये सारे देश में लोग असंतुष्ट हैं। यह केवल खाद्य की कमी के कारण नहीं है बल्कि विभिन्न केन्द्रों में असमान विकास के कारण भी है। उदाहरण के लिये केरल में जल इतना है कि कोई राज्य मुकाबला नहीं कर सकता परन्तु वहां विद्युत शक्ति तथा रेलों की कमी है। वहाँ एक लाख आबादी के लिये 3.5 मील रेल का औसत है जब कि सारे देश के लिये यह दर 9.5 मील है। जब हम उद्योगों के लिये जोर देते हैं तो कहा जाता है कि केरल में रेले तथा विद्युत शक्ति नहीं है। जब हम रेलों की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि हमारे यहां उद्योग नहीं हैं। हम 117 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाते हैं। परन्तु न हमें चावल दिया जाता है न आयात करने दिया जाता है।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मैं वित्त मंत्री को इस बजट के पेश करने पर बधाई देना चाहता हूं। बजट का ऐसा विषय जिसकी हर दृष्टिकोण से आलोचना की जाती है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन और रुस को आदर्श मानते हैं तथा कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन और अमरीका को आदर्श मानते हैं। अतः यह स्वभाविक है ऐसे व्यक्ति इस बजट की आलोचना ही करेंगे। परन्तु जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमारे यहां मिश्रित अर्थ व्यवस्था है। अतः हमें बजट को उसी दष्टिकोण से देखना चाहिये। हमने सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। मैं किसी भी आदर्शवाद से संबंध न रख कर केवल यह देखना चाहता हूं कि क्या इस बजट से देश में खुशहाली बढ़ेगी या नहीं मेरा वास्ता इस बात से है कि क्या देश में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन बढ़ रहा है या नहीं।

हम यह स्वीकार कर चुके हैं कि लोकतंत्र और समाजवाद हमारे लक्ष्य हैं। समाजवाद का जो मतलब मैं समझता हूं वह यह है कि ग़रीबी को दूर किया जाये। इस संबंध में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 35 करोड़ लोगों का समर्थन करता हूं। हमारे एक करोड़ ऐसे ग्रामीण हैं जिन की प्रतिव्यक्ति आय 27 पैसे प्रतिदिन है और 50 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिन की प्रतिव्यक्ति आय 32 पैसे प्रति दिन है।

[**श्री पें० वैंकटासुब्बया पीठासीन हुए**
SHRI P. VENKATASUBBAIAH *in the Chair*]

कोई 10 करोड़ लोगों की प्रतिव्यक्ति आय 47 पैसे प्रति दिन है। सब मिलाकर, ग्रामीण लोगों के प्रति व्यक्ति आय 68 पैसे प्रतिदिन है। हम ने इन लोगों के लिये क्या किया है। इन लोगों की केवल ग़रीबी ही नहीं दूर की जानी चाहिये बल्कि रहन-सहन का स्तर भी उठाया जाना चाहिये।

जहां तक उद्योगों का प्रश्न है, सीमेंट तथा लोहा और इस्पात उद्योगों को सुधारने के लिये पूंजी गठन व्यवस्था का सुझाव है। परन्तु कृषि उद्योग के लिये ऐसा कोई सुझाव नहीं है। हमारी नीति यह है कि कृषि उत्पादन के लिये कम से कम मूल्य मिले। हल्के ड़ीजल तेल पर हम ने उत्पादन शुल्क को 60 रुपये प्रति किलो लिटर अधिक बढ़ा दिया है। इस प्रकार एक 'बैरल' का मूल्य 30 रुपये आता है। एक किसान को 65 रुपये में डीज़ल तेल ख़रीदने पर 30 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। क्या इसी प्रकार कृषिकों की सहायता की जा रही है?

[श्री पु० र० पटेल]

सब राज्यों में भू-राजस्व पर शिक्षा उपकर लगा हुआ है। किसान इसे देते हैं। अभी हाल में गुजरात सरकार ने स्थानीय निधि उपकर बढ़ा दिया है। उसे 20 पैसे से बढ़ा कर 50 पसे कर दिया है। राजस्थान सरकार ने सिंचाई भार पर अधिभार लगा दिया है। इस तरह ग़रीब किसान और भी ग़रीब हो जायेंगे। एक ओर तो हम कहते हैं कि कृषि हमारी खुशहाली का आधार है और दूसरी ओर हम ग्रामीणों पर अधिक कर लगा रहे हैं। अत: मेरा निवेदन है कि डीज़ल तेल पर लगाये गये उत्पादन शुल्क को हटा देना चाहिये या कम से कम कृषि और सिंचाई में काम आने वाले हल्के डीज़ल तेल को कर मुक्त किया जाये ताकि ग़रीब लोगों पर भार न बढ़े।

नदियां भगवान की देन हैं और इनका उपयोग देश की खुशहाली के लिये होना चाहिये। परन्तु हमारे देश में नदियों के जल के उपयोग के ऊपर राज्यों के बीच झगड़ा हो रहा है। यदि राज्य शक्तिशाली हो जायेंगे और केन्द्र की शक्ति कम हो जायेगी तो देश की अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। यह ठीक नहीं है कि राज्य केन्द्र के क्षेत्राधिकार की अवहेलना करें। राज्यों को अपने अधिकारों की सीमा को समझना चाहिये। केन्द्र को यह वाजिब है कि वह राज्यों से कहे कि वे नदियों के जल तथा अन्य खनिज-सम्पत्ति को देश की खुशहाली में लगायें। यदि गुजरात में गैस अथवा तेल का उत्पादन होता है तो उस पर केवल गुजरात का एकाधिकार नहीं होना चाहिये। राज्यों को सम्पूर्ण देश के हितों की खातिर कुछ त्याग करना चाहिये ताकि उनके बलिदान से पूरे देश की खुशहाली बढ़े। परन्तु मुझे खेद है कि इन मामलों को लेकर झगड़े खड़े हो जाते हैं जैसा कि अभी हाल में गुजरात विधान सभा में इन मामलों पर चर्चा के दौरान नाराज़गीसे जाहीर होता है।

हम शिक्षा पर काफ़ी कम व्यय कर रहे हैं। हमें शिक्षा पर खूब व्यय करना चाहिये परन्तु मेरा विचार है कि चूंकि हमारे पास रुपये की कमी है, यदि हम वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा पर अधिक व्यय करेंगे तो इस तरह हमारे धन का सदुपयोग होगा।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : We have already had three Five-year Plans and the fourth one is soon to begin, but there are still no signs of implementation of the accepted basic economic policies through the plans. After fifteen years of planning our national income has not increased according to the estimates of the experts. There has been a little increase in the per-capita income of the rural population but it is equal to nil; it has been most unsatisfactory although agriculture contributes substantially towards the national income. When we roughly calculate national income, we include such persons also whose percentage is so less but whose individual income is to the time of crores of rupees to obtain the average income. The per capita income, therefore, is even less than this average income. I, therefore, want to draw the attention of the honourable the Finance Minister to the fact that the 80% population of the country which contributes towards the national income, has a very low annual income. I want that efforts should be made to increase the income of that 80% of the population.

Recently, there was so much talk about our entering into an agreement with the U.S.A. in connection with their providing us with fertilisers for raising food production in the country. Government also may be interested in raising the income of that 80% population of the country by increasing food production through the use of fertilisers. But there are certain regions in the country who have good irrigational facilities and fertilisers may be there need but to other regions there are no proper irrigation facilities. Hence, provision of irrigation facilities should be given preference to fertilisers in such regions. If we give more attention to fertilisers to the neglect of irrigation facilities, then, in case the country again faces a drought like this year's drought, then the fertilisers will be of no use and we will again be in a crisis and will again have to rely on other

countries. In such circumstances, the fertiliser deal which not only aims at removing shortage of fertilisers, but also gives foreigners a right to fix rates and distribute fertilisers in the private sector, is against national interest due to these two reasons. This deal is similar to the one which once the East-India Company had also entered into. I, therefore, fear these oil companies may also dominate today as the East-India Company had done. It is possible, the same situation may arise after the fertiliser deal as had resulted from a deal with the oil companies. I, therefore, want that some modifications be made in this agreement so that it is in the interest of the country. The right to fix price and to distribute should not be given to the foreign companies but should rest in the hands of Government.

I would now dwell on the benefits which go to different States under the Buget. The biggest agricultural State, namely, Uttar Pradesh , has always been neglected and has been neglected this time also. The first and second five-year Plans also neglected Uttar Pradesh. We had tried to draw the attention of the late Shri Lal Bahadur Shastri and Shri T. T. Krishnamachari, to this matter and it seemed then that they would take steps to meet the reasonable demand of Uttar Pradesh for development of electricity and Thermal Plants in the State which should have been fulfilled long back. A little was done in this behalf, specially in the four districts of Eastern Uttar Pradesh, the importance of the development of which was felt both by the late Shri Jawaharlal Nehru as also the Late Shri Lal Bahadur Shastri, but Government discontinued grant to U. P. last year. The Central Government had opinioned that the development of Uttara Khand district of U. P. was necessary from the defence point of view and had asked U. P. Government to give special consideration to the development of that region. Government have now discontinued the grant which they had once agreed to give. Central Government should carry out its responsibilities and grant the reasonable demands of Uttar Pradesh. Government should give special grants to U. P. in order to increase the income of the low-paid people there.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : At the outset, I wish to congratulate the honourable Minister for the concession given by him but I want to emphasize that it should be a tradition that at the time of preparing the Budget, consideration should also be given to the taxes imposed by States. This sort of coordination is not being done now with the result that the poor hardly benefit from whatever concessions are given.

The railway budget and the general budget impose higher rate of freight on salt and increased duty on sugar, respectively, so that the poor are now all the more hard it.

Besides, Sugar and *Khandsari* have been taxed under this budget although previously there were no such taxes on these articles. It does not look proper to tax the articles which poor people consume; their burden becomes unbearable. When the Planning Commission and the Central Government ask the States to find our resources to obtain matching grant, they both view with each other in regard to the amount of tax to be imposed. So, for all these reasons, there should be a coordination between the taxes imposed by the Central Government and the State Governments.

Secondly, in this election year, the poor have been heavily taxed and thus their difficulties increased. From the party point of view also, so much up taxation has not been a wise step. Last year it was suggested that the unjustified tax on Kerosene should be reduced this year but now instead of reducing it, the diesel oil, which is a commodity for domestic use, has also been taxed. How can the poor

[Shri D. N. Tiwary]

peasants afford to grow more food when the rates of electric power have been increased and the diesel oil taxed ? There were matters which should have been given full consideration at the time of drafting budget but I find that no such consideration has been shown.

Thirdly, I want to say with emphasis that in spite of all the plans during the last eighteen years, no step has been taken to raise the very low income of people in the backward areas.

I do not think the honourable Minister has gone through the Economic Survey Report of State. It states that in certain areas *per capita* income ranges between 80 and 85 rupees and the *per capita* income of the country as a whole is upto rupees 400. The *per capita* income in Bihar is Rs. 270 but a region in Bihar having a population of 2 crores—more than that of Kerala—has a *per capita* income of rupees 90 to 92 rupees. Saran and Darbhanga districts have *per capita* income of rupees 80 to 82. A perusal of the report shows that 2 crore people's income is between 3 and 4 annas a day in our country. This group includes the Maharaja of Darbhanga and big business magnates. So 20 to 25% of the total population has a daily income of 3 to 4 annas. Hence some consideration should have been shown in the budget for these poor people.

There are 2 crores people in Bihar for whom there is neither industry nor have any measures been provided for raising the food production. They do not know what swarajya means. People are starving there but Government has not given any consideration to it.

Two or three years back our honourable member from U. P. had drawn attention of the House towards a part of Uttar Pradesh. A committee was appointed and enquiry conducted but report has never been brought out.

Government has done nothing during the last year for two districts, Darbhanga and Chapra in Bihar, which have a population of 80 lakhs. The proposed Hariana State will equal our these two districts in so far as population is concerned. There are so many industries and natural resources in Bihar but people starve there. The *per capita* income in Bihar is perhaps the lowest. The industries in Bihar are either run by Government of India or outsiders and they exploit the people and take the money away. I do not want to be parochial; I do not say that Biharies alone should live in Bihar. The whole country is one nation and people from other states also have rights to live there and eat and drink but I cannot tolerate that while others may eat, drink and enjoy themselves, the local population may suffer. There are four central undertakings in Bihar but not even one has a Bihari for a General Manager or a Personnel Manager.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

केरल के भूत-पूर्व राज्यपाल श्री अजित प्रसाद जैन के त्यागपत्र के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : RESIGNATION OF SHRI A. P. JAIN, EX-GOVERNOR OF KERALA

श्री वासुदेवन् नायर (अम्बलपुजा) : मैं तारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के बारे में आधे घंटे की चर्चा उठाना चाहता हूं क्योंकि केरल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री अजित प्रसाद जैन के त्याग पत्र के

मामले में सिद्धान्त का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं :—

"क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के भूत-पूर्व राज्यपाल श्री अजित प्रसाद जैन ने अपने पद पर रहते हुये कांग्रेस दल के चुनाव में सक्रिय भाग लिया था ;

(ख) क्या उनका यह कार्य राज्यपाल के लिये निर्धारित आचार संहिता के अनुरुप था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?"

इस का उत्तर श्री नन्दा द्वारा दिया गया था जिस में कहा गया था कि श्री अजीत प्रसाद जैन ने कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम अपने 17 जनवरी, 1966 के पत्र में कहा था कि जब वह दिल्ली आये हुये थे तो उन्होंने अभी हाल के कांग्रेस संसदीय दल के नेता के चुनाव के बारे में अपने मित्रों को कुछ मशवरा दिया था जिसके लिये उनके मित्रों ने आग्रह किया था। चूंकि उन को महसूस हुआ कि उनका यह कार्य राज्यपाल जैसे उच्च पद के ऊंचे गौरव के अनुरूप नहीं था, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अध्यक्ष ने अपने 21 जनवरी 1966 के उत्तर में उन्हें सूचित किया था कि उन्हे कार्यमुक्त करने के लिये व्यवस्था की जा रही थी परन्तु जब तक वह कार्यमुक्त न किये जायें वे अपने केरल के राज्यपाल के पद पर कार्य करते रहें।"

प्रथम आरोप जो मैं गृह-मंत्रालय और सरकार पर लगा रहा हूं वह यह है कि उन्होंने सभा में पूछे गये प्रश्न का और विशेषत: उसके भाग (ख) का उत्तर न देकर इस संसद् को बेवकूफ बनाया है। भाग (ख) यह था :

"क्या उनका यह कार्य राज्यपाल के लिये निर्धारित आचार संहिता के अनुरुप था";

हम ने सरकार से सीधा उत्तर मांगा था कि क्या केरल के भूत-पूर्व राज्यपाल श्री अजीत प्रसाद जैन ने राज्यपाल के लिये निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस का कोई उत्तर नहीं मिला है। जैसा कि उन्होंने अध्यक्ष को लिखा है वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव संबंधी प्रचारमें भाग ले रहे थे। मैं इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक तर्क करके इसका सबूत नहीं देना चाहता कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने 17 तारीख को पत्र लिखा था और चुनाव 19 तारीख को था और अध्यक्ष ने 21 तारीख को उत्तर दिया था। अतएव कम से कम 21 तारीख तक वह केरल के राज्यपाल रहे। 21 तारीख के बाद भी वह 6 फरवरी तक एक प्रकार के कामचलाउ राज्यपाल रहे। वह इस अर्से में यानी 6 फरवरी तक केरल के राज्यपाल रहे और जैसा कि उन्होंने इक़रार किया है वह चुनाव के बारे में प्रचार में भी भाग लेते रहे। अत: सरकार को क्या आपत्ति है कि वह यह मानने को तैयार नहीं कि एक उच्च पदाधिकारी ने कोई ग़लती की है ? हम यह भी जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष ने उन्हें क्या उत्तर दिया था।

यही नहीं श्री अजीत प्रसाद जैन राज्यपाल का पद ग्रहण करने के बाद भी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने रहे। मेरा विचार है कि वह 6 तारीख को केरल से जैपुर के अधिवेशन में भाग लेने के लिये भागना चाहते थे। क्या वह अपने राज्यपाल रहने की पूरी अवधि में कांग्रेस के सदस्य रहे ? क्या उनके द्वारा ऐसा करना उचित था ?

तीसरे, क्या वह योजना आयोग में किसी समिति की सदस्यता कर रहे थे ? श्री जैन कई बार बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से केरल छोड़ कर बाहर गये हैं। इस प्रकार संविधान का उल्लंघन करने पर और ग़लतियां करने पर भी सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती। ऐसे लोगों को राज्यपाल क्यों बनाया जाता है जिनका दिल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ही रहता है चाहे उनका शरीर केरल में हो। यह उचित नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली सदस्यों के विरुद्ध उनके द्वारा ग़लती करने पर भी कोई कार्यवाही न की जाये।

[श्री वासुदेवन् नायर]

हम गृह-कार्य मंत्री से जानना चाहते हैं कि अगर राज्यपाल इस प्रकार का व्यवहार करने लगे तो इसका हल क्या है ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । ऐसी बातें हमारे संविधान और लोकतन्त्र की नींव है। हम सरकार से पूछते है कि क्या केरल के राज्यपाल ने उचित कार्य किया है ? और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है । कई समाचार पत्रों ने तो लिखा है कि उन्हें सार्वजनिक जीवन में कोई ऊंचा स्थान नहीं मिलना चाहिये । 12 और 13 तारीख को जब वहां खाद्य स्थिति बहुत खराब थी वह दिल्ली चले आये । उन्होंने वहां के लोगों को आंदोलन आरंभ करने को भी कहा था । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का उत्तर दें ।

श्री वारियर : क्या केरल सदाचार समिति को श्री जैन के विरुद्ध कुछ आरोप प्राप्त हुए थे और समिति ने उनको गृह-कार्य मंत्रालय को भेज दिया था ? क्या इसी कारण राज्यपाल ने त्यागपत्र दे दिया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति होती है । इस पद पर नियुक्ति के बाद वे किसी दल के सदस्य नहीं रहते । यह एक परम्परा बन गई है और इस पर अमल भी हो रहा है ।

श्री जैन जब दिल्ली आये तो निजी रूप से उन्होंने अपने कुछ मित्रों को कांग्रेस दल के नेता के बारे में सलाह दी । श्री जैन का उस संगठन से सम्बन्ध रहा है जो उच्च सिद्धान्तों में विश्वास रखती है । श्री जैन ने ऐसी स्थिति में त्यागपत्र देना उचित समझा । परन्तु राष्ट्रपति ने उन्हें उस समय तक कार्य करते रहने को कहा जब तक वहां पर उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ती नहीं हो जाती ।

यहां पर यह आरोप भी लगाया गया है कि श्री जैन ने लोगों को आंदोलन करने आरंभ करने को कहा था । यह आरोप बिल्कुल निराधार है । मैंने इस बात के बारे पूछताछ की है कि क्या वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य है या नहीं । वह सदस्य नहीं थे । वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य इस कारण थे क्योंकि वहां के भूतपूर्व प्रधान पदेन सदस्य होते हैं । ऐसा होते हुए उन्होंने वहां की किसी प्रकार की बैठक में भाग नहीं लिया है ।

यदि संवैधानिक औचित्य का प्रश्न उठाया जाये तो मैं कहूंगा इस बारे में संविधान में किसी आचार संहिता का उल्लेख नहीं है । हम चाहते हैं कि स्वस्थ और उच्च परम्पराओं को बनाया जाये । श्री अजित प्रसाद जैन ने त्यागपत्र देकर एक उदाहरण स्थापित किया है । हमें उनकी सराहना करनी चाहिये । सभी लोग निजी रूप कई ऐसे कार्य करते जो उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं करने चाहिये । हमें सदाचार समिति से भी उनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अनुचित हो ।

सभापति महोदय : चर्चा समाप्त हुई ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 11 मार्च, 1966/20 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, 11th March, 1966/Phalguna 20, 1887 (Saka).

भा०स०म०ना०—वि० 1—33 लोक सभा/66—26-6-67—600